१

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ८०वां दिवस [संख्या ४८

बुधवार दिनांक ६ मई, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर १४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्वीटेड इन्डस्ट्रीज में न्यूनतम वेतन लागू करना

१४०३. श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा): Will the Labour Minister be pleased to state:—

Is it correct that the state Government have decided not to enforce minimum wages in the Sweated Industries which were earlier proposed by it? If so, why?

मंत्री, श्रम विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): No.

श्री पी. के. चौधरी : There was some Govt. information published in the paper that the Government is not introducing these minium wages...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : We have already finalised the fixation of wages in 8 or 9 industries i.e. Rice floor mill, road construction, and Oil Mills etc. Only one thing has been under consideration. We have now finalised and sent it to Press.

श्री पी. के. चौधरी : From what date, these wages will be enforced?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Some of them have been published in the Press.

श्री पी. के. चौधरी : I wanted to know from what date you enforce it?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : From the date of publication in the Press.

श्री पी. के. चौधरी : The Government is required to say that we are introducing it from such and such date.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : That we have already sent it to the Press.

श्री पी. के चौधरी : So they will be enforced from the date of publication.

श्री अध्यक्ष : Next.

भारत सरकार की ग्राम सड़क विकास योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्य

१४०४ **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister Incharge of Road Development be pleased to state:—

(a) What is the total number of works approved under the village road development co-operative scheme of the Government of India ?

(b) What is the cost of the approved works and what grants have been sanctioned from the Central Road Fund for the purpose ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में अभी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है।

श्री पी. के. चौधरी : नेक्स्ट वीक के लिए रख लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : नेक्स्ट वीक तक सूचना आयेगी नहीं, क्योंकि कई वर्षों की सूचना आपने मांगी है।

श्री पी. के. चौधरी : सेकन्ड फाइव ईयर प्लान की मांगी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज तक जितना काम हुआ है उसकी सूचना पूछी है।

श्री पी. के. चौधरी : सेशन के अंत तक दे दें।

श्री अध्यक्ष : आप पिछले दो साल की दे दीजिये।

श्री पी. के. चौधरी : ५७-५८ और ५८-५९ की दे दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में आप लिख कर एसेम्बली वालों को दे दीजिये।

प्रश्न संख्या १४०५

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये।)

प्रश्न संख्या १४०६

श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये।)

प्रश्न संख्या १४०७

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४०८

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

गांधीसागर बांध से बिजली

Page No 3

१४०९. **श्री रामेश्वर दयाल** (कोटा—श्री बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया): क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

गांधी सागर बांध से राजस्थान को मिलने वाली बिजली के उपयोग के लिये सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की है ?

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): गांधी सागर एवं सवाईमाधोपुर जयपुर १३२ के. वी. की लाइनों की पथ भूमीक्षण (detailed Survey) पूरी हो चुकी है, और कोटा, अजमेर १३२ के. वी. की पूर्ण होने के करीब है । नीमच, उदयपुर १३२ के वी. की लाइन की पथ भूमीक्षण जारी है ।

कोटा लाखेरी सब स्टेशन के लिये जमीन खरीद ली गई है । और अजमेर, केकड़ी, जयपुर, उदयपुर और सवाईमाधोपुर सब-स्टेशन के लिए जमीन खरीदने के लिये कारवाई जारी है । सवाईमाधोपुर, जयपुर लाइन की टावरों के लिए आदेश जारी कर दिया है । और उनकी आमद जुलाई सन् १९५९ से प्रारम्भ होने की सम्भावना है ।

गांधी सागर बांध सवाईमाधोपुर (double circle) लाईन की टावरों के निर्माण आदेश दे दिये गये हैं । इन टावरों के लिए स्टील का आदेश पहिले ही जारी हो चुके हैं और मास जून १९५९ तक आजाना चाहिये । ८ लाख ८६ हजार रुपये के इन्शूलेटर्स खरीद लिये गये हैं । अब शेष इन्शूलेटर्स खरीदने के लिये कार्यवाही की जा रही है । पावर कन्डक्टर्स का आदेश ९७ लाख ५५ हजार रुपये का जारी हो चुका है और निर्माण को इन कण्डक्टरों के लिये आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है । १३२ के. वी. सब स्टेशनों के लिये आवश्यक सामान के अधिकतर आदेश जारी हो चुके हैं, शेष आदेशों पर अन्तिम निर्णय हो रहा है ।

श्री पी० के० चौधरी : आपने आदेश जारी करने और सहायता प्राप्ति के लिए कहा लेकिन कब से फ्रोम वाट डेट From what date the energy will be supplied to the consumer ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : आपका प्रश्न यह है, 'गांधी सागर बांध से राजस्थान को मिलने वाली बिजली के उपयोग के लिये सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की है' इसका जवाब मैंने दिया ।

श्री पी० के० चौधरी : Along with the 'Vyavastha' you must have some target date from which you wanted to supply.

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : That is another question.

श्री पी. के. चौधरी : That is a valid supplementary that by what date, or what is the target date for the various schemes ?

श्री रामकिशोर व्यास : सन् ६१ के एन्ड तक एक्सपेक्ट करते हैं ।

श्री पी. के. चौधरी : all of them ?

श्री रामकिशोर व्यास : सब तो नहीं लेकिन कुछ ।

सांचोर पंचायत के फैसले की तामील

१४१०. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला जालोर की सांचोर पंचायत ने गोचर भूमि में नाजायज काश्त करने के मामले में कोई फैसला दिया है? यदि हां, तो कब और किन किन शख्सों के खिलाफ ?

(२) क्या यह सत्य है कि उस फैसले की तामील अभी तक नहीं हुई है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-मन्त्री स्वायत शासन (श्री दौलत राम सारण) : (१) जी हां। दिनांक २. १२. ५६ को कुछ फैसले दिए उनमें से एक श्री जसरूप पिता धन्ना माली निवासी सांचोर के विरुद्ध दिया गया ।

(२) जी हां, राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न किये जाने के कारण केवल श्री जसरूप द्वारा उक्त निर्णय की तामील नहीं हो सकी ।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह राजस्व अधिकारी के द्वारा क्यों कार्यवाही नहीं की जाती है ?

श्री दौलतराम-सारण : पंचायत ने एस. डी. ओ. तहसीलदार को लिखा, उन्होंने कार्यवाही नहीं की, इसलिये विलम्ब हुआ ।

श्री लक्ष्मीचन्द : वह क्यों नहीं की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही बता सकता है कि कार्यवाही क्यों नहीं की ।

श्री लक्ष्मीचन्द : जिन्होंने कार्यवाही नहीं की, उनके खिलाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मूव किया या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : आपके प्रश्न से ही हमें सूचना मिली है । पंचायत ने सूचना नहीं दी है, इसलिए कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह ।

बड़बज के जंगल का ठेका

१४११. श्री मंगलसिंह (रानीवाड़ा) : क्या वन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ज़िला सिरोही के अन्तर्गत बड़बज के जंगल का ठेका क्या हरीसिंह व मोहम्मद अली को सन् १९५४ में १० वर्ष के लिए दिया गया था ?

(ख) यदि हां, तो उस ठेके की शर्तें क्या थीं और क्या अब तक उनके माफिक कार्य हो रहा है ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) ठेके की शर्तें निम्नलिखित थीं :

१. जंगल की कटाई का ठेका १० वर्ष के लिये होगा ।

२. प्रत्येक वर्ष में ठेकेदार एक ही कूप

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में काम करेगा, ठेकेदार शीशम, जामुन, आंवला, बेडा, अरेंठा, अरजिवा, नीम, आईन्द्रा, सरडा व रोहेड़ा के झाड़ नहीं काट सकेगा।

३. कोयले पर ६ आने फी मन व लकड़ी पर २ आने फी मन के हिसाब से रॉयल्टी जागीर को देनी होगी।

४. अगर ठेकेदार खैर की लकड़ी का कत्था तैयार करेगा तो उसकी रॉयल्टी ५ रु० फी मन के हिसाब से जागीर को देनी होगी।

५. अगर ठेकेदार कडाया, गूंद निकलवायेगा तो ५ रु० फी मन के हिसाब से रॉयल्टी जागीर को देनी होगी।

६. अगर ठेकेदार गूंगर गूंद बनायेगा तो रॉयल्टी २ रु० फी मन के हिसाब से देनी होगी।

७. कटाई वर्किंग प्लान के अनुसार होगी।

८. रॉयल्टी का हिसाब राज्य सरकार व जागीरदार में ५०:५० का होगा।

९. कुल रॉयल्टी ठेकेदार से राज्य सरकार ही वसूल करेगी।

१०. सन् १९५७ के बाद जो कटाई होगी उसकी अवधि प्रतिवर्ष ३० अप्रेल तक होगी व ठेकेदार को कटे हुए माल की निकासी का अधिकार ३० जून तक होगा।

श्री पी. के. चौधरी : यह ठेका दिया गया वह पब्लिक ऑक्सन से दिया गया या वैसे ही दिया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जागीरदार ने दिया था।

श्री लक्ष्मीचन्द : इस साल कूप काटने की इजाजत दी गई या नहीं?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे याद नहीं। कूप काटने की इजाजत दी होगी, १० वर्ष का वर्किंग प्लान चल रहा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : मेरा प्रश्न है कि क्या हरीसिंह को इजाजत दी गई है?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे याद नहीं है। जरूर मिल जानी चाहिए, १० साल का प्लान है।

श्री पी. के. चौधरी : आपने जागीर रिजम्प्शन किया Is the Government bound by law honour that agrrement?

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्रीमेंट पहले हो चुके थे, गवर्नमेंट ने मान लिये थे। उसके बाद डिस्कन्टीन्यू करने का सवाल पैदा नहीं था।

श्री लक्ष्मीचन्द : इस साल श्री मोहम्मद अली को कूप काटने की इजाजत दी गई है?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री लक्ष्मीचन्द : आप नहीं कह सकते हैं तो कौन कह सकता है?

Page No 6

श्री अध्यक्ष : आप निश्चित पूछ लेते। आपने जनरल सवाल पूछा, उन्होंने बता दिया। अब अमुक अमुक आदमी ने क्या किया, उनको यह मालूम नहीं हो सकता।

श्री लक्ष्मीचन्द : मेरा प्रश्न स्पष्ट है, क्या मोहम्मद अली को कूप काटने की इजाजत दी गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अरे, भाई, इन दोनों को ठेका दिया गया अब काटने की किसको इजाजत दी, किसको नहीं दी, यह मुझे पता नहीं। वैसे उसको देनी चाहिए जिसको यह ठेका सेंक्शन हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : १४१२।

होमियोपेथी चिकित्सा पद्धति का प्रशिक्षण

१४१२. श्री भीमसेन (लूणकरणसर—डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि होमियोपेथी चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण देने के लिये बीकानेर में कोई संस्था कार्य कर रही है ? अगर हां, तो क्या सरकार ने इस संस्था को मान्यता प्रदान कर दी है ?

(२) क्या यह सही है कि यह चिकित्सा पद्धति सस्ती तथा तुरन्त प्रभावशील है ? अगर हां, तो क्या इस पद्धति को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है ?

(३) उपरोक्त संस्था से अब तक कितने स्नातक निकल चुके हैं तथा उनमें से कितने आयुर्वेद विभाग में काम कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां, किन्तु उक्त संस्था को सरकार द्वारा मान्यता दी हुई नहीं है।

(२) यह चिकित्सा पद्धति अवश्य सस्ती है। खास कर बच्चों में इस चिकित्सा की उपयोगिता अधिक देखी गई। तुरन्त प्रभावशाली होने के सम्बन्ध में तुलनात्मक विचार अब तक नहीं किया जा सका है अतः इस सम्बन्ध में निर्णयात्मक रूप से कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। होमियोपेथी को सरकार ने अब तक मान्यता नहीं दी है। यह विचाराधीन है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

डॉ. बहादुरसिंह : क्या राज्य सरकार होमियोपेथी चिकित्सकों को रजिस्टर करने की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तक कोई कानून नहीं है। वैद्यों के रजिस्ट्रेशन का कानून है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या कोई कानून बनायेंगे इस सम्बन्ध में, जैसे उत्तर प्रदेश और बंगाल वगैरह में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका अभी विचार नहीं किया गया है। डिमान्ड होगी तो विचार करेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : कब तक विचार करेंगे इस पर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कहीं से लोग डिमान्ड करें कि कानून बनना चाहिए तो विचार किया जायेगा।

डॉ. बहादुरसिंह : क्या राजस्थान होमियोपेथी एसोसियेशन ने इस प्रकार की मांग की थी आपसे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो पुरानी बात हो गई, उसके बाद नहीं मिले। एक बार जिक्र किया था।

डॉ० बहादुरसिंह : जब दुबारा मांग करेंगे तो आप स्वीकार करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे स्वीकार करने की बात नहीं है। मैं तो सदन के सामने रख दूंगा, सदन के विचार करने की बात है।

डॉ० बहादुरसिंह : सदन के समक्ष उपस्थित करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि वे मुझ से एक दफा मिले थे, जबानी बात की। बाद में लिख कर नहीं भेजा। वे लिख कर भेजेंगे तो विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के बंगलों पर गार्ड

१४१३. **श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के बंगलों पर गार्ड रखे जाने का क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : सुरक्षा की दृष्टि से।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या गार्ड पैसे की रक्षा के लिए रखी जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पैसे की रक्षा के लिए भी और उनकी रक्षा के लिए भी।

श्री पी० के० चौधरी : जब मंत्रियों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को क्या जरूरत है सुरक्षा की ?

श्री रामकिशोर व्यास : मंत्रियों की सुरक्षा का भी इन्तजाम करना पड़ता है।

श्री पी० के० चौधरी : Is it desirable that when the Ministers are not having any guards, the Disstt. Magistrates are having guards and incurring this expenditure ?

श्री रामकिशोर व्यास : नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में फर्क है। उन्हें लॉ एन्ड ऑर्डर से डील करना पड़ता है। जिस मिनिस्टर को लॉ एन्ड ऑर्डर से डील करना पड़ता है, वहां भी सुरक्षा के लिए गार्ड रखनी पड़ती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): एस. डी.-एम. के बंगले पर पुलिस का पहरा रहता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : एस. डी. एम. ज्यादा पब्लिक के सम्पर्क में आता है, उसकी सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है।

श्री रामकिशोर व्यास : The Collector is supposed to be a Head of the District.

श्री पी० के० चौधरी : Will the Government re-consider all U-n-Democratic Practice ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमने कन्सीडर किया था, फिर भी रखा है । अभी गार्ड रखने की जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

बोन्स फैक्ट्री जोधपुर

१४१४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जोधपुर शहर में कोई बोन्स फैक्ट्री है ?

(ख) क्या वहां के मजदूर कुछ दिन पूर्व स्ट्राइक पर थे ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार ने उक्त स्ट्राइक के संबंध में कोई जांच की है ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए ।

(ग) जी हां ।

श्री मूलचन्द डागा : उस जांच का क्या फल निकला, परिणाम क्या निकला ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब दोनों पार्टीज में राजीनामा होकर स्ट्राइक खत्म हो गई है । अब कोई शिकायत नहीं है ।

प्रश्न संख्या १४१५

श्री अध्यक्ष : श्री भोगजी भाई ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४१६

श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४१७

श्री दलपतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' ।

श्री सम्पतराज : अध्यक्ष महोदय इसका उत्तर दे दिया जाय ।

नगरपालिका, झालावाड़ द्वारा हरिजनों को भारत सरकार से मिली धन राशि का वितरण

१४१८. **श्री भैंरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा सु० श्री सम्पतराज जैन द्वारा पूछा गया): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सच है कि नगरपालिका, झालावाड़ को भारत सरकार ने हरिजनों को देने के लिए रुपए २,०००)दिये थे ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त धनराशि हरिजनों को बांट दी गई ?

(२) क्या कुछ हरिजनों ने जिला कलेक्टर, झालावाड़ के पास जाकर यह प्रार्थना-पत्र दिया था कि उपरोक्त रुपया हरिजनों में

Page No 9

(श्री भैरवलाल 'काला बादल')

वितरण करने में ५ रु० की हरिजन से रिश्वत में वसूल कर लिया है ? और कुछ लोगों के रिश्वत देने में इन्कार करने के कारण रुपये वितरण करने में बाधा डाली जा रही है ?

(३) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर ने १० रु० का नोट रिश्वत में देने के लिए स्थानीय एम० एल० ए० श्री रामचन्द्र को दिया था ? यदि हां, तो उस नोट का क्या हुआ ?

(४) इस मामले में एन्टी करप्सन विभाग ने अपने रेकार्ड में क्या रिपोर्ट की है ?

(५) क्या यह सही है कि नगरपालिका के सेक्रेटरी और चेयरमैन ने हरिजनों से रिश्वत खाने के लिए एक बन्शी हरिजन को अपना एजेंट बना रखा है ?

(६) क्या यह सही है कि उस १०. रु० के नोट को श्री मांगीलाल दधीच, अध्यक्ष, मंडल कांग्रेस खानपुर ने भी अपने अधिकार में रखा है ?

(७) इस समय वह नोट किसके अधिकार में है ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) जी नहीं। ऑफिस में ऐसा कोई रेकॉर्ड नहीं है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(५) जी नहीं ।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(७) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री पी०के० चौधरी : क्या एंटी-करप्सन ने इस संबंध में कोई इन्क्वायरी की थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमारे विभाग में इस तरह की कोई जानकारी नहीं है।

प्रश्न संख्या १४१६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री सूबेदारसिंह ।

आगरा से धौलपुर आनेवाले चावलों से आक्ट्राय की वसूली

१४२०. **श्री सूबेदारसिंह** (बाड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि धौलपुर नगरपालिका के एक कर्मचारी ने लिखित में यह शिकायत की कि चावल से भरे ट्रक आगरा से आते हैं और आगरा रोड़ की चौकी पर ऑक्ट्राय न देकर बाड़ी, बसेड़ी की चौकी पर ऑक्ट्राय देते हैं और आगरा रोड़ पर रोके नहीं रुकते, बल्कि ड्राईवर चोकी वालों को डांटते फटकारते हैं ?

(२) क्या यह भी सच है कि उक्त कर्म-

Page No 10

(श्री सूबेदारसिंह)

चारी को नगरपालिका की सेवा से वंचित कर दिया।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (उप स्वायत्त शासन मंत्री) : (१) माह नवम्बर दिसम्बर १६५८ में नगरपालिका सीमा में १,१२,३४६ मन चावल आया था, जिस पर चुंगी कर का रुपया ७०२१८१ हजार नये पैसे वसूल हुए।

(२) एक कर्मचारी अस्थाई रूप से कार्य कर रहा था, अनावश्यक खर्च होने से सेवा से मुक्त कर दिया गया।

श्री सूबेदारसिंह : जो चावल आये हुए हैं, वे यू. पी. से आये हैं या धौलपुर से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो चुंगी ली जाती है, जो कस्बा होता है, उसके बाहर वह ली जाती है।

श्री सूबेदारसिंह : ऑक्ट्राय वसूल की गई, उस पर नाम लिखा जाता है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अलग अलग आइटम होते हैं, जो ट्रक आता है उस पर चुंगी वसूल कर लेंगे। आप दिन व समय पूछते तो बता देते।

श्री सूबेदारसिंह : क्या राजस्थान सरकार के पास आंकड़े म्यूनिसिपल एरिया के आ गये हैं कि ऑक्ट्राई किन किन गांवों में कहां कहां से वसूल हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप यह पूछेंगे कि किस गांव से आया तो वह मुश्किल होता है। जो रवन्ना होता है कि किस चीज पर चुंगी वसूल की जाती है, देनेवाले का नाम नहीं लिखते।

श्री सूबेदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मामला इस प्रकार का है कि मैंने २० फरवरी को प्रश्न पूछा था। उसका जवाब आया जिसमें कुछ नहीं है। आज चावल यू. पी. से आ रहा है, एक रुपया पर-बेग उस पर वसूल करते हैं, जो नहीं देते हैं, उसको रोकते हैं। इसी प्रकार ७ लाख मन मध्य प्रदेश से धौलपुर में आया है, उसको राजस्थान ने नहीं रोका, वह यू. पी. में गया। जब कांग्रेस कार्यकर्ता ने भूख हड़ताल की तब मामला एस. डी. एम. के पास चला गया। धौलपुर में चावला का प्रोडेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। वहां छः, सात लाख मन यू. पी. से आया और बाहर गया।

श्री पी० के० चौधरी : The question has not been replied completely. His question was whether the trucks coming from Agra don't pay octroi at Agra road Chowki and they pay it at Bari Baseri Chowki ? So is it correct ? that part of the question has not been replied ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : We have said that there were some complaints. These complaints were made by the Inspector. We have written to the C. P. W. D. to erect barriars but they have not agreed to it. It is only because of this that there are certain difficulties. As regards the question of another member, he has simply asked

Page No 11

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

about the Octroi duty and to it an answer has been clearly given. The Hon'ble member has not clearly stated what....

श्री पी० के० चौधरी : The question is very specific Sir. Is it correct that the trucks coming from Agra don't pay Octroi at Agra Road Chowki and they pay at Baseri? That was the specific question. Were there any complaints?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes. There were complaints.

श्री पी० के० चौधरी : Whether the complaint is correct that they are not paying at ..

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I will just inform the Hon'ble member. It will be very difficult for the Board to say that whether it is coming from Agra Road or...

श्री सूबेदारसिंह : वे दोनों रोड्स भिन्न भिन्न दिशा में हैं । आगरे से धौलपुर आने में बसेड़ी चौकी रास्ते में नहीं पड़ती, जो चौकी रास्ते में पड़ती है वहां दर्ज नहीं करा कर बसेड़ी में गलत एन्ट्रीज कराई जाती हैं ।

बाड़ी म्यूनिसिपल बोर्ड, बसेड़ी और धौलपुर के बीच में पड़ती है, वहां कतई ड्यूटी नहीं ली जाती, बसेड़ी में दर्ज करा कर देते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्यूनिसिपेलिटी का काम चौकी वसूल करने का है, यह मालूम करने का नहीं कि कहां से अनाज आया है । म्यूनिसिपेलिटी वालों ने क्या गलती की, उन्होंने तो चुंगी वसूल कर ली तो म्यूनिसिपेलिटी की तरफ से किसी प्रकार की नेग्लिजेन्स नहीं हुई है अतः म्यूनिसिपेलिटी के खिलाफ किसी प्रकार की इन्क्वायरी का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री के० पी० चौधरी : I think the Hon'ble Minister has not fully understood the question. The question is that they pay the duty at a farthes chawki. Why they avoid to pay at the nearest chawki and pay it at a farthest chawki?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : That is for the Municipal Board to decide. As soon as the truck comes to Dholpur Municipal Board, they will charge. जहां से सामान जाता है, म्यूनिसिपल बोर्ड ड्यूटी चार्ज कर लेता है ।

श्री सूबेदारसिंह : आगरे से आता है तो बसेड़ी चौकी रास्ते में नहीं पड़ती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह बात नहीं कही कि आगरे से आता है ।

श्री श्रीभानसिंह : जिस कर्मचारी की सर्विसेज़ टर्मीनेट की वह उसके शिकायत करने के बाद में की या पहले की ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बाद में ।

श्री श्रीभानसिंह : जब उस सरकारी

(श्री श्रीभानसिंह)

कर्मचारी ने कहा कि ट्रक्स रुकते नहीं हैं तो ट्रक्स को रोकने के लिये गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिये, पुलिस रखी या क्या किया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वही ट्रक आये तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है पर २ महीनों पहले एक ट्रक आया था और रोकने पर रुका नहीं तो इसके लिए वहां पर फाटक का प्रबन्ध करने के लिए लिखा गया पर नेशनल हाई वे होने के कारण इस बात को मंजूर नहीं किया।

श्री सूबेदारसिंह : रेल्वे का फाटक लगा दिया जाता है पर एक दफा तो ट्रकवालों ने उस फाटक को भी तोड़ दिया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह व्यक्ति अगर हमारे सामने हो तो एक्शन लिया जा सकता है।

श्री सूबेदारसिंह : आपके म्युनिसिपैलिटी वाले खड़े रह कर फाटक तुड़वा देते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : रेल्वे का फाटक है उसको कोई तोड़ता है तो यह कोग्निजेबल ओफेन्स है, उसको तोड़े तो पुलिस बिना किसी शिकायत के उस मामले को दर्ज कर सकती है।

श्री सूबेदारसिंह : वह मामला आज तक दर्ज नहीं हुआ है, पुलिस पूछ पूछ कर परेशान हो गई कि कौन तोड़ कर गया है पर बताया नहीं, म्युनिसिपल बोर्ड वालों ने खड़े रह कर तुड़वाया था।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसका ताल्लुक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से नहीं है, रेल्वे एक्ट को खिलाफ जुर्म किया है तो रेल्वे वालों के इसके लिये कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह : अभी एन्क्वायरी का रेफेरेन्स दिया गया तो एन्क्वायरी किस आफिसर को एन्ट्रेस्ट की थी और उसने क्या रिपोर्ट दी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इन्स्पेक्टर जांच कर रहा है, अभी रिपोर्ट पेश नहीं हुई है।

श्री श्रीभानसिंह : कौनसा इन्स्पेक्टर ? पुलिस इन्स्पेक्टर, रेवेन्यू इन्स्पेक्टर या लोकल सेल्फ इन्स्पेक्टर ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऑक्ट्राय इन्स्पेक्टर आफ म्युनिसिपल बोर्ड धौलपुर।

श्री श्रीभानसिंह : अभी तक ऑक्ट्राय इन्स्पेक्टर धौलपुर में मोजूद हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां।

श्री श्रीभानसिंह : उनके टर्म आफ रेफेरेन्स क्या थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे स्टाफ से जहां तक ताल्लुक है यह सिर्फ माल ट्रीटमेंट तक ही ताल्लुक रखता है, बाकी कहां से आया यह फूड डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, म्युनिसिपैलिटीज़ से इसका ताल्लुक नहीं है, हमारे देखने का तो केवल इतना ही है कि आक्ट्राय देते हैं कि नहीं, नहीं देते हैं तो वसूली के लिये एक्शन लेना।

श्री श्रीभानसिंह : जो फीगर्स आक्ट्राय ने दिये हैं कि ७००० के क्या वे करेक्ट हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मौके पर आक्ट्राय इन्सपेक्टर मौजूद था इसलिए करेक्ट रोंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सूबेदारसिंह : मैंने २० फरवरी से प्रश्न पूछे हैं, उनका जवाब देने को तैयार हैं क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसका कौनसा हिस्सा ऐसा है जिसका जवाब नहीं दिया। सप्लीमेंटरी में यह कहा गया कि कानून तोड़ कर अनाज आया है तो यह म्युनिसिपैलिटी से ताल्लुक नहीं रखता।

श्री सूबेदारसिंह : मेरा तो पूरी राजस्थान सरकार से ही निवेदन है कि २० फरवरी को प्रश्न पूछे, इतने दिन हो गये, क्वेश्चन्स का जवाब नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंजाब से यहां गेहूं आया है तो यहां किसी तरह का जुर्म नहीं हुआ है। इसके लिये पंजाब गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिये।

श्री सूबेदारसिंह : किसी दूसरे प्रान्त में बान लगा हुआ है कि अमुक चीज की निकासी नहीं की जाय और वह माल चोरी से आपके यहां आता है तो क्या चोरी करने वाले को आप यहां डिफेन्स देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जुर्म तो पंजाब में हुआ है पंजाब गवर्नमेंट को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए।

श्री सूबेदारसिंह : पाकिस्तान से सोना आता है तो उसको जुर्म मानते हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

राजकीय हाई स्कूल चाकसू के भवन के कमरे

१४२१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) राजकीय हाई स्कूल चाकसू में दो कमरे जो जनता एवं सरकार के सहयोग से बनाये गये थे उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा अब तक अपने अधिकार में क्यों नहीं लिया गया है ?

(ख) इन कमरों को अपने अधिकार में लेने में क्या आपत्ति है ?

(ग) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इन कमरों का निरीक्षण किया है ? यदि किया है, तो शिक्षा विभाग को इन कमरों को अपने अधिकार में लेने के लिए क्या परामर्श दिया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) और (ख) कार्य पूर्ण नहीं है।

(ग) जी हां, लिखित में कोई परामर्श नहीं दिया जान पड़ता।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : सामुदायिक योजनाओं के अन्दर जो बिल्डिंगें बनती हैं, उन मकानात की रिपेअर कराने का कौन जिम्मेदार है, क्या पी.डब्लू.डी. इनको अपने हाथ में ले लेती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब तो और भी मामला साफ कर दिया है कि कल अगर लोकल

Page No 14

(श्री नाथूराम मिर्धा)

डवेलपमेंट का काम बनता है और उसको पी. डब्लू. डी. की मेन्टेनेन्स लिस्ट पर लाना होतो उस जिले का कलेक्टर, एग्जीक्यूटिव इन्जिनियर जिस डिपार्टमेन्ट की बिल्डिंग है, उस डिपार्टमेंट का हैड ये तीनों मिल कर तय कर सकते हैं कि पी. डब्लू. डी. की लिस्ट पर इसे लिया जाय या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह : जवाब दिया जाय साहब इसका।

डायरेक्टर मैडिकल एन्ड हैल्थ द्वारा गबन

१४२२. श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (१) क्या डायरेक्टर ऑफ मैडिकल एण्ड हैल्थ, श्री बी० एन० शर्मा के विरुद्ध सरकारी गबन तथा अस्पताल की दवाइयों की बिक्री आदि के आरोप थे ?

(२) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कदम उठाया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

बी. सी. जी. के टीके

१४२३. श्री रामधन (दौसा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : (१) क्या जिला जयपुर में बी. सी. जी. के टीके लगाये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि टीका लगाने के बाद उन लोगों को टीका का असर देखने के लिए जाना चाहिये ?

(३) यदि हां, तो कितने दिन बाद व क्या इसका पालन हुआ है ?

(४) क्या यह सही है कि दौसा में टीके लगाने के बाद इन लोगों को नहीं संभाला गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) तीन दिन बाद। जिन गांवों में बी. सी. जी. के जांच के टीके लगाये गये हैं उनमें उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर चौथे दिन टीकों का असर देखा गया है। केवल नांगल, बस्सी व खैरवाल ग्रामों में जहां, १३।२।५६ को बी. सी. जी. के टीके लगाये थे, टाइम खराब होने के कारण निर्धारित समय में टीकों की जांच नहीं की गई है।

(४) दौसा में अभी तक बी. सी. जी. के टीके नहीं लगाये गये हैं अतः टीके लगाने के बाद उन्हें संभालने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज।

तहसील बौंली से तहसील निवाई व चाकसू तक सड़क

१४२४. श्री पृथ्वीराज पटेल (गंगापुर सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह

Page No 15

(श्री पृथ्वीराज पटेल)

बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या सरकार को यह मालूम है कि तहसील बोंली से तहसील निवाई चाकसू तक जो सड़क जारी है वह कच्ची है तथा इसके कारण वर्षा में आवागमन बन्द हो जाता है ?

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पक्का बनाया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) काम चालू है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४२५.

श्री अनोपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नानूराम हैड कान्स्टेबिल की गिरफ्तारी

१४२६. श्री **किशनसिंह बाटड** (लछमणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या यह सच है कि दिनांक २९. १२. ५८ को श्री नानूराम हैड कान्स्टेबिल पुलिस को चौमू के पास गिरफ्तार किया था ?

(ख) उक्त हैड कान्स्टेबिल को किस अपराध में, किसकी आज्ञा से किन किन पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार किया ?

(ग) क्या यह सच है कि उक्त हैड कॉन्स्टेबिल के खाने की रोटियां तक पुलिस ने जप्त कर ली ?

(घ) क्या यह सच है कि उक्त हैड कॉन्स्टेबिल की गिरफ्तारी के लिये जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सीकर ने सरकारी जीप पीछा करने के लिए दी, इसलिये कि उक्त हैड कॉन्स्टेबिल के पास पेम्फलेट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के विरुद्ध मिलने की सूचना थी ?

(ङ) क्या यह सच है कि उक्त हैड कॉन्स्टेबिल के पास कोई पेम्पलेट नहीं मिलने के कारण उसको गिरफ्तार कर चौमू थाने तक ला के छोड़ दिया और पाकिस्तानी सोना ले जाने का आरोप लगाया ?

(च) क्या यह सच है कि उक्त हैड कॉन्स्टेबिल के विरुद्ध चौमू थाने में इस सम्बन्ध में कोई अभियोग बनाया है ? यदि हां, तो वह किस धारा के अन्तर्गत ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह सूचना प्राप्त होने पर कि हैड कॉनिस्टेबिल नानूराम पाकिस्तान से चोरी से से लाया गया सोना एक ट्रक में सीकर से जयपुर ले जा रहा है, एस. सप. ओ. सीकर ने एस. पी. सीकर को ज्ञात कराया और तत्पश्चात एक जीप से उसका पीछा किया। गया कोई पैम्फलेट प्राप्त करने के लिए उसका पीछा नहीं किया गया।

(ङ) जी नहीं उसे बंदी नहीं बनाया गया और न ही उसको चौमू लाया गया।

(च) जी नहीं, हैड कॉनिस्टेबिल के विरुद्ध

(श्री रामकिशोर व्यास)

कोई प्रकरण थाना चौमू में पंजीबद्ध नहीं किया गया। ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि नानूराम के पास चोरी से लाया गया सोना नहीं मिला उसको मौअसिल नहीं किया गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या नानूराम ने चौमू में कोई उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा मुझे मालूम नहीं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या उसकी जामा तलाशी ली गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : जामा तलाशी ली गई और उसकी रिपोर्ट है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि उस थाने का मुकदमा नहीं होते हुए भी उन्होंने उसकी इन्क्वायरी की....

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जब जामा तलाशी ली गई तो क्या उसके पास कोई अवैध सोना पाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : उसकी जामा तलाशी किस केस में हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : शुबे में।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि उसके पास रोटियें नहीं थीं फिर भी जामा तलाशी में रोटियें दर्ज की गई हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे मालूम नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : जो मोटर भेजी गई उसका ड्राइवर कौन था ? क्या नम्बर थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : ड्राइवर कौन था क्या नम्बर थे मुझे मालूम नहीं।

श्री मदनसिंह : क्या इसके लिए अधिकारियों को मोटर भेजने का अधिकार है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां है।

श्री मदनसिंह : ये जहां जहां गये उसकी रिपोर्ट रवानगी तो दी गई होगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : होनी चाहिये। आप अलग इसके लिये पूछें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर नगर में पटरी पर सामान बेचने वालों पर कर

१५२७. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल, बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या यह सच है कि जयपुर नगर में पटरी पर सामान विक्रेताओं से कर लिया जाता है ? यदि हां, तो कितना और किस हिसाब से ?

(ख) क्या यह सच है कि घास, फल, सब्जी सब चीजों पर यह कर एक सा है ? इस प्रकार कर लगाने का क्या आधार है ?

(ग) इस कर से कितने लोग प्रभावित

(डॉ० चन्द्रकला)

होते हैं ? क्या यह सच है कि इन व्यवसायियों का एक शिष्टमण्डल नगरपालिका कमिश्नर से मिला है ? यदि हां,तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

(घ) क्या सरकार इस कर को हटवा देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) पटरियों पर सामान विक्रेताओं से कोई कर नहीं लिया जाता है। निर्धारित स्थानों पर सामान विक्रेताओं से फीस वसूल की जाती है जिसकी शरह मौके के हिसाब से है। यह फीस १ रुपया माहवार से ५ रुपया माहवार तक ली जाती है। निर्धारित स्थानों की सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(ख) घास फल सब्जी पर कोई कर नहीं है। घास व चारा बेचने वालों से एक आना प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तहबाजारी वसूल की जाती है। आधार म्युनिसिपल भूमि इस्तेमाल करके व्यापार करना है।

(ग) ६०।७० व्यक्तियों से यह फीस वसूल की जाती है। इन व्यवसाइयों का एक शिष्टमण्डल नगरपालिका कमिश्नर से मिला है। पहले यह फीस चार आना प्रतिदिन प्रति व्यक्ति वसूल की जाती थी। शिष्ट मंडल के मिलने के पश्चात फीस एक आना प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दी गई है।

(घ) यह प्रश्न सरकार की नीति पर आधारित है।

(कृपया परिशिष्ट १ का देखिए)

डॉ० चन्द्रकला : आपने बताया कि यह जो वसूली की जाती है वह ६०-७० व्यक्तियों की जाती है, क्या इसका मतलब यह है कि ६० या ७० व्यक्ति ही पटरियों पर बैठते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने कहा कि पटरियों का प्रश्न नहीं है। कुछ एरियाज मुकर्रर है जहां सामान बेचा जाता है। इन स्थानों पर ६०,७० आदमी बैठते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या जिन स्थानों को आपने बताया है उसके अलावा किशनपोल बाजार, में पटरियों पर, लोग बैठ कर सामान बेचने वाले बैठते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई ; जी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : प्रश्न (घ) के उत्तर में आपने बताया है कि यह सरकार की इच्छा पर आधारित है। मैंने भी यही पूछा था कि आया सरकार को उनको हटाने का विचार है या नहीं। सरकार की क्या नीति है। उसका उत्तर हां या ना में होना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जमीन का किराया लेते हैं। इसके लिये टैक्स को हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। टैक्स थोड़ा ही है यह तो जमीन का किराया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : पटरी पर बैठते हैं उनका सेनिटेशन चार्जेज़ कौन लेता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो म्युनिसिपैलिटी का है। उसका वे लोग यूज करते हैं। जब वे यूज़ करते हैं तो म्युनिसिपैलिटी लाइसेन्स के तौर पर लेती है।

श्री पी० के० चौधरी : Is it sufficient for the services rendered by the municipality ? Is it sufficient to meet the expenses of the services rendered by the Municipality ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस जमीन को अकेले वे ही लोग इस्तेमाल नहीं करते। दूसरे लोग भी इसका उपयोग करते हैं जब घास बेचने वाले आते है जब घास बेचने का मौसम आता है तो वे भी लेते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : अभी आपने जो बातें पूर्व प्रश्न के उत्तर में बताई उसमें और पहले आपने एक प्रश्न के उत्तर में जो बातें बताई थी आपस में विरोधी भाव है। पहले आपने बताया था कि पटरी पर बैठने वाले बहुत जमीन घेर लेते हैं....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यदि उसका उत्तर इस समय मेरे सामने रखा जावे तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं कि कौनसे मामले में कहा था। अभी यह बात नहीं कह सकता कि वास्तव में क्या बात पहले कही गई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कोटपुतली तहसील के सरकारी भवन की मरम्मत

१४२८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोटपुतली तहसील के सरकारी भवनों की मरम्मत सरकार ने कब करवाई थी?

(ख) क्या अब उनकी मरम्मत की पुन: आवश्यकता है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अब तक मरम्मत क्यों नहीं करवाई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) साधारण मरम्मत फरवरी व मार्च १६५६ में करवाई थी।

(ख) जी हां, विशेष मरम्मत की।

(ग) अर्थाभाव के कारण।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सरकार द्वारा खरीदी गई ब्लॉक मेकिंग मशीन

१४२६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर-श्री जगदीशप्रसाद माथुर द्वारा पूछा गया) : क्या मंत्री मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि गवर्नमेंट ने एक ब्लॉक मेकिंग मशीन खरीदी है ? यदि हां तो कब और कितने रुपये में ?

(ख) क्या यह सही है कि यह मशीन खरीदने से लेकर अब तक बेकार पड़ी है ? यदि नहीं, तो खरीदने के बाद से अब तक इससे क्या क्या काम लिया गया है ?

(ग) क्या यह सही है कि मशीन को उपयोग में न लिये जाने के कारण सरकार को प्राइवेट स्थानों से ब्लॉक बनवाने पड़ते हैं ? यदि हां, तो इस मशीन के खरीदने की तारीख से लेकर अब तक गवर्नमेंट प्रेस द्वारा कितने रुपयों के ब्लॉक प्राइवेट स्थानों से अब तक बनवाये गये ?

(घ) इस मशीन का उपयोग में न लिये

Page No 19

(श्री भैरोंसिंह)

जाने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है ?

उप-मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) हां एक ब्लॉक मेकिंग मशीन रु० ४४, १६६, २५ न० पै० में खरीदी है जो दिनांक ६-४-१६५८ को जयपुर प्रेस में आई व उसका एक पार्ट दिनांक ६-१२-५८ को आया।

(ख) हां यह मशीन अभी तक नहीं लगाई गई है।

(ग) हां यह सही है कि गवर्नमेंट प्रेस में ब्लॉक मेकिंग प्लान्ट न होने से ब्लॉक बनवाने का काम और स्थानों से करवाया जाता है। ब्लॉक मेकिंग का कुछ भाग अप्रेल १६५८ में और बाकी का कुछ हिस्सा दिसम्बर ५८ में इस विभाग को प्राप्त हुआ। उक्त प्लान्ट प्राप्त होने के बाद अन्य स्थानों से ब्लॉक कीमत रु० २८००) के करीब आर्डर दिये गये।

(घ) इस संबन्ध में ब्लॉक मेकर एवं फोटो ग्राफर के पद पर नियुक्ति का प्रश्न वेतन स्तर निश्चित न हो सकने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी। और न मशीन लगाने के लिये उपयुक्त स्थान ही उपलब्ध हो सका। अब इस सम्बन्ध में आज्ञा जारी कर दी गई है और मकान किराये पर लेकर मशीन लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : बाद में पार्ट आये तो क्या सरकार को पता नहीं लगा कि कौनसा पार्ट नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कम्पनी ने देखने के बाद पार्ट भेजा और जब तक पार्ट नहीं आया, पेमेन्ट नहीं किया गया। जब यह पार्ट लगा तभी पेमेन्ट हुआ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या जब तक पार्ट आने में देर लगी तो ऐसे समय में मकान की व्यवस्था क्यों नहीं की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मकान की व्यवस्था के लिये पी० डब्ल्यू० डी० को लिख दिया गया था।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ब्लॉक मेकिंग मशीन में दो तो पार्ट ही होते हैं। एक केमरा और लेन्स इसके अलावा और क्या पार्ट होते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो ४५ हजार की मशीन है। उसका एक पार्ट नहीं आया था।

डॉ० बहादुरसिंह : कौनसा पार्ट नहीं आया था। आप नाम बतावें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : इसका मेन पार्ट केमरा का लेन्स है और वह ही नहीं आया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो आप और हम दोनों ही डार्क में हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : एक पार्ट जो नहीं आया है वह लेन्स ही नहीं आया है ?

श्री अध्यक्ष : लेन्स भी एक पार्ट है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि एक पार्ट ही नहीं आया है। जब फिट हो जावेगी तब....

Page No 20

डॉ० बहादुरसिंह : कौनसा ऐसा पार्ट है। मेरी ऐसी मान्यता है कि लेन्स और केमरा के अलावा उसमें ज्यादा पार्ट नहीं होते।

श्री अध्यक्ष : लेन्स नहीं आया।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या माननीय मंत्री महोदय ने मशीन देख ली है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मशीन आ गई है यह मुझे तहकीक है।

झुंझुनू के वर्तमान थानेदार

१४३०. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मंत्री गृह विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) झुंझुनू थाने के वर्तमान थानेदार श्री बुनियादअलीखां अब तक कितनी बार मौत्तिल हो चुके है ?

(२) इस मौत्तिली के क्या कारण थे ?

(३) क्या यह सही है कि जब उपरोक्त थानेदार सिंघाना थाने के इन्चार्ज थे तब एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत हुई थी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) श्री बुनियाद अली दो बार मौत्तिल हुए हैं।

(२) एक बार उनको इसलिये मौत्तिल किया गया था कि वे अपने हैडक्वार्टर को अपने पुत्र की बीमारी की वज़ह से बिना स्वीकृति व छुट्टी स्वीकृत होने की आशा में छोड़ कर चले गये। दूसरी बार उनको एक अपराध अन्तर्गत ४४७, १४७ आई. पी. सी. पुलिस स्टेशन दौसा के सम्बन्ध में सोनया मीना से उसकी गिरफ्तारी न करने के लिये २००) रुपये रिश्वत लेने की शिकायत की जांच के बारें में मौत्तिल किया गया था।

(३) जी हां। मामला अदालत में जेर तजवीज है और सब-जुडिस है।

श्री पी० के० चौधरी : इतने काबिल हैं थानेदार आपके जो रिश्वत लेने से पकड़े जाते हैं, ड्यूटी पर पाबन्द नहीं रहते हैं तो उनको एक महीने का नोटिस देकर क्यों नहीं बरख्वास्त कर देते ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रमाणित न हो तब तक कैसे कर सकते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जब मामला सब जुडिस है और जेर तजवीज है तो फिर इस व्यक्ति को सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मामला पहली स्टेज पर है।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगल सिंह।

स्थगित प्रश्न

(३-४-५६ व २६-४-५६)

पशु मेला सेवाड़िया व सांचोर में पानी का प्रबन्ध

८५२. **श्री मंगलसिंह** (रानीवाड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

सन् ५५-५६ पशु मेला, सेवाड़िया

(श्री मंगलसिंह)

(जालोर) व सन् ५७-५८ पशु मेला सांचोर (जालोर) में सरकार द्वारा पानी के प्रबन्ध के लिए कितना कितना रुपया व्यय करना पड़ा ? तुलनात्मक आंकड़े बतावें ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : सन् ५५-५६ के पशु मेला सेवाड़िया में पानी के प्रबन्ध में ५१०) रुपए खर्च हुए। ५७-५८ में पशु मेला सांचोर में लगभग ५०००) रुपए पानी के प्रबन्ध में व्यय हुए।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

महा लक्ष्मी मिल ब्यावर

१४०५ श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तारीख ६-८-५६ को ब्यावर थाने में लालचन्द कोठारी ने कोई दरख्वास्त दी थी जिसमें यह उल्लेख था कि महालक्ष्मी मिल के पीछे ताला तोड़ कर पुलिस की सहायता व देखरेख में मुकुन्ददास राठी व उनके साथियों ने मिल कर में प्रवेश किया ?

(२) क्या यह सत्य है कि उस कार्य में उस समय का स्टेशन ओफिसर भी वहां उपस्थित था ?

(३) क्या उस समय लालचन्द कोठारी पर दफा १०७ की कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) इसमें कोई शक नहीं है कि श्री लालचन्द कोठारी ने पुलिस थाना ब्यावर में दिनांक ६-८-५८ को रिपोर्ट की थी कि मुकुन्ददास राठी और दूसरे लोगों ने महालक्ष्मी मिल के पीछे के दरवाजे को तोड़ा और उसके अन्दर घुसे परन्तु उस रिपोर्ट में पुलिस की सहायता का कोई उल्लेख नहीं था।

(२) उस समय एस. एच. ओ. वहां अवश्य उपस्थित थे किन्तु उनकी उपस्थिति केवल इस अभिप्राय से थी कि किसी प्रकार शांति भंग न हो।

(३) धारा १०७ के अन्तर्गत केवल लालचन्द और उनके आदमियों के विरुद्ध ही कार्यवाही नहीं की गई थी परन्तु मुकुन्ददास और उसके साथियों के विरुद्ध भी की गई थी।

श्री मुरलीधर व्यास : जब इस प्रकार की शिकायत की गई थी लालचन्द कोठारी के द्वारा तो जिन लोगों ने ताला तोड़ कर प्रवेश किया उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकिशोर व्यास : १०७ में चालान किया।

श्री मुरलीधर व्यास : १०७ में क्या यह ताला तोड़ कर प्रवेश करने का जुर्म होता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ब्रीच ऑफ पीस में किया था।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न यह है कि ताला तोड़ने में क्या १०७ के अन्दर चालान होता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपसी झगड़ा था। मिल में उनकी टर्न खत्म हो गई थी फिर भी उसको जारी रखना चाहते थे।

श्री मुरलीधर व्यास : यह झगड़ा तो अलग था किन्तु ताला तोड़ कर अन्दर प्रवेश किया तो १०७ में कैसे चालान किया ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : चालान कर दिया होम मिनिस्टर साहब द्वारा यही गनीमत है।

श्री महेन्द्रसिंह : १०७ प्रिवेन्टिव है या क्रिमिनल ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रिवेन्टिव है।

श्री महेन्द्रसिंह : जुर्म होने के बाद क्या प्रिवेन्टिव मेजर्स किये ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपस में झगड़ा होने का अन्देशा था।

श्री महेन्द्रसिंह : जो जुर्म हो गया उसका कोई कदम नहीं उठाया और आगे न हो उसके लिए प्रिवेन्टिव मेजर्स लिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : जुर्म हुआ इसका क्या सबूत है ?

श्री महेन्द्रसिंह : ताला तोड़ने के ऊपर ही जुर्म हो गया। आप बताइये कि जुर्म होता है या नहीं ताला तोड़ने पर ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमेशा जुर्म नहीं होता है।

श्री महेन्द्रसिंह : तहकीक बताइये सजावार होता है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमेशा जुर्म नहीं होता है।

श्री महेन्द्रसिंह : इस केस में जुर्म था या नहीं तहकीक बात बताइये।

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैं निवेदन नहीं कर सकता।

श्री पी० के० चौधरी : क्या मिल का मैनेजमेन्ट • गवर्नमेंट अपने आदमी के मार्फत करवाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी सूचना है कि शायद हाईकोर्ट से रिसीवर अपोन्ट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

श्रीमती सतवन्त कौर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट लागू किये जाने के सम्बन्ध में

१४०६. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर—श्री धर्मपाल पंवार की ओर से) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट राजस्थान में कब से लागू की जावेगी ?

(२) क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब की तरह से राजस्थान सरकार भी जिला बोर्डों को तोड़ने जा रही है ? यदि नहीं तो राजस्थान के १७ जिला बोर्डों के जो चुनाव बाकी हैं, कब तक हो जावेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(२) जी हां : सम्भवतः अक्तूबर, ५६ में जिला बोर्ड तोड़ दिये जावेंगे, अतः जिला बोर्डों का चुनाव कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० के० चौधरी : बलवन्तराय मेहता कमेटी के माफिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन लागू कर रहे हैं २ अक्तूबर से तो फिर लेजिस्लेशन कब इन्ट्रोड्यूस करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डेट तो मैं नहीं दे सकता किन्तु लेजिस्लेशन तैयार जरूर है।

श्री पी. के. चौधरी : Whether that will be introduced in this Session or not ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कोशिश की जा रही है कि इन्ट्रोड्यूस किया जाय लेकिन पहले यह केबिनेट में नहीं आया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि नायला में काफी प्रचार हो चुका हैं कि स्कीम बन चुकी है और उस तरह से पंचायतें और जिला परिषदें बनेंगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नायला में ट्रेनिंग केम्प था और औफिशियल्स को ट्रेनिंग दी गई थी कि यदि डिसेन्ट्रेलाइजेशन हो तो किस तरह से काम करना चाहिये।

श्रीजगदीशप्रसाद माथुर : इस तरह से यह पेपर्स में आया है कि जिस प्रकार कोई स्कीम बन चुकी हो और पेपर्स में पब्लिश हो गई हो तो क्या सरकार ने कोई सी स्कीम बनाई है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इतना प्रचार हुआ है जिसमें यह भी है कि कौन २ पंचायतों में अफसर होंगे ? कैसे यह रिपोर्ट आयी कि इस प्रकार से सदस्य होंगे ? यह पहले हाऊस में आना चाहिये था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट कह सकता है कि क्या पेपर्स में पब्लिश हुआ है। बिल इसके सम्बन्ध में ड्राफ्ट हो चुका है। केबिनेट में आने के बाद सदन में लाया जायेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय: इस प्रकार सूचना विकास खंडों में दी गई है कि जो विकास समिति बनेगी उसमें ये ये मेम्बर रहेंगे और विकास अधिकारियों के पास परिपत्र भी आ चुके हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टेन्टिव प्रोपोजल्स तो तैयार किये हैं। इसके लिए एक कमेटी बनायी गई थी और उसने यह किया है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : टेन्टिव प्रोपोजल्स को जब कि सदन चल रहा है उसमें न लाकर ऑफिसर्स को क्यों दे दिये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑफिसर्स के लिए एक कयास करना था कि इस तरह की बात हो सकती है। ट्रेनिंग फाइनल होने के बाद होगा।

श्री पी० के० चौधरी : Will the Hon'ble Minister give an assurance that before 2nd October, they will introduce this scheme not by bringing an Ordinance but after passing the legislation in this House.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात नहीं कह सकता कि फाईनली क्या होगा लेकिन आपने बातें कहीं उनका ध्यान रखा जावेगा।

श्री पी० के० चौधरी : We wanted an assurance. It is an important measure. It should not be introduced through an Ordinance but it should be introduced in the House.

श्री रामकिशोर व्यास : We hope to introduce this in the House,

श्री पी. के. चौधरी : To pass not to introduce it alone.

प्रश्न संख्या १४०७

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन (लूणकरन सर)

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

पुलिस कर्मचारियों के संगठन का रजिस्ट्रेशन

१४०८ **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : क्या पुलिस कर्मचारियों ने अपने संगठन को रजिस्टर्ड करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र सरकार को दिया ? यदि हां, तो यह प्रार्थना पत्र कब दिया गया और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : हां। तारीख ८ अप्रेल १६५८ को नान गजेटेड पुलिस कर्मचारी संघ, जयपुर नाम से ट्रेड यूनियन एक्ट १६२६ के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन राजस्थान ने यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया क्योंकि कर्मचारी इन्डियन एक्ट के अन्तर्गत वर्कमेन की परिभाषा में नहीं आते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : किस तारीख को सूचना दी गई। मेरा मतलब है कि दरख्वास्त पेश होने के कितने दिन बाद सूचना दी गई कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सूचना की तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ट्रेड यूनियन एक्ट में इस प्रकार का कोई क्लॉज़ है कोई कर्मचारी अपने संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई करें तो अमुक क्लॉज़ के कारण नहीं हो सकता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप क्लॉज़ देख लीजिये। वर्क मेन का प्रोविजन है और पुलिस कर्मचारी उस तारीफ में नहीं आते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरे कर्मचारी उसके अन्दर आते हैं तो ऐसा कौनसा कारण है और कौनसी ऐसी उसमें परिभाषा है कि जिसके कारण पुलिस के कर्मचारी उसमें नहीं आते हैं।

Page No 25

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो सिविल सर्विस में है उनके लिए वह लागू नहीं होता है। जैसे फेक्टरी एक्ट लागू है उसमें रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन जो सिविल सर्विजेज हैं वे इस तारीफ मे नहीं आते है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि ट्रेड यूनियन एक्ट ।....

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दलपतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

टौंक जेल में एक नवयुवक की मृत्यु

२५१६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : (१) क्या यह सच है कि १५ सितम्बर, ५८ को टौंक जेल में एक नवयुवक की मौत जेल पुलिस कार (मार) से हुई ?

(२) क्या उस लाश का उसकी (पोस्ट मार्टम) जांच कराई गई ?

(३) यदि हां तो जांच की रिपोर्ट क्या है ? उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

(४) उसका अन्तिम संस्कार किसके द्वारा कराया गया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(१) जी नहीं जेल पुलिस की कार से नहीं हुई बल्कि अकस्मात पेड़ पर से गिर जाने के कारण हुई।

(२) जी हां।

(३) पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है जिससे प्रतीत होता है कि मृत्यु खोपड़ी की हड्डी के फेक्चर के कारण हुई।

(४) उसका अन्तिम संस्कार उसके मजहब के अनुसार पुलिस ने नियमानुसार पंचायत नामा लेकर किया था।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें आपने जी नहीं कहा क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे जेल कस्टडी में उसकी मौत किस प्रकार से हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह मैंने अर्ज किया, दरख्त पर से गिरने के कारण हुई।

श्री मुरलीधर व्यास : किस प्रकार वह जेल से निकल कर पेड़ पर चढ़ गया और वहां से गिर गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जेल से बाहर निकलने का सवाल नहीं कम्पाउन्ड के अन्दर ही दरख्त है उस पर खेलते कूदते रहते हैं।

Page No 26

1

श्री पी० के० चौधरी : इस प्रकार के डेन्जरस ट्रीज आप जेल में रखने की अनुमति देते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : यह इसलिये है कि वहां पर छोटे बच्चे खेलते कूदते रहते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : जेल में कितनी ऊंचाई के पेड़ रह सकते हैं इसका कोई नियम है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रत्येक चीज का सदुपयोग व दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : जिस पेड़ पर से गिरकर वह मरा उस पेड़ की तकमीनन ऊंचाई क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : क्या यह सही है कि वहां पर ऐसे पेड़ हैं जिनकी ऊंचाई से गिरने पर कोई नहीं मर सकता ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : पेड़ पर से गिर जाने के तुरन्त बाद ही उस शख्श को डिस्पेन्सरी क्यों नहीं लेजाया गया। जेल में बन्द क्यो किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेडिकल एक्ज़ामिनेशन उसका हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरी अर्ज़ यह है कि उस व्यक्ति के पेड़ पर से गिरने के तुरन्त बाद ही उसको अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया जेल में क्यों ले गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : मेडिकल रिपोर्ट के अन्दर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओन एकाउन्ट आफ....On account of fall from a tree and fainting as given by Police गिरने के बाद में फिर. उसको जेल में क्यों ले गये।

श्री रामकिशोर व्यास : आखिर कोई पेड़ से गिर गया है तो उसको वहीं तो पड़ा रख नहीं सकते कहीं न कहीं तो उसको रखना होता है।

श्री मदनसिंह : He should have been taken to Hospital instead of going to cell. सैल में लेजाने का क्या कारण है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे जेल के अन्दर डिस्पेन्सरी है या नहीं, वहां डॉक्टर रहता है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : पार्ट टाइम रहता है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मेरा प्रश्न यह है कि डिस्पेन्सरी है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया पार्ट टाइम है।

Page No 27

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : इनडोर पेमेन्ट रहते हैं या नहीं ? डाक्टर पार्ट टाइम रहता है, डिस्पेन्सरी इनडोर पेन्टेस के लिए खुली रहती है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : डॉक्टर पार्ट टाइम आता है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : इन्डोर पेमेन्ट रहते या नहीं ? मेरा सवाल यह है, डाक्टर के जाने के बाद भी तो वहां पेसेन्ट रहते होंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय उसको २४ घंटे तक जेल में बन्द रखा गया उसके बाद डाक्टर के पास ले जाते हैं। और यहां जवाब दिया जाता है कि वह पेड़ से गिरने के कारण मरा है जेल के पुलिस की मार से मरा है क्या यह माना जा सकता है कि १६ साल का लड़का पेड़ से गिर जाने के कारण मर सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस का इसमें लेना देना क्या है। लड़का पेड से गिरता है उसके कारण मौत हो जाती है तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है।

श्री मदनसिंह : जितने भी इस प्रकार के केसेज़ हैं उनके लिए माननीय गृह मन्त्री को ज्यादा दिलचस्पी लेकर जांच करनी चाहिये। सवाल इसमें यह है कि सम्पूर्ण जांच होती नहीं है और न उसकी पूरी जानकारी ही होती है यह पूछा गया कि जेल में अस्पताल है या नहीं उसकी भी जानकारी नहीं। हमारी तरफ से तो इन्क्वायरी नहीं होती ? आपकी इन्क्वायरी नहीं होती आपको इन्क्वायरी करानी चाहिए। आप यदि इस बारे में पूरी इन्क्वायरी करते तो हमें ज्यादा शक नहीं रहता। मैं सोचता हूं इसमें राजस्थान गवर्नमेन्ट का कोई फायदा नहीं। इस प्रकार एक लड़का जेल में मर जाता है। और उसके बाद भी आपके पास पूरी रिपोर्ट नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे निवेदन किया पूरी जानकारी मेरे पास है उस मामले की इन्क्वायरी हुई। उसकी लाश का पोस्ट मार्टम हुआ। इसमें छिपाने की क्या बात है इसका पुलिस से मतलब ही क्या है।

श्री मदनसिंह : हम यहां सवाल पूछते हैं उसके बाद में जो कुछ जवाब वहां से आता है वह दे दिया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपके सवाल पूछने से पहले ही इन्क्वायरी हो चुकी थी।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : क्या माननीय मन्त्री महोदय ने इन्क्वायरी रिपोर्ट देखी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : तो क्या आप यह बता सकते हैं कि वह कितनी ऊंचाई से गिरकर मरा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : दरख्त पर से गिर कर मरा है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : जेल मेन्युअल के अनुसार जेल के अन्दर कितनी ऊंचाई से ज्यादा पेड़ नहीं रख सकते ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपको इसमें क्या मुस्तबा है, क्या शक है।

श्री पी० के० चौधरी : My one supplementary question.

Page No 28

(श्री पी० के० चौधरी)

क्या यह सही है कि जेल मेन्युअल में दिया हुआ है देट.... after every body of a prisoner, there will be one or two wardens and they will see that they will not commit suicide. So what the Warden was doing when the prisoner climbed over the tree ?

श्री रामकिशोर व्यास : हर वक्त वार्डन थोड़े ही रहता है।

श्री पी० के० चौधरी : It is in your Jail Manual and it is a practice in the Jail, they are never left uncared for. After all there should be some... one to care for the human being in the Jail...

श्री रामकिशोर व्यास : किस कारण मौत हुई यह मैंने आपको बता दिया आपके इसमें क्या एलीगेशन है आपने पूछा कार से मर गया क्या ? मैंने कहा नहीं पेड़ से गिरने से मौत हुई। फिर क्या बात रह जाती है ?

श्री पी० के० चौधरी : It is extremely careless for the human life. He was not taken to the Hospital and he was taken to the Cell, on the part of the Home Minister to reply

श्री रामकिशोर व्यास : यों कहने से तो कुछ होता नहीं नाराज आप भले ही हों।

श्री पी० के० चौधरी : It is not one instastance. There are other instances occcuring in Bikaner Jail and we see that the human being are not cared for......It is very shameful. If at all he fell from the tree, he was taken to the cell and he was not taken to the Hospital. The Home Minister should oppose for all such behaviours.

श्री रामकिशोर व्यास : आपको कुछ अधिकार नहीं। मैंने निवेदन कर दिया जो आपने एलीगेशन बताये वे सही नहीं वह पेड़ से गिरकर मरा है।

श्री अध्यक्ष : यह एलीगेशन क्वेश्चन में भी है जेल पुलिस की कार से मारा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कार से नहीं मरा बल्कि पेड़ पर से गिरजाने से मौत हुई उसके बारे मेडिकल एक्ज़ामिनेशन हुआ इन्क्वायरी हुई।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने जो सवाल किया था उसमें कार से मरने का नहीं था बल्कि मार से मरा है ऐसा लिखा था। इस बारे में शिकायत भी की गई थी कि पुलिस की मार से मरा है जेल वालों को दर्ख्वास्त भी की गई गवाह भी पेश किये गये। उनके लिए आम पब्लिक ने बाज़ार भी बन्द किया एक दिन हड़ताल तक रही लेकिन इतना होने पर भी पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं है। सारे टैंक में हड़ताल रही एक लड़के की मृत्यु हुई। इसी तरह का एक किस्सा बीकानेर जेल में भी हुआ था उनकी फोटो अभी तक मौजूद है। पुलिस की मार से मरा था लेकिन बताया यह गया कि वह फांसी खाकर मरा है। उस फोटों में धोती को गले में लटका हुआ बतलाया गया है। क्या इस प्रकार धोती से

Page No 29

(श्री मुरलीधर व्यास)

क्या किसी की मौत हो सकती है। इस तरह से पुलिस वालों को बचाने के लिये आप इस प्रकार का जवाब दें तो कोई रक्षा नहीं हो सकती यह तो आप पर बड़ा भारी लांछन है। मैं समझता हूँ आपको इसमें गहराई से देखना चाहिये और ऐसे मामले में पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने कहा इन्क्वायरी होनी चाहिये इसमें दो राय नहीं। इस केस में इन्क्वायरी हुई है। मजिस्ट्रेट ने जो फाइनिडंग दिये वे आपके सामने हैं उससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है। किसी को बचाने करने का इसमें सवाल नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : मार की जगह कार कैसे हो गया।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि मरने के बारे में यह है कि वह यदि पेड़ पर से गिरकर मरता तो उसको पैर में चोट वगैरह आती लेकिन उसकी तो हड्डी टूटना बताया गया है। इसी प्रकार बीकानेर में जो फांसी का किस्सा हुआ उसमें गले में रस्सी नहीं लगी हुई बल्कि धोती बंधी है लेकिन उसमें यह था कि बीकानेर की पुलिस ने मारा उसके कारण मरा है। उसके गले में धोती का फन्दा लगा दिया। इस प्रकार से जो जवाब दिया जाता है उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : तो इस प्रकार से जवाब देंगे तो नतीजा नहीं निकलने वाला है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके अलावा क्या कर सकते थे। एन्क्वायरी करते और क्या करते। आप ही रेमिडी बता दीजिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आप एक दफा विश्वास और करावें कि निश्पक्ष जांच होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : आप विश्वास दें कि इस सदन के नुमाइन्दे जाकर इसकी जांच करें कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। या पुलिस के अलावा दूसरे अधिकारी जाकर जांच करें और अपनी रिपोर्ट दें।

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस से इसका क्या लेना देना है।

श्री श्रीभानसिंह (बायना) : यह एन्क्वायरी आपने किससे कराई?

श्री रामकिशोर व्यास : मजिस्ट्रेट ने की, एस० डी० ओ० ने की है।

श्री श्रीभानसिंह : जब एस० डी० ओ० ने की तो जिन्होंने सरकार को कम्पलेन्ट की तो उनको एज एन एवीडेन्स और विटनैस के बुलाया गया और उनकी विटनैस ली गई या नहीं?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो आप अलग से पूछें तो जानकारी करके बता सकूंगा। पर बाकायदा एन्क्वायरी की है यह कह सकता हूं।

श्री श्रीभानसिंह : एन्क्वायरी रिपोर्ट में यह कहा गया होगा कि इतनों को एग्जामिन किया और इतनों को नहीं किया।

श्री रामकिशोर व्यास : वह ज़रूर बताया होगा।

श्री अध्यक्ष : वह मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करेंगे। देट इज़ ए पब्लिक डाकूमेंट।

श्री रामकिशोर व्यास : मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट देखना चाहें तो मैं दिखला दूंगा।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : यह मालूम हुआ है कि गवाहों के बयान नहीं लिए गये हैं, तो माननीय मन्त्री क्या दुबारा एन्क्वायरी कराने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगर आपको डाउट है तो एन्क्वायरी हो जावेगी पर इसके लिये आप हाफ एन आवर डिसकसन रख सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह मरने वाला...

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ले लिया गया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : १४२५ का उत्तर दिलवाया जावे।

सिवाना विकास क्षेत्र में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

१४२५. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा-श्रीलक्ष्मी चंद द्वारा पूछा गया): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सितम्बर, १६५८ में सिवाना विकास क्षेत्र (जिला बाड़मेर) में एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला गया था ?

(२) क्या उपरोक्त प्राइमरी हैल्थ सेन्टर अभी तक चल रहा है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सच है कि सिवाना प्राइमरी हैल्थ सेन्टर ज़िला बाड़मेर से, ज़िला जालोर के सियाणा ग्राम में ले जाया गया ?

(४) यदि हां, तो यह किस आधार पर किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(३) जी, नहीं।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सिवाना से प्राइमरी सेंटर नहीं हटाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सिवाना में तो कोई खोला नहीं ही गया।

श्री लक्ष्मीचन्द : खोला ही नहीं गया ? वहां अध्यक्ष महोदय खोला गया था, स्टाफ भी पहुँच गया था, वेतन भी उनको मिला। और आप कहते हैं खोला ही नहीं गया।

श्री अध्यक्ष : सिवाना ब्लॉक में और कहीं ले गये होंगे।

Page No 31

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, सिवाना सेंटर में खोला गया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी सूचना यह है कि वहां नहीं खोला गया था।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कहते हैं खोला गया, स्टाफ पहुँच गया, वेतन मिल गया, और आप कहते हैं खोला ही नहीं गया।

श्री अध्यक्ष : सरकारी कागजों में नहीं खोला गया होगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह कैसे हो सकता है, स्टाफ गया है, पे उठाई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अर्ज़ करूं कि बात यह हुई कि कि ५६ में सियाना में डिस्पेन्सरी खोलने की मंजूरी हुई। पर बाद में ५८ में उसे प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में कनवर्ट कर दिया गया। एक सर्कूलर यहां से इश्यू हुआ उसमें सियाणा ज़िला जालोर में खोलने की बात थी पर वहां सियाना की जगह सिवाणा लिख दिया गया। इससे थोड़ी गड़बड़ी हुई।

श्री लक्ष्मीचन्द : सियाणा ब्लॉक में है क्या ?

श्री अध्यक्ष : जालोर डिस्ट्रिक्ट में है। ब्लाक में है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ५६ में वहां सियाणा ज़िला जालौर में एक डिस्पेन्सरी खोलने का आदेश हुआ था। इसके बाद ५८ में उसे प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में बदलने का सुझाव दिया गया। उस आर्डर में सियाणा की जगह सियाना लिख दिया इससे गड़बड़ी हुई बाद में उसे करेक्ट कर दिया गया। इसलिये यह कहना कि सिवाना में खोला गया और बाद में वहां से हटाया गया यह सही नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : सिवाना में खोलने का आदेश दे दिया था वह किस कमेटी की रिकमन्डेशन पर दिया था। डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी की रिकमन्डेशन पर दिया था या क्या था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस वक्त प्राइमरी हैल्थ सेन्टर ही नहीं थे। डिस्पेन्सरी खोलते थे। पांच हज़ार की आबादी पर खोलते थे। तहसील हैड क्वार्टर देखते थे।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर खोला गया था या नहीं। इसको क्लीयर आप कर दीजिये। फिर वापिस ले गये हों यह अलग बात है। पर पहले खोला गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने साफ कह दिया है और आपने सुन भी लिया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं खोला गया।

श्री मुरलीधर व्यास : यदि खोला गया तो फिर हटाया गया तो क्या अब वापिस उस स्थान पर रखने की कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जब वे कह रहे हैं नहीं खोला गया, तो फिर इस तरह से पूछना यह हाईपोथेटिकल क्वेन्चन है। वह तो साफ कह रहे हैं नहीं खोला गया।

Page No 32

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो कागजों में आर्डर से कनफ्यूजन हो जाने से दिक्कत हो गई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

कल सरकारी संकल्प की बहस के दौरान में एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि संकल्प को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने में देर हुई है वह विधान सभा के सचिवालय द्वारा हुई है। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह की बात विधान सभा सचिवालय के बारे में कहनी है तो उसको सदन में नहीं उठानी चाहिये क्योंकि यह संसदीय परम्पराओं के विपरीत है, न तो आरोपों का उत्तर यहां दिया जा सकता है और न पूरी बहस हो सकती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर उनको शंका हो कोई तरह की और अगर इस मामले में भी वे पहले बात कर लेते तो यह हालत उत्पन्न नहीं होती यहां कुछ कहने की।

अब जहां तक देर से आने का सवाल है, वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि जैसा कल माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि विधान सभा के सचिवालय पर इसका कोई दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की जो इसमें अनुमति थी ६ फरवरी, १६५६ की थी और एक महीने के अन्दर हमारी विधान सभा के सामने यह संकल्प आ जाना चाहिये था। पर इसकी इत्तला सरकार की ओर हमको १६ मार्च, ५६ को मिली। अब मियाद ६ मार्च को खत्म होती थी और १६ मार्च को हमें संकल्प की इत्तला मिली। तो हमने वापिस उनको लिखा कि क्योंकि इसका समय निकल चुका है तो फिर राष्ट्रपति को लिखा गया और उन्होंने अपनी नई अनुमति भेजी और इसके बाद में संकल्प कल सदन में आया और बहस हुई। अगर यह बात माननीय सदस्य पहले पूछ लेते तो सारा स्पष्टीकरण हो जाता और सदन में हमारे सचिवालय के लिये कहने का कोई मौका ही नहीं पाते। इसलिये पुन: निवेदन करूंगा कि इस तरह की बात सदन में कहने से पहले मेरे से जानकारी प्राप्त कर लें और सचिवालय के विषय में इस प्रकार की बातें सदन में नहीं होनी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार की ओर से भी कोई सूचना मिली है कि इतनी देर से क्यों आया ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास।

राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १६५६

(विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर वाद-विवाद तथा विधेयक का प्रवर-समिति को निर्दिष्ट किया जाना)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दी राजस्थान प्रिवेन्शन आफ फ्यूनरल फीस्टस बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि आज की तारीख में एक तो यह बिल लिया जाये और इसके बाद में दूसरा बिल जो माननीय राजस्व मंत्री जी रखेंगे उसको विचारार्थ लिया जाकर

Page No 33

(श्री अध्यक्ष)

उसको भी आज ही पास करना है। इसलिए इस बात को देख कर माननीय सदस्य संक्षेप में रहें और आज ही दोनों को पास करना है।

डॉ० बहादुरसिंह : इसके अलावा चार बिल और हैं।

श्री अध्यक्ष : दो तो आज हमें पास करने हैं और बाकी के चार कल पास करने हैं।

रावराजा सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १६५६ जो हमारे सामने माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने पेश किया है उस पर मेरा संशोधन इस प्रकार है :

'राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १६५६ को जनमत जानने हेतु आगामी सत्र तक के लिए प्रसारित किया जावे।'

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय राजस्व मन्त्रीजी, हमारे उच्च ऋषि कुल में जन्म लेकर न मालूम आज इनको क्या उपजा है कि धर्म के हाथ धोकर पीछे पड़ गये हैं वरना यह काम तो जो राक्षस लोग होते हैं उन्हीं के करने का होता है। पहले तो आपने सन् १६५८ में मन्दिरों की जागीरी का विधेयक पास किया और उसके बाद में आपने यह हिन्दू ट्रस्ट बिल बैसाख के महीने में पास किया और अब आप पुत्र और पिता के धर्म के ऊपर भी आक्षेप कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी के कोई सन्तान नहीं होती है वह अनेक प्रयत्न करता है और फिर सन्तान नहीं होने पर भी गोद लेता है और गोद इसलिए लेता है कि वह कहते हैं मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र का क्या क्या धर्म हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि सिर्फ हिन्दू धर्म में पिता और पुत्र का यही नाता है कि पुत्र का क्या धर्म हो जाता है। किसी ने कहा है : तो देखिये जीवित तो अपने माता पिता के वाक्यों का अनुग्रह करे और मरने के बाद मृत्यु भोज करे और गया में पिंडदान करके अपने पितृ का आशिर्वाद ले। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो देश भारत है वह धर्म देश है और यही वजह है कि आज इस धर्म देश में दूसरे देशों ने आ आ करके इस धर्म की वजह से आज अपने धर्म की रक्षा करवानी चाही हैं, वे आकर अपने देश में पनाह लेते हैं। नहीं तो आप यह देखिए कि जिनका धर्म नहीं है वह तो धर्म में क्या जानेंगे ? तो धर्म में क्या अध्यक्ष महोदय, यह जो मृत्यु भोज के लिए यह विधेयक लाये हैं यह खुद आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में माननीय राजस्व मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि रिलीजन के लिए मृत्युभोज किया करते थे लेकिन यह आर्थिक ढंग से ही समझा जाये। तो जब आर्थिक ढंग से ही समझा जाये तो और भोजन नहीं होते हैं क्या ? शादियों में भोजन करते हैं, गोठ में भी करते हैं। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय कि पहले सन् ५२ में जो फीस्टिंग कन्ट्रोल आर्डर था उसका क्या क्या परिणाम निकला था। आज दिन तक भी करौली के बुरजा गांव में सरकारी कर्मचारी इसको बन्द करने के लिए गए थे उनकी जानें गई और आज वह गांव वाले चार पांच वर्ष से जेलों में सड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो कार्य है यह तो बिरादरी में जाकर करें कि आजकल फूड की कमी है इसलिए

Page No 34

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

आप जो वाजिब बात हो वह कम से कम आप कहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि फैमिली। अब फैमिली का डेफीनेशन उन्होंने सीलिंग में कर दिया है आगे इतना तो हमारे राजस्व मंत्री जी ने ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मणों की वकालत कर ली है कि उनको तो फ्री कर दिया, फकीरों को फ्री कर दिया। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि कानून जब बनाते हैं और आर्थिक कठिनाइयों की वजह से बनाते हैं तो जहां पर ज्यादा होता है वहां पर होना चाहिये। न कि मृत्यु भोज के लिए। मृत्युभोज के लिए आजकल तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि वह लोग जिन्होंने विद्या पढ़ ली है और जो लोग आजकल एडवान्स हैं वह तो बहुत कम करने लग गए हैं और जहां गांवों में प्रचार कम है वहां लोग ज्यादा मृत्यु भोज करते हैं। मैं मानता हूं कि वह लोग जो आर्थिक कठिनाई की वजह से नहीं करते हैं दूसरे बिरादरी के लोग मजबूरन उनसे कराते हैं। तो बिरादरी की वजह से जैसे पंचायतों द्वारा एक बार एक्स-पेरीमेंट कराया जाये और उसके बाद में जब सरकार यह कहे कि हमने वहां पर इतना २ प्रयत्न किया और कामयाब नहीं हुए तो फिर कहें कि हमें मजबूरन कानून लाना पड़ा। लेकिन इस कानून के लाने की वजह से मैं यह कहता हूं कि आप तो काश्तकार और लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन मैं ऐसा गारन्टी के साथ निवेदन कर देता हूं कि बजाय आर्थिक स्थिति सुधारने के वह बेचारे लुट जायेंगे और इतना लुटेंगे कि पहले जो फीस्ट कंट्रोल आर्डर था वह भी माननीय राजस्व मंत्री जी जानते हैं कि उसका क्या परिणाम हुआ और सरकारी आफिसरों के क्या क्या बंगले बन गए और सरकारी काम छोड़ छोड़ करके जिस गांव में धुंआ दिखती थी वहीं भागते थे और बेचारे गांव वालों का माल भरकर ले जाते थे और उसके बाद में बिरादरी आती थी तो वह माल बिगड़ा सो तो बिगाड़ा फिर दूसरा तैयार करते थे, तो यह कार्य तो अपने समाज को सुधार करके विद्या से उनको सिखला सिखला कर करना चाहिये न कि कानून द्वारा। इसलिए मैं तो आप से यही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आप कानून के रूप में जो यह चीज बना रहे हैं तो कानून बना बना कर आप रखिये, कोई बात नहीं है........

श्री मदनसिंह : कानून बनने से आप को क्या डिफिकल्टी है। आज तो बड़े बड़े लोग जीवित मोसर करते है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह तो वही करते हैं जिनके कोई होता ही नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : इसमें भी व्यवस्था करने की तो है।

रावराजा सरदारसिंह : यह तो वाकई में वेस्ट है। पर जीवित ही मर जाय तो. ..

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या माननीय सदस्य कह रहे हैं कि स्पेशल केस में खास तौर से उन्हें कन्सीडर कर लिया जाये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो कानून हैं मन्त्री जी को खुद को तजुर्बा

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

है कि फीस्टिंग कन्ट्रोल आर्डर में मुझे भी तजुर्बा है। उस समय में मेरी भी पुलिस का एकीकरण हो चुका था। पहले थानेदारों की क्या हालत थी फीस्टिंग कन्ट्रोल आर्डर के बाबत क्या हालत होगी। गांवों में किसानों को सुधारने और उनकी आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए, उनके कर्जे में किफायत करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन ऐसा होते हुए भी नुक्ता होगा जरूर और उनको रुपये अलहदा देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आप समाज और प्रदेश की उन्नति करने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे यहां इसी तरह नुक्ते के बारे में पंचायत हुई हरिजन भाइयों की ओर से उन्होंने क्या किया? पंचायत करके पंचायती कानून कर दिया कि ३० वर्ष से नीचे नीचे कोई मरे जब न तो कोई जीमने जावे और न नुक्ता होने दें, और जो वृद्ध आदमी मरा हो, खाता पीता घर हो, उसके पोते पड़पोते हों उसके पीछे कोई नुक्ता करे तो कर देना चाहिये। शादी विवाह में भी खर्चे को कमी करनी चाहिये,इस तरह से उन्होंने नुक्ता करने की प्रथा बंद कर दी। इसी तरह से मैं कहता हूं कि आप बिरादरी के द्वारा पंचायत के द्वारा बंद करवाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा,हम लोग भी आप की मदद करेंगे। यह मेरा निवेदन है कि आप उसको सिलेक्ट कमेटी को भेज देने के बजाय पहले जनता को यह बतावें कि हम तुम्हारे लिए इस तरह का कानून बनाना चाहते हैं . . .

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप जन प्रतिनिधि नहीं हैं क्या ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : जनता को यह बतावें कि हम नुक्ते का कानून बना रहे हैं, उस वक्त अच्छे से अच्छे सुझाव आयेंगे। हम जनता से कहेंगे कि तुम अपने आप सुधारोगे नहीं तो तुम्हारे लिए कानून बनावेंगे और कानून से तुम लुटोगे जैसे सन् ५२ में जैसा तुम्हारा हाल हुआ उसी तरह का हाल होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाय क्योंकि यदि आप इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज देंगे तो जो इस वक्त कानून हैं वे भी ओड़ दिये जायेंगे। इसलिए मैं तो यह निवेदन करूंगा और सभी माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि जनमत जानने के लिए भेजा जाय और देखा जाय कि इसका क्या रिएक्शन होता है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है : that the Bill be referred fo Select Committee.

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन प्रस्ताव रखने से मेरा यह मतलब नहीं है कि मृत्यु भोज के मैं पक्ष में हूं। लेकिन जिस रूप में यह बिल आया है वह ठीक नहीं है और जिस भावना से सरकार इसे पारित करना चाहती हैं वह ठीक ढंग से कामयाब नहीं होगा। हमारे समाज में कई धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज आदि काल से चल रहे हैं। धीरे धीरे समाज आगे बढ़ा और इन रीति रिवाजों ने कुरीतियों का रूप धारण किया। आज बड़े भयंकर रूप में ये कुरीतियां चल रही हैं जिनसे समाज में काफी कमजोरी आई है। आज जिस तरह से मृत्यु भोज की कुप्रथा है उसी तरह से बालविवाह, पर्दा प्रथा आदि भी है और इस दृष्टिकोण को लेकर सरकार ने भी कई प्रयत्न किये हैं कि

(श्री सोहनलाल भटनागर)

इनको कानून के द्वारा बंद किया जाय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस मत का हूं कि कानून के द्वारा सामाजिक कुरीतियों समाप्त नहीं होंगी, बल्कि उसके लिये इस बात की जरूरत है कि समाज को शिक्षित किया जाय और उसके जरिये कुरीतियों को बन्द किया जाय और उसके लिये वातावरण तैयार किया जाय। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, धार्मिक रीतिरिवाज समाज में इतने गहरे घुसे हुए हैं कि उनको दूर करना मुश्किल होता है। जैसा कि उनियारा से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया इस प्रकार का कानून कंट्रोल के जमाने में भी मौजूद था लेकिन उस समय जिस तरह से इसे लागू किया गया उसका नतीजा हमने अच्छी तरह से देखा है। मैंने जैसे पहले निवेदन किया, यह भावना से ताल्लुक रखता है, धार्मिक भावना से ताल्लुक रखता है इस वजह से समाज में रहने वाले व्यक्ति इसको रोकने वाले नहीं हैं इसके लिये उनको चाहे जितना त्याग करना पड़े, करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस सामाजिक कुरीति को कानून के द्वारा बदला गया तो यह निश्चिय है कि इसके कारण समाज को तकलीफ पड़ेगी क्योंकि हम मानते है कि समाज में जो पढे लिखे लोग हैं, जिनमें प्रशिक्षण मौजूद है वे कुरीतियों को नहीं अपनाते और उनके विरूद्ध हैं लेकिन हमारे समाज के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं वे इस कानून का पालन नहीं करेंगे और पुलिस के हाथ में आप जो सत्ता दे रहे हैं तो इसका वही हाल होगा जो कंट्रोल के जमाने में हुआ था। आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। एक व्यक्ति मृत्यु-भोज करता है तो उसको दूसरा मृत्यु भोज पुलिसवालों के लिए करना पड़ता है। इसलिये यह निवेदन है कि सामाजिक कुरीतियां हैं उनको जरूर मिटाना हैं लेकिन ढंग से मिटाना है। जैसे सोशियल एज्युकेशन ओफिसर मुकर्रर किये हैं उनकी सहायता ली जा सकती हैं, दूसरी तरह से भी कार्यवाही कर सकते हैं, राजनैतिक पर्टियों और पंचायतें सारे मिलकर इन सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का प्रयत्न करें तो मेरे ख्याल से ठीक तरह से कामयाबी मिल सकती है।

दूसरी बात यह हैं कि जिस रूप में यह बिल आया है उसका इसलिये पर्पज़ समाप्त हो जाता है क्योंकि इसमें यह लिखा है कि फेमिली फीस्ट हो सकता है और फकीरों को खिला सकते है। लेकिन पहले जो शिकायत थी कि १०० या १५० को ही खिला सकते है, इसमें संख्या मुकर्रर नहीं होने से बहुत मुमकिन है कितने ही आदमियों को इस नाम से खिलाया जा सकता है। फेमिली मेम्बर्स और फकीरों की संख्या में छूट करने के कारण इसका जो पर्पज है वह डिफीट होगा। पुलिस को जैसा अधिकार दिया है इन्वेस्टिगेशन करने का इससे पहले जैसा प्रश्न खड़ा हुआ था और आवाज उठी थी उसी तरह से दुरूपयोग होगा यह मैं भी मानता हूं, जनता मृत्यु भोज करती रहेगी जैसा अब भी करती है इससे हमारा जो पर्पज है वह डिफीट हो जायगा। मैंने सारी चीजों को देखते हुए यह प्रस्ताव रखा है।

तीसरी चीज़ यह है कि मृत्यू भोज पर ही प्रतिबंध लगाया है। दूसरी जितनी चीजें गंगोत, विवाह आदि मौकों पर जो भोज होते हैं उनको जारी रखने की व्यवस्था रह

(श्री सोहनलाल भटनागर)

जाती है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु भोज करने से रोका जाता है और दूसरे जीमण दूसरे तरीकों से करता आ रहा है उसको यदि करने की इजाज़त देंगे तो मैं निश्चित तौर से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन आर्थिक कारणों से यह कानून बनाना चाहते हैं वह डिफीट होगा और मृत्यु के नाम पर भोज न भी करें लेकिन गंगोज, यात्रा या शादी के नाम पर करेंगे या लोग जिन्दा भोज कर देंगे। इन सब दृष्टिकोणों से यह बिल पूरा नहीं है। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह है कि सामाजिक कुरीति को दूर करने के रूप में यह बिल है तो यह जरूरी हो जाता है कि सरकार और समाज दोनों को मिल कर समाज में चेतना पैदा करनी चाहिये। लोगों में यह भावना पैदा करनी चाहिये जिससे वे लोग इसे मानने को तैयार हो जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज यह बिल हमारे सामने आया है और आज ही हम इसको पारित कर देते है तो सामाजिक भावनाओं को और विचार धाराओं को ठीक ढंग से नहीं जान पायेंगे और यदि सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया तो समाज की विचार धारा भी हमारे सामने आयेगी और समाज को प्रोत्साहन मिलेगा। इस दृष्टिकोण से मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १६५६ सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है और यह प्रस्ताव पेश हुआ है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, मैं इसका समर्थन करता हूं। राजस्थान में मृत्यु भोज का जो प्रश्न है उस सम्बन्ध में मैंने एक निजी विधेयक रखा था और उसे इस कारण से वापिस लिया था कि राज्य सरकार इस तरह का विधेयक पेश करने वाली थी। इस विधेयक को देखने के बाद मुझे जो कमियें इसमें प्रतीत होती हैं, मैं उनको सदन के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले जो फ्यूनरल फीस्ट का सवाल है कुछ इस प्रकार की परिभाषा है जिसमें थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि मृत्यु भोज ही रख दिया जाता तो ज्यादा उत्तम होता। इस प्रकार से इसमें जो फीस्ट के सम्बन्ध में परिभाषा मृत्यु भोज की की गई है उसमें कमी है। यहां पर मृत्यु भोज का तात्पर्य यही होत है कि मृत्यु के उपरान्त भोजन कराये उसी के सम्बन्ध में है। यदि वह त्रियोदशी के बाद छमाही या बरसी होती है वह की जाती है वह इसमें सम्मिलित नहीं है। बात यह होती है कि इस कानून से बचने के लिए मृत्यु भोज न करें और जो शुद्धि संस्कार हैं उसके करने के बाद उसकी इस कानून में पूरी छूट है। पिछली दफा जनमत के लिए जिन माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया था उनकी समझ में मेरे ख्याल से यह चीज़ नहीं आई कि इस पर पूरी तरह प्रतिबन्ध किया गया है, लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो शुद्ध संस्कार हैं उसकी पूरी छूट है। लेकिन उसके साथ में एक समस्या खड़ी कर दी गई है कि फकीरों को खिलाया जायगा। यहां फकीरों को खिलाने का सवाल नहीं है। अगर फकीर अपने आप आजाय तो वह बात दूसरी है लेकिन विशेष तौर से फकीरों को नहीं बुलाया जाता है। ज्यादातर ब्राह्मणों को बुलाया जाता है या भिक्षु लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। इसलिए फकीर का

(डॉ० बहादुरसिंह)

जो प्रश्न रखा गया है वह अन्य जाति से सम्बन्ध रखता होगा। इसको वाइड करने का सवाल आयेगा।

इस प्रकार से इसमें लिमिट भी नहीं बताई गई है कि कितने व्यक्तियों को खिला सकते हैं। यदि फकीरों को खिलाना चाहते हैं तो सारे लोगों को कह देंगे कि ये सारे लोग फकीर हैं। इस तरह से कुछ लिमिट होनी चाहिए कि इतने व्यक्तियों को खिला सकते हैं।

जहां तक परिवार का सम्बन्ध है इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि लोग अपने रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं। वह निकटतम रिश्तेदार होते हैं। वह फैमिली की परिभाषा में नहीं आते हैं। इसलिए निवेदन करता हूँ कि फैमिली के साथ रिश्तेदार लोग हैं वह सम्मिलित हो सकते हैं।

इस तरह से जो कमियां हैं, मैं समझता हूं कि वे सिलेक्ट कमेटी में दूर हो सकती हैं। यदि सदन स्वयं ही उनको दूर करना चाहे तो मैं इस बात को प्रैस नहीं करने को तैयार हूं कि सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय लेकिन जो कमियां है खास तौर से जो जुर्माने की व्यवस्था है कि जुर्माना कितना हो या इसमें इंगित नहीं किया गया है कि उसकी लिमिट क्या होगी। यह ठीक है कि उसको ६ महीने की सजा होगी लेकिन जुर्माने के लिए इसमें कुछ नहीं दिया गया है।

दूसरी तरफ यह व्यवस्था की गई है कि महिलाओं और १४ साल से नीचे के बच्चों को शारीरिक दण्ड नहीं देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो ४, ५ हजार का भोज करता है उस पर अगर आपने ५०० रु. या १००० रु. कर दिया तो वह समझेगा कि जहां ४ हजार लगा और ५०० रु. जुर्माने का और ज्यादा दिया। इसमें महिलाओं को दण्ड नहीं देने की व्यवस्था है। आपने महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की है। उनके विशेष अधिकार समाप्त हैं तो सजा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से उनको एक्जैम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके लिए साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि एक परिवार का व्यक्ति मरे तो उसकी विधवा के लिए यह कहा जा सकता है कि विधवा शोक के कारण मृत्यु भोज कर रही है इसलिए दण्ड नहीं देना चाहिये, लेकिन जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं कम से कम उनको शारीरिक दण्ड देने की आवश्यकता है। यह मजिस्ट्रेट और परिस्थितियों पर डिपेन्ड रहना चाहिये कि किन परिस्थितियों में मृत्यु भोज किया गया था, तो महिलाओं को दण्ड दिया जाय या नहीं। लेकिन यहां पर एक्जेम्प्ट नहीं किया जाय। लेकिन १४ साल से नीचे के बच्चे की बात थी तो वह नाबालिग था उसको शारीरिक दण्ड नहीं दिया जा सकता है, यह मैं उचित समझता हूं। लेकिन महिलाओं का जहां तक प्रश्न है वह नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात, जो इस बिल की मन्शा है वह राजस्थान के कम से कम इधर के जो इलाके हैं जयपुर और जोधपुर साइड का उसमें यह रिवाज ज्यादा है और लोग ४, ५ हजार की बड़ी बड़ी दावतें करते हैं और खिलाते है मृत्यु भोज के नाम पर हमारे किसान की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ी हुई

Page No 39

(डॉ० बहादुरसिंह)

है। मैं समझता हूँ कि सदन इन बातों पर विचार करेगा और इन पर विचार करने के लिए इस को सिलेक्ट कमेटी को देगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाय। जिस प्रकार से यह विधेयक आया है उस पर मेरे को सख्त आपत्ति है। वैसे तो मेरी यह मान्यता है कि जितने भी सामाजिक जीवन में जिस प्रकार के अवसर आते हैं उनमें राज्य सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो। अगर राज्य सरकार सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप प्रारम्भ कर दे तो समाज के विकास की जो धारा है वह समाप्त हो जायगी, और हमने आज तक देखा है कि जहां भी राज्य में सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया है वहां सरकार को कम सफलता मिली है, और समाज के अन्दर भ्रष्टाचार अधिक व्याप्त हुआ है। हमने एक बार एक कानून बनाया था बाल विवाह के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में हमने एक उम्र तय की थी कि इस उम्र से कम बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं परसों रात को आ रहा था गाड़ी से तो जयपुर की सड़कों में जहां कि राज्य के मन्त्री बैठते हैं, आई० जी० पी० रहते हैं, और पुलिस के बड़े २ अधिकारी बैठते हैं, वहां पर ६, ६ वर्ष के बच्चों को घोड़ों पर बिठाकर सारे आम बाज़ार में उनकी बिन्दौरी या निकासी निकल रही थी और शादी होने जा रही थी। उसके अन्दर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो रहा था। वह जयपुर की चौपड़ से जहां कि कोतवाली है बाजे बजते हुए सरेआम से निकल रहे थे। उसमें सरकार के किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने की व्यवस्था नहीं रहती है। ऐसी बात नहीं कि उनको अवसर नहीं मिलते हों, पुलिस के अधिकारी देखते भी हैं और देखकर जाने देते हैं। अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और ऐसी प्रकार की कुरीतियां चालू रहती हैं। तो क्या आप इस प्रकार का कानून बनाकर इस प्रकार की कुरीतियों को समाप्त कर सकते हैं। इसका "यह अर्थ नहीं समझें कि मैं कुरीतियों के पक्ष में हूं, मैं मानता हूं कि यह कुरीति है। इस प्रकार के भोज नहीं होने चाहिए। मैं स्वयं इसका भुक्त भोगी हूं। मेरे परिवार के अन्दर ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि इस प्रकार से मृत्युभोज नहीं किया गया और मेरे स्वयं के पिताजी का देहान्त हुआ तो आपत्ति की गई कि तुम को मृत्युभोज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने समाज की परवाह नहीं करके एक वर्ष पूर्व ही अपने घर से बन्द किया। मेरी माताजी और लोगों को आपत्ति हुई थी तो मैंने कहा कि मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा। वह मेरे घर से बन्द हो गया। मैं नहीं मानता हूं कि इसमें सरकार हस्तक्षेप करे, सरकार के हस्तक्षेप से यह बात बिल्कुल बन्द हो जायगी यह मेरी मान्यता नहीं है। इस प्रकार का जो विधेयक लाया गया है उससे इस प्रकार से हल नहीं होने वाला है, बल्कि उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसमें किसी को अगर अधिकार दिया है तो राज्य सरकार की पुलिस को अधिकार दिया है कि पुलिस जाकर रोकेगी। आज तक पुलिस के पास इतनी बड़ी एजेन्सी नहीं है कि पुलिस गांव गांव के अन्दर जाकर इस बात को रोक सकेगी। दूसरे आज हमारी पुलिस स्वयं भ्रष्टाचार में इतनी ग्रसित है जैसा कि उनको पता है। पहले जब भूतपूर्व जयपुर स्टेट थी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

उस समय अनाज की महगाई देश के अन्दर बढ़ी तो सरकार ने तय किया था कि मृत्युभोज नहीं हो। तो हम देखा करते थे कि पुलिस का थानेदार आकर बैठ जाता था और थानेदार की मौजूदगी में इस प्रकार के मृत्यु-भोज होते थे, और थानेदार २००, ५०० या १०००) रु० लेकर उन मृत्युभोजों को करवा दिया करता था। आज भी क्या होगा कि इस प्रकार से थानेदार जायेगें, पुलिस का हैडकान्स्टेबल जायगा और कहेगा कि या तो इतना रुपया दो वर्ना शिकायत करते हैं। हर गांव के अन्दर इस प्रकार भ्रष्टाचार होगा, राज्य सरकार कानून से बन्द करवाना चाहती है और ईमानदारी से बन्द करवाना चाहती है तीसरे अधिकार उसको पंचायतों को देना चाहिए, अगर पंचायतों के अन्दर इस प्रकार से यह चीज कम्पल्सरी बनाना चाहिए कि अगर किसी पंचायत के अन्दर यह हो गया वहां के पंच और सरपंच डिस्क्वालिफाइड कर दिये जायेगें। पंचायतों के अन्दर पार्टियां होती हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को गिराने की कोशिश करती है। अगर थानेदार आकर उसका काग्नीजेन्स नहीं लेता है तो पुलिस के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते हैं। पुलिस रुपये खाकर उस मामले को दबा सकती है, लेकिन सरपंच और पंच अपने क्षेत्र के उस मामले को कभी भी दबा नहीं सकेगें। इसके अन्दर पुलिस को बिल्कुल ही नहीं लाया जाय। मुझे पता है कि आज से डेढ़ साल पहले एक यहां पर सरपंचों का सम्मेलन हुआ था, उसमें माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आये थे तो उस सभा के अन्दर एक सरपंच ने उठाकर के कहा था कि सरकार मौसर को बन्द नहीं करती है तो पंडितजी ने खास तौर से कहा था कि राजस्थान में अब भी ऐसा चल रहा है। सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं कहा था कि इसके बारे में तुरन्त कानून बनाने जा रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे सामने सरकार जो कानून लाई है, क्योंकि सरकार ने सरपंच सम्मेलन में फैसला किया था कि मृत्यु भोज को बन्द करना चाहते हैं, उसके लिए कानून ला रहे हैं। इसमें सरकार पंचायतों को भूल गई है और कम्प्लेन्ट करने का अधिकार पुलिस के हाथ में दे दिया है। मैं समझता हूँ इस प्रकार इसे किसी रूप में बन्द नहीं कर सकते। इसके अन्दर, माननीय अध्यक्ष, जो सबसे बड़ा एक्जेम्पसन दिया है वह स्त्रियों को दिया है। आज मृत्यु भोज करवाने में समाज में किसी का बड़ा हाथ है तो स्त्रियों का है। किसी घर में कोई मरता है तो सबसे पहले स्त्रियां रोटी खाना बन्द कर देती है। वे अपने लड़के को कहती हैं कि अगर मृत्यु भोज नहीं किया तो मेरा जन्म कर्म खराब हो जायगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूगी और इस प्रकार वे लड़के को परेशान करती हैं। इसके अन्दर आपने एक्जेम्प्सन दे दिया है नाबालिग बच्चे को। यह जरूरी नहीं है कि मरने वाले का बच्चा बालिग हो, यह कोई जरूरी नहीं है। अब यदि मरने वाले का कोई वारिस नाबालिग हुआ तो वह मृत्यु भोज आराम से करे, उसके सम्बन्ध में रोक नहीं है। आप कहें जिसने इवेट किया है, इन्सटीगेट किया है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। वे कहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया हैं, हमको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक को रखने की जो आवश्यकता है, जहां इस प्रथा को रोकने की आवश्यकता है, इस प्रथा क

(जगदीशप्रसाद माथुर)

रोकने के लिए हम समाज के अन्दर इस प्रकार के इन्सटीट्यूशन्स बनायें कि समाज में स्वयं इस प्रकार का वातावरण पैदा हो। जो समाज की कुरीतियां हैं, उनको रोकने का अधिकार पुलिस को दे दिया तो कुरीति रुकने की नहीं है, बल्कि बढ़ेगी और समाज में भ्रष्टाचार पैदा होगा। तो पंचायत के आधार पर इस प्रकार का वातावरण निर्माण करें, इस प्रथा को रोकने के लिए पंचायत के पास आवश्यक शक्ति हो और इसके लिए आप पंचायत के लिए डिसक्वालिफिकेशन रख सकते हैं कि जो आदमी इस प्रकार का काम करेगा, इस प्रकार के आफेन्स में भाग लेगा, वह आदमी पंचायत के अन्दर सरपंच बनने के लिए लिए डिसक्वालिफाइड हो जायगा, यह कर सकते हैं। जिस सरपंच के क्षेत्र में मृत्यु भोज होता है, इसके लिए डिसक्वालिफेशन निश्चित करें कि तुम्हारे क्षेत्र में हुआ है इसलिए तुम्हें डिसक्वालिफाइ करें। ऐसा करेंगे तो हर सरपंच में एक जिम्मेदारी जाग्रत होगी, वह देखेगा कि अगर कोई आदमी उस क्षेत्र में मरता है, तो वह सरपंच लोगों से मिल कर ऐसा वातावरण बनायेगा, वह कोशिश करेगा कि इस प्रकार का वातावरण बने, वे मृत्यु भोज नहीं करें पुलिसवाले वातावरण नहीं बनायेंगे, वे तो, जो वहां लड्डू सीरा बनेगा, वहां बैठेंगे और हजम करेंगे। पुलिस वाले पहले नहीं कहेंगे कि यह नहीं करना चाहिये, यह काम पुलिस का नहीं है। अभी मंत्री महोदय ने कहा था कि ताला टूट गया, उस ताले के टूटने से झगड़ा नहीं हो, इसलिए पुलिस पहुँचो। यानी ताला जब टूट गया, उसके बाद पुलिस जायगी। इसी तरह यहां पुलिस जब मृत्यु भोज का सामान तैयार हो जायगा मिठाई बन जायगी....

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें कहां लिखा है कि पुलिस जायगी ? यह कोग्नजेबल आफेन्स है यह इसमें कहां है ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नहीं है लेकिन इस प्रकार से होगा।

श्रीदामोदरलाल व्यास : यह कानून की बात है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और अन्य एक्ट में जो प्रिन्सिपल्स है उनके अनुसार यह कोनिग्जेबल है या नहीं, इसमें क्या प्रोसीजर एडाप्ट होगा, यह उस कानून में देखिये। यहां ठीक राय जाहिर करने के लिए कानून के प्रॉसीजर को समझना चाहिए यह किसी दूसरी किताब में लिखा हुआ है, इसमें नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अगर माननीय मंत्री इस बिल को पढ़ें, तो इसमें जुरिस्डक्शन लिखा है, उसमें, लिखा है : "6. Jurisdiction. No court other than that of a Magistrate of the First Class shall take cognizance of, or try, any offence punishable under this Act." मेरी आपत्ति है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास कौन जायगा....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप कानून में पढ़िये जिसमें यह लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप बता दीजिये।

(हंसी)

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं कि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, अदर लाज शिड्यूल्ड हैं, उसमें प्राविजन है कि नॉन कोग्निजेबल होगा या कॉग्निजेबल होगा वारन्ट होगा या समन होगा। आप यह प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि पुलिस पहुँच जायगी, १०७ लग जायगी या ११६ लग जायगी। यह सब लिखा है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप यह कह कर टाल नहीं सकते।

श्री महेन्द्र सिंह पवार : प्रोसीजर यह है कि छः महीने की सजा के आफेन्स सी आर० पी० सी० में वह कॉग्निजेबल माने जायेंगे। माननीय सदस्य का एतराज है कि पुलिस को कम्प्लेनेन्ट माना जायगा। सी आर० पी० सी० में है कि प्राईवेट एप्लीकेशन नहीं ले सकते। आपका कहना है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप देखिये कि प्राइवेट है या नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसमें लिखा है कि जो सजा दी गई है it may extend to six months. फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डील करेगा, वह इन्जक्शन जब करेगा, जब उसे पता चल जायगा कि इस आदमी ने मिठाई वगैरह तैयार कर ली हैं, अंत में उसे सजा हो जावे, वह निर्णय कर दे, इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न कर दे, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाय। इसलिए कानून बनायें तो ठीक बनायें। जब इतना समय बरबाद कर रहे हैं तो जो कानून बनायें वह ठीक बनायें ..

श्री मूलचन्द डागा : समय बरबाद नहीं कर रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : समय बरबाद नहीं कर रहे हैं तो समाज में एक गलत वातावरण निर्माण कर रहे हैं ..

श्री महेन्द्रसिंह पवार : मैं थोड़ा क्लेरीफाई कर दूं। माननीय मन्त्री जी ने फर्माया कि इन्जक्शन का प्राविजन है, वह सेक्शन सात में है। ड्राफ्ट बिल में उसका प्रोसीजर नहीं है कि मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन कौन देगा यह कॉग्नीजेबेल आफेन्स है या नहीं। पुलिस की अर्जी की तरजीह नहीं होती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी कौनसी मुमानियत है। माननीय सदस्य कुछ वकील हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि कौनसी मुमानियत है कानून में कि पुलिस अर्जी नहीं दे सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन है इस बात के लिए।

श्री महेन्द्रसिंह पवार : सी आर. पी. सी. के मातहत जो यह पुलिस की पॉवर में नहीं आता है, पुलिस कम्प्लेन्ट नहीं कर सकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप लायक वकील हैं। आप समझते हैं कि सी आर. पी. सी. के मातहत कॉग्निजेबल केस नहीं है। पुलिस को जब इन्वेस्टीगेशन करने का राइट है तो पुलिस उसकी कम्प्लेन्ट भी कर सकती है और उस पर एक्शन हो सकता है। पुलिस कम्प्लेन्ट कर सकती है. Police can be complainant even though the case may be non-cognizable. इसमें कोई मुमानियत नहीं है कि पुलिस इंजक्शन के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकती है। कोई आदमी दे सकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पुलिस दे देगी ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मुझे दुःख है कि एक इस प्रकार का कानून बनाने जा रहे हैं जिससे समाज में कुरीतियां हों। इसका अर्थ है कि सरकार एक कुरीति को मिटाना चाहती है और समाज में दूसरी कुरीति, एक अव्यवस्था स्थापित करना चाहती है। राज्य सरकार व्यवस्था करती है, उससे समाज में पड़ोसियों को लड़ाना चाहती है। आपस में कौन किसकी शिकायत करेगा जहां कि सारे के सारे आपस के व्यक्ति इकट्ठे होते हैं। या तो कोई जेलेसी से, ईर्षा से शिकायत करेगा। दूसरा शिकायत करने नहीं आयेगा, क्योंकि सब लोग खाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर कहीं भोज होगा तो सब लोग खाने पहुंचेंगे। वे वहां जायं नहीं, खाने के लिए तैयार न हों, हमें उन्हें रोकना है। इसलिए इस बात को रखना चाहते हैं तो ढंग से रखें, इस ढंग से रखें कि वास्तव में झगड़ा खत्म हो। वरना जैसे बाल विवाह कानून बन गया, लेकिन आप बाल विवाह को रोक नहीं सके। आज भी बाल विवाह उसी रूप में हो रहे हैं, उसको हम रोकने में सफल नहीं हो सके। ऐसा कानून आप बनाते हैं तो आपकी इच्छा है। आपकी नीयत यदि यह है कि क्योंकि माननीय पंडित जी ने कहा था, इसलिए पंडित जी को बता दें सरपंच सम्मेलन में कहा था इसलिए यह कानून बना दिया, यह आपकी नीयत है कि आप बड़े अधिकारियों को दिखाना चाहते हैं कि यह प्रगतिशील कानून बना दिया तब तो बात दूसरी है। अगर ईमानदारी से आपकी इच्छा है कि वास्तव में यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए, किस ढंग से समाप्त होनी चाहिए, उन तरीकों पर चलें। थोड़ा इस ढंग से पुलिस को अधिकार देकर यह करना चाहते हैं तो यह प्रथा समाप्त नहीं होगी बल्कि किसी रूप में भ्रष्टाचार नये ढंग से करने का अधिकार सौंप रहे हैं। इस कानून के कारण समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए यह ज़रूरी है कि इस बिल पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। यह सोचें कि क्योंकि आज यह विधेयक पारित करना है, इसलिए जल्दी करें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि समाज के जीवन पर गहरा असर करने वाला है, १०,२० व्यक्तियों पर नहीं बल्कि हर व्यक्ति पर असर करने वाला है, गांव के गांव पर इसका असर होगा। आज भी अखबारों में आया था कि राजस्थान विधान सभा में इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत हुआ है तो गांव गांव में खबर फैल गई है कि मौसर सरकार बन्द करने वाली है। आज यह किसी से छुपा नहीं रहा है। यह कानून हर जन जीवन पर असर करने वाला है, जब यह जन जीवन पर असर डालेगा तो वहां लाइटली टाल दें कि कौन कॉग्निजेंस लेगा कौन नहीं लेगा, इस बात को टालना चाहते हैं मन्त्री महोदय तो इस बिल को पास कराने की आवश्यकता नहीं। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वे खुद इस बात की कोशिश में हैं कि मृत्यु भोज नहीं हो। पर पुलिस की कार्यवाही से तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा और यह प्रथा रुकेगी नहीं। अगर इसकी आवश्यकता है तो ठीक तरह से इस पर विचार कर के सदन इसे पास करे, यही मेरा सदन से आग्रह है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

Page No 44

अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मृत्यु भोज विधेयक १६५६ के सम्बन्ध में इसको प्रवर समिति को सौंप देने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करती हूं। सबसे पहले बात जो इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये विचार करते समय आवश्यक लगती है वह इस विधेयक के शीर्षक के सम्बन्ध में है। जिस समय यह विधेयक सदन में प्रस्तुत हो रहा था तो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक के शीर्षक के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई थी तो उस समय मंत्री महोदय ने कहा था कि जिस समय इससे विचारार्थ लेंगे तो इस पर विचार कर लेंगे। इस पर विचार होता है तो ठीक है, नहीं तो सोचना चाहिये जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था अंग्रेजी में शीर्षक दिया हुआ है इससे प्रकट होता है कि अंग्रेजी में ही यह विधेयक पारित होगा, अंग्रेजी में ही यह गजट में प्रकाशित होगा, यदि हिन्दी में ही यह विधेयक होता, हिन्दी में ही गजट में निकलता तब तो शीर्षक का सवाल नहीं क्योंकि हिन्दी का शीर्षक बहुत सुन्दर है पर अंग्रेजी में शीर्षक फ्यूनरल फीस्ट्स दिया हुआ है, तो फ्यूनरल फीस्ट्स यह शीर्षक बहुत अशोभन लगता है। अभी गौशाला विधेयक रखा था तो उसमें काउ हाउस इस तरह का शीर्षक नहीं रखा था। हिन्दी का ही शीर्षक रखा था, कई बार अंग्रेजी विधेयकों के शीर्षक हिन्दी में ले लिये जाते हैं। अंग्रेजी में जो यह शीर्षक दिया हुआ है वह हमारे इस उद्देश्य को प्रकट नहीं करता। फ्यूनरल शव यात्रा को कहते हैं। शव यात्रा सम्बन्ध में उस समय पहले या बाद में कोई भोज नहीं करते, दस बारह दिन तक खाने पीने में भी वैसा ही रहता है। इस बिल के उद्देश्यों और कारणों में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद मुझे आवश्यकता मालूम हुई है कि जो उद्देश्य और कारण इसमें बताये हैं, वहां मंशा इस बिल में प्रकट नहीं होती। इसमें बताया है :

'राज्य के कई भागों में लोगों की मृत्यु के अवसर पर या मृत्यु के सम्बन्ध में बड़े बड़े भोज आयोजित किये जाते हैं।'

तो सबसे पहली बात तो यह है कि बड़े बड़े भोजों को सरकार रोकना चाहती है क्यों कि बड़े बड़े भोज हमारे समाज के आर्थिक जीवन पर बुरा असर डालते हैं फिर इसमें मृत्यु से सम्बन्धित भोजों पर ही रोक क्यों रखी है। विवाह, गंगोज या दूसरी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं, कुरीतियां हैं उनके सम्बन्ध में जो बड़े बड़े भोज किये जाते हैं वे भी हमारे समाज के आर्थिक पहलू पर असर डालते हैं तो फिर केवल मृत्यु भोज का ही क्यों रखा है, यह मेरी समझ में नहीं आता। आगे रखा है :

"कभी कभी ऐसे भोज मृत व्यक्तियों के सम्बन्धियों को पकाये हुई या न पकाये हुए...."

कभी कभी होते हैं उसको ले कर कानून बनाना ठीक नहीं। हम तो कहते हैं कि हमेशा हर जगह होते हैं, कभी कभी होने वाली बात को तो दर गुजर कर सकते हैं पर यह प्रथा हमारे समाज को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है।

अभी एक माननीय सदस्य ने अपनी

(डॉ० चन्द्रकला)

मान्यता प्रकट की कि कानूनी रूप से सामाजिक कुरीतियों को दूर नहीं कर सकते । पर हम यह मानते हैं कि जनता इस प्रथा से बुरी तरह अभिशापित है और बहुत दुखी है। ऐसे भोजों से भोज करने वालों की वित्तीय स्थिति, आर्थिक दशा पर बुरा असर पड़ता है, जो भोज करता है, उसके परिवार की आर्थिक, वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है, यही एक कारण काफी है कि मृत्यु भोजों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। हमारे राजकीय प्रवास भवन में एक नाटक किया गया था, उस नाटक को डायरेक्ट करने वाले हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय थे, वहां बताया गया था कि किस तरह सामाजिक प्रणालियों के द्वारा मृत्यु भोज करने के लिये किसी को प्रेरित किया जाता है । उसमें उस तरीके का भी उल्लेख किया गया था कि हमारी सरकार ग्राम विकास की तरफ तरक्की की योजना बना रही है, उसमें ग्राम सेवक ने बहुत अच्छी तरह अपना हिस्सा अदा किया था और अन्त में कानून के द्वारा एक व्यक्ति को छुटकारा दिलाया था ।

तो हमें सोचना है कि परम्परा से एक रिवाज़ चला आ रहा है जो हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित किये हुए है तो उसको कैसे दूर कर सकेंगे, क्या इसे कानून से दूर कर सकेंगे ? मेरी मान्यता है कि कानून से दूर करना मुश्किल है । जो ग्राम सेवक हैं वे हमारे जन जीवन को अच्छी तरह प्रभावित कर दें, उसमें इस तरह की भावना पैदा कर दें कि वे स्वतः ही इस प्रथा को बन्द कर दें, प्रोत्साहन की ज़रूरत है। सामाजिक सुधार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाय । कानून तो उनको सहारा देने वाला है ।

इसके अलावा हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा शब्द रखा है, 'सार्वजनिक हित' यह शब्द प्यारा लगने वाला है, बड़ा आदर्श है, इसको लेकर हम चलते हैं पर सार्वजनिक हित वास्तव में कहां है। यह सोचने की बात है, यह समझ में नहीं आता । बड़े बड़े भोजों की बात जाने दीजिये पर सार्वजनिक हित कहां है । शादी व्याह में भोज होते हैं, और मृत्यु के पीछे भोज होता है तो परम्पराओं से यह प्रथा चली आ रही है, इसके पीछे कुछ न कुछ तथ्य है । जो सम्बन्धी आते हैं वे कन्ट्रीब्यूट करते हैं, रिश्तेदार आते हैं तो कहीं कहीं आटा दाल, घी लाते हैं कोई सब्जी लाते हैं और इस तरह सब चीजें इकट्ठी होती हैं और १० दिन तक शोक मनाया जाता है। मृत्यु किसी को सुखद नहीं होती, खाने पीने की व्यवस्था अव्यवस्थित रहती है, तो १० दिन बाद मिल कर शोक को भुलाने की व्यवस्था करते हैं । भोज करते हैं तो हम भड़क उठते हैं कि हमारे समाज का बड़ा अहित कर डाला । पर नुकसान होता कहां है ? ४० आदमी एक साथ बैठ कर खा लेते हैं पर ३६ घरों का खाना तो बचा, तो क्या साथ खाने से हमारी सरकार को दुश्मनी है क्या ?

श्री **मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : ३६ घरों में सूखी रोटी मिलती है और वहां लड्डू पूरी मिलती हैं ।

डॉ०चन्द्रकला : क्या हमारी सरकार को साथ खाना खाने से आपत्ति है, क्या हमारी सरकार को लोगों के प्रेम और भाईचारे से

Page No 46

(डॉ० चन्द्रकला)

दुश्मनी ? है अगर दुश्मनी है तो इस प्रकार का कानून लगा दे तो जरूर लगा दे।

एक माननीय सदस्य ने बताया कि वहां माल खाते हैं। मान लें कि वे माल खाते हैं मगर माल में भी वे क्या खाते हैं, क्या चीज खाते है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। वे लोग वह चीज नहीं खाते जो राष्ट्रीय चीजें हैं। चावल नहीं मिलता वे नहीं खाते। वे लोग तो पूवे और लपसी खाते हैं। ४० / ५० मन गेहूं और अन्न उनके घर पर खेत में पैदा होता है। ऐसी चीज ज्यादा नहीं खाते जिसका राष्ट्र पर असर पड़ता हो। वे तो ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे बाहर से आने वाले अनाज पर कोई असर नहीं पड़ता। उसकी ओर आप ध्यान नहीं देते हैं तो यह जरूरी सोचने की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने सुनी सुनाई बात इधर उधर से सुनी हुई बात पर कि मृत्युभोज पर बहुत खर्च होता है और इससे एक परिवार पर इतना वजन होगा, कहते हैं। लेकिन जब हम इसी चीज को आर्थिक और सामाजिक हित की दृष्टि से सोचते हैं....

एक माननीय सदस्य : यह शहरी ज्ञान है अन्तर्ज्ञान नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : तो इससे कोई हानि नहीं होती है। हम ऐसा भी देखते हैं कि शादी और दूसरे भोजों की आलोचना करते हैं। अगर उसको राष्ट्रीय अर्थ से देखें तो मैं यह कहूँगी कि इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता। अगर मान भी लिया जाए कि थोड़ा सा असर पड़ता है तो यह देखने की बात है कि क्या हमारी पब्लिक इस राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होने वाली है। जो व्यक्ति भोज करता है वह यह समझ कर करता है कि, यह हमारे पसीने की कमाई का पैसा है जो खेत से हम पैदा करते हैं। हम सरकार के घर से थोड़े ही लेते हैं। वह यह नहीं सोचता है कि जो हानि या लाभ होगा उसका राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी कदम सार्वजनिक हित की दृष्टि से या राष्ट्रहित की दृष्टि से उठाना हैं तो हमें यह देखना है कि वह पब्लिक को वहां तक जंचता है या पब्लिक इसको कहां तक ग्रहण करती हैं। हम यहां पर विधेयक बनाने जा रहे हैं तो हमें इसके लिये सोचना होगा अन्यथा यह होगा कि जो भी कानून बनेंगे वे वकीलों की फाइलों में चले जाते हैं उसी तरह यह भी वकीलों की फाइलमें चला जावेगा। हमारा और हमारी जनता का सोचने का तरीका अलग है। इसलिये है कि हम परोपकार की भावना से विधेयक बनाते चले जा रहे हैं। अगर आप पब्लिक से पूछें तो पब्लिक यही कहेगी कि हम कोई किसी से लेने थोड़े ही जा रहे हैं। पहिले उन लोगों को समझाने की जरूरत है इसके लिये प्रचार करने और खर्च करने की जरूरत है। धीरे धीरे अशिक्षित जनता को शिक्षित करेंगे और जब उनके भौतिक स्तर को ऊंचा उठावेंगे तो मैं समझती हूं कि कोई भी मनुष्य जानबूझ कर अपने आपको मुसिबत में नहीं डालेगा। यह तो एक प्रकार की सामाजिक कुरीतियें हैं जो तभी दूर हो सकती हैं जब लोगों को आप शिक्षित करें।

अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि कोई कानून नहीं था फिर भी मृत्यु भोज नहीं किया और उसने क्रान्तिकारी कदम उठाया। मैं यह कहूँगी कि जो भी समझदार व्यक्ति होंगे वे इस प्रकार का साहस करेंगे और

1

(डॉ० चन्द्रकला)

कुरीतियों से बचते रहेंगे। आपने इस बिल के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में लिखा कुछ और है और आप कुछ कर और रहे हैं। आपको कानून की अच्छी जानकारी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे लोगों का बहुत अहित होगा क्योंकि इसमें बताया गया है कि लोगों को अपील करने का अधिकार होगा। क्या हमारी सरकार यह चाहती है कि गांव गांव में फूट पैदा हो। अगर कोई व्यक्ति किसी से अपनी दुश्मनी और बदला निकालना चाहता है तो वह किसी तरह से जब मृत्युभोज होगा तो पुलिस को जा कर इत्तला दे देगा। पुलिस आकर उसको परेशान करेगी। इसलिये अच्छा तो यह होता कि आप इसके लिये इस प्रकार का प्रावधान रखें कि वह पहले पंचायत से इजाजत ले ले। पंचायत तक ही इसको सीमित रखना चाहिये। आपने तहसील से जाकर इजाजत लेने की बात कही है। पंचायत वहां के लोगों की भावना को अच्छी तरह से समझती है और उस व्यक्ति की आर्थिक हालत को भी जानती है। इसलिए पंचायत तक ही सीमित रखना चाहिये लेकिन हम पंचायत के क्षेत्र को भूल जाते हैं और हमने जो क्षेत्राधिकार दिया है वह बहुत ज्यादा है। कौन जा कर इतनी दूर इजाजत लेगा। आप यह मानते हैं पुलिस हमारी रक्षक है और हमारी सभी तरह से देख भाल करती है मगर गुर्जा का केस हमारे सामने मौजूद है जो इस बात को बताता है कि कानून किस प्रकार से लागू किया गया। वह कानून ऐसा लागू हुआ कि गुर्जा का केस एक एतिहासिक केस बन गया। पुलिस वहां पर गई और उसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने सबका सफाया कर दिया। वह गांव आज उजाड़ पड़ा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि आप पंचायतों को और ज्यादा अधिकार देनेवाले हैं तो आपको कानून में ऐसा प्रावधान रखना चाहिए कि पंचायत खुद इस बात को देखा करे और उसके क्षेत्र में जो भी भोज हो उसका ध्यान रखे। वास्तव में पंचायत ही उन लोगों का हित देख सकती है। गांव वालों की सभी बातों को पंचायत अच्छी तरह से समझ सकेगी। इसी तरह अगर आप विकेन्द्रीकरण की पृष्ठभूमि में देखें तो भी इस बिल को इतनी जल्दी में पास नहीं करें और इसी तरह से देखें कि जिस भावना और उद्देश्य को लेकर आप इसको पास करने जा रहे हैं वह उद्देश्य पूरा होने वाला है या नहीं। आपको समाज का समर्थन मिलने वाला है या नहीं। जब तक आपको समाज का समर्थन नहीं मिलेगा यह बिल नहीं चलेगा और यों ही पड़ा रहेगा। समाज का ढांचा इसी तरह से चलता रहेगा। अगर व्यक्ति और समाज का समर्थन मिलता तो यह काम हो सकता है और इसके लिये पंचायत ही समुचित इकाइ है और वहां कार्यान्वित कर सकते हैं मगर इस बिल में ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी बातों पर अच्छी तरह से विचार करने के लिए इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जावे और वहां सब पहलुओं पर विचार करके पास करने की बात सोचनी चाहिये।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगी कि आप भिक्षावृत्ति को बन्द करना चाहते हैं मगर आपने इसमें बताया है कि फकीर वगैरा को जिमा सकते हैं दूसरों को नहीं जिमा सकते। यह भी एक सोचने की बात है। सभी जगह भिक्षुक नहीं जिमाये जाते हैं न सभी

Page No 48

(डॉ० चन्द्रकला)

जगह ब्राह्मण ही जिमाये जाते हैं। मृत्यु भोज के अवसर पर बड़े बड़े जीमण होते हैं और उसमें ब्रादरी वाले जाकर खाते हैं और उसमें १० गांव के लोग या कहीं कहीं २० या २५ गांव के लोग जमा होते हैं। और जीमते हैं। क्या आप समाजवादी समाज में ऐसी जाति रखनेवाले हैं कि जो मुख्य भोज में भाग ले सके। क्या सरकार ने उनको अधिकार दिया है वे हो आकर जीम सकते हैं। क्या आपने उनको रजिस्टर्ड कर लिये हैं या किसी प्रकार से लाइसेन्स दे रखा है कि ये फकीर हैं और भोज में भाग ले सकते हैं। मैं यह कहूंगी कि इसमें काफी कमी रही है। हम इसलिए कानून नहीं बना रहे हैं कि कानून कागजों में पड़ा रहे और नम्बर बढ़ता रहे कि हमने इतने कानून पास किये और कानून पास करने की गिनती बढ़ती जाए कि हमारी विधान सभा में इतने कानून बना दिये। हमें यह देखना है कि कानून के द्वारा कितने समाज को हम बदल सकते हैं। समाज को आगे लाने में कहां तक सहायता करते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जावे। वहां पर सारी बातों को रख कर विचार किया जावेगा। इन सब बातों के साथ मैं प्रस्ताव को प्रस्तुत करती हूँ।

(बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि प्रवर समिति के लिए मेम्बर की लिस्ट दे दी जाय....

श्री मदनसिंह : हम तो प्रवर समिति के भी खिलाफ हैं कि यह वहां जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो मोशन है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, इस सदन की कार्यवाही को कट शार्ट करने के लिए। काफी इससे कट शोर्ट हो जायगा। प्रवर समिति से यह बिल विचार होकर आ जावे तो अच्छा रहेगा। जो माननीय सदस्य ज्यादा इच्छुक होंगे उनको सिलेक्ट कमेटी में रखने की पूरी कोशिश की जायगी।

श्री अध्यक्ष : जितने माननीय सदस्य खड़े हैं उनको सिलेक्ट कमेटी में रख दीजिये

(हंसी)

श्री मदनसिंह : हम तो यह चाहते हैं कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में ही नहीं जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं चाहता हूँ कि . .

श्री नारायणसिंह मसूदा : एक पोइन्ट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रिलिमिनरी बात बताना चाहूँगा। जो बहस हो रही है और जो प्रोसिजर है उसमें गलतफहमी पैदा हो रही है वह मैं सदन को बता देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में बता दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें....

श्री मदनसिंह : ये जितना खुद समय लगा रहे हैं उतने में तो हम सजेशन ही दे देते।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके सजेशन तो मैं जानता हूं और देंगे तो उन पर पूर्ण विचार करूंगा।

माननीय सदस्यों को इस बिल के प्रोसिज़र में गलतफहमी हो रही है। कुछ यह समझ रहे हैं कि यह पुलिस के लिए कॉग्निजेबल होगा और उसमें पुलिस का इन्टरफियरेन्स होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इसको पंचायतों के जुरिस्डिक्शन में रख देना चाहिये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें यह प्रोविजन रखा है कि सजा उनको दी जावेगी जो नुकता करते हैं। जैसा मैंने अर्ज किया था कि और सीकर से आये माननीय सदस्य बोल रहे थे तो इसका प्रोसिजर यह है कि क्रिमिनल प्रोसिजर के शिड्युल में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ही इसकी ट्रायल करने का अधिकार है और उनसे नीचे के मजिस्ट्रेट नहीं कर सकेंगे। बीकानेर से आये माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस के लिए कॉग्निजेबल रखा है। लेकिन क्रिमिनल प्रोसिजर कोड का जो लेटेस्ट शिड्युल है उसमें यह कोग्निजेबल नहीं है। जो कानून पहले था और जैसा कि उनियारा से आये माननीय सदस्य ने बातें बतायी वह तो उस जमाने की बातें थीं, उसको पुलिस, उनको पावर्स थी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ४६ में एकीकरण हो गया और ५२ में कानून आपका था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तो ४२-४३ की बात कह रहा हूँ जब यह कानून था। कितने मुकदमात पुलिस ने बनाये थे वे उनसे भलीभांति परिचित हैं। उनका तजुर्बा ज्यादा बढ़ा हुआ है इसलिए उनकी भावना को देखते हुए यह रखा था कि इसको कॉग्निजेबल नहीं बनाना चाहिये। यह तो एक सामाजिक कुरीति है और इसकी रुकावट के लिए इन्टरफियरेन्स न करके समाज के आदमियों को ही आगे आना चाहिये और इसीलिए उनको पावर्स दिये गये हैं। मामला तो कोर्ट को जायगा और समाज के आदमी और उसमें पंच या सरपंच भी हो सकते हैं। उसमें पुलिस के अधिकारी भी हो सकते हैं। वे खुद दस्तअन्दाजी नहीं कर सकते। प्राइवेट आदमी की हैसियत से मजिस्ट्रेट के सम्मुख इस्तगासा पेश होगा। इसके लिए प्रोसिजर वही काम में लाना पड़ेगा जो कि कम्प्लेनेन्ट को करना पड़ता है। पुलिस के इन्टरफियरेन्स का अलग रखने के लिए ही यह प्रोविजन रखना पड़ा है। जो आर्थिक परिस्थिति है आज उसको देखते हुए यह आवश्यक है।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता था वह यह है कि जहां पंचायतों को अधिकार देने का सवाल आता है, पंचायत एक्ट में सीमित अधिकार हैं और उसमें यह है कि वे कितना जुर्माना कर सकते हैं। इनको माननीय सदस्य ध्यान में रखें।

श्री मदनसिंह : जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अभी तो बहस ही होना बाकी है। यह तो एक धांधली सी है।

श्री अध्यक्ष : आपको भी बोलने का मौका दिया जावेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : भारतीय संस्कृति का आप एनेलिसिस करेंगे वह तो मैं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जानता हूं और मैं उनको सुनने के बाद ही बताऊंगा। अब तो वे काफी प्रगतिशील हो गये हैं।

प्रवर समिति को भेजने के लिए मैं अर्ज करना चाहता था कि इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें भेज कर वापिस अगले अधिवेशन में लाना हो। केवल एक सप्ताह के लिए इसको प्रवर समिति में भेज रहे हैं और वहां से एक सप्ताह में रिपोर्ट आ जावेगी और इसी सेशन में इसको पास किया जावेगा।

यह अर्ज करना चाहूँगा कि जो माननीय सदस्य अब भी इस पर विचार प्रकट करना चाहते हैं, अच्छा तो यह होता कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाता ताकि सदन का काफी समय इसकी बहस से बच जाता। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम प्रस्तुत कर दें औरजो भी विचार रखना चाहें वे रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में पास करना चाहते हैं तो ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सदन में जितने प्रतिनिधि आये हैं वे इसलिए नहीं आये हैं कि हर एक चीज़ को प्रवर समिति में ही भेज दिया जाय और वे अपने विचार न रखें। सदन की अवधि एक महीने की इसीलिये बढ़ी है कि माननीय सदस्य अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। जो कानून ऑलरेडी राजस्थान में था, गवर्नमेंट की कमजोरी थी, पुलिस की कमजोरी थी, जो आज राज कर रहे हैं उनकी कमजोरी थी कि एक दो जगह पुलिस के कांड हो गये इसलिए उसको बन्द कर दिया। यह तो पुलिस और सरकार की कमजोरी थी कि जो कानून ठीक ढ़ंग से चल रहा था, पुलिस को पीट दिया और किसी को धमका दिया इसलिए वह बन्द हो गया।

दो चार ऐसी बातें हैं यदि मन्त्री महोदय उसको समझें तो पांच चार सदस्य इधर उधर बैठ कर इसको तय कर सकते हैं। प्रवर समिति की कहां बात रहती है। उसमें जाने का कारण तो यह होता है कि जो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स दिये जाते हैं उनके अनुसार कानून नहीं बनता है और कई गलतियां रह जाती हैं। मृत्यु भोज को बन्द करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जावे। यह तो एक मामूली कानून है। दस मिनिट के लिए अलहदा बैठ कर यह कानून बनाया जा सकता है। इसमें जनमत जानने की भी आवश्यकता नहीं है। दो चार त्रुटियां हैं उनको तय कर दें और मन्त्री महोदय मान लें तो प्रवर समिति में ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी।

पहली यह है कि बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में यह दिया है कि आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए। जैसे मृत्यु भोज है, शादियों में इतने भोज होते हैं, कांग्रेस के सेशन होते हैं उनमें इतने बड़े बड़े भोज होते हैं कि सारे राष्ट्र के दो तीन दिन तो काम आ ही सकते हैं। इसलिए स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स के अनुसार जनता के दिमाग में तो यह बात बिठाने की है और इसमें साफ बात यह भी लिखी जाती कि एक तो कोई

(श्री मदनसिंह)

मरता है और फिर ऊपर से भोज देते हैं यह कितने अनर्थ की बात है। ऐसा रीजन रखते तो जनता के दिमाग में बैठता। आर्थिक स्थिति को लेकर चलते हैं, मैं तो कहता हूँ कि मृत्यु भोज में १० हजार रुपयों का खर्चा होता है वहां मिनिस्टरों की शादियों में ५० हजार का खर्चा होता है। प्रश्न आर्थिक रखते हैं तो उसमें और इसमें फर्क क्या है ?

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

केवल मृत्यु भोज का नाम देकर प्रचार का काम सरकार ने किया है। आर्थिक स्थिति को लेते हैं तो जितने भोज हैं और जिन पर लाखों रुपया खर्च होता है उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। आज भी गांवों में मृत्यु भोज के समय दस दस आदमी का ही खर्चा होता है लेकिन जहां गांवों में कांग्रेस के मन्त्री के पधारने पर पांच सौ आदमियों का खाना होता है। इस प्रकार के भोज जनता के आर्थिक ढांचे को खत्म कर डालते हैं इसलिए स्टेटमेंट ओफ ओब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में साफ रखना चाहिये और सिलेक्ट कमेटी में जाने से यह रीजन नहीं रहता है।

दूसरा मैं समझता हूं लॉ डिपार्टमेंट की एक प्रकार से यह कृपा होती है जिसके कारण ऐसा मौका दिया जाता है। छोटा सा कानून होते हुये भी सिलेक्ट कमेटी में थोड़ा सा सुधार के लिये भेजा जाना जरूरी समझते हैं। अन्यथा मैं समझता हूं दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसको सुधारने में पन्द्रह मिनिट से ज्यादा नहीं लग सकते और आज ही यह बिल पास किया जा सकता है।

मृत्यु भोज के साथ साथ जीवित भोज भी होते हैं। जो जीवित भोज करते हैं उसका क्या होगा। अभी अभी सीकर के रावराजा साहब ने एक लाख रुपया खर्च किया है अपना जीवित मोसर करने के लिये। लोग जीवित अवस्था में ही मोसर कर देते हैं वैसी अवस्था में क्या होगा। जीवित भोज भी इस प्रान्त में एक परम्परा है जिसमें ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और उनको जिमाया जाता है। वैसी हालत में मृत्यु भोज के नाम से नहीं जीवित भोज के नाम से खर्च होंगे। फिर आप क्या प्रबन्ध करना चाहते हैं। आपने इसके स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में लिखा है आर्थिक व्यवस्था ठीक करने हेतु। जब इस प्रकार के भोज होते हैं जिन भोजों के कारण आर्थिक ढांचा समाज का खराब होता है। इसलिये मैं समझता हूं सरकार इसके साथ साथ जीवित भोज पर भी प्रतिबन्ध लागू करे।

दूसरी एक चीज और होनी चाहिये वह यह कि मृत्यु भोज के साथ साथ मृत्यु के बाद जो टैक्स लिया जाता है वह भी बन्द कर दिया जाना चाहिये। इससे आदमी की रीड की हड्डी टूट जाती है। मृत्यु भोज बन्द होता है तो मृत्यु टैक्स जो लगता है उसमें भी सरकार काफी रुपया ले लेती है....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वह तो देश के काम आता है।

श्री मदनसिंह : यहां तो प्रश्न है रुपयों के खर्च होने का। गरीब से तो वैसे ही क्या लिया जाता है। अमीरों के ऊपर ही यह टैक्स है। सही ढंग से यदि आप आर्थिक प्रश्न को लेकर कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं तो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में न भेज कर इस पर दस पांच मिनिट में बहस हो सकती है

(श्री मदनसिंह)

और आज ही यह कानून पास हो सकता है। इसमें दो चार चीजें ऐसी हैं जिनमें सुधार करना आवश्यक है। इसमें एक प्रावधान है कि हमारी माताओं और स्त्रियों को सजा नहीं मिलेगी, इसके बारे में सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने तर्क दे दिया है। मुझे इस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। स्त्रियां ही ऐसे कामों के लिये ज्यादा जोर देती हैं कि पिता का मोसर होना चाहिये माता का मोसर होना चाहिये। इसलिये स्त्रियों को इस प्रकार के कार्य के लिये सजा होनी चाहिये हालांकि हर कानून में स्त्रियों को दूर रखा है लेकिन जहां तक मृत्युभोज का सम्बन्ध है इसका मुख्य कारण वे ही हैं इसलिये कानून में सजा उनके लिये भी होनी चाहिये। इसका न रखना मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह कानून जल्दी लागू नहीं होता है तो सदन में जो हमारे लोग हैं वे जीवित मोसर ही करने लग जायेंगे और यह चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जीवित मोसर करके रुपया खर्च कर दिया जाय....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका इरादा है क्या ?

(हंसी)

श्री मदनसिंह : मेरे से पहले तो आपका होना चाहिये। अगर वे इस बिल को पास नहीं करते हैं तो राजस्व मंत्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहिये कि इन पन्द्रह बीस रोज में किसी भी वृद्ध को मरने नहीं देंगे। हमारा तो यह निवेदन है कि यह कानून उचित है और जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिये। केवल प्रचार के लिये ही आप यह करना चाहते हैं तो मेरा इसमें सैद्धान्तिक विरोध है। न इसमें पुलिस का काम है न अदालत का काम है यह तो सामाजिक रीति है। समाज सुधारकों का यह कर्तव्य है कि वे इस सम्बन्ध में प्रचार करें। आप यदि कानून द्वारा इस चीज की पाबन्दी कराना चाहते हैं तो आपको यह कानून जल्दी से जल्दी पास करना चाहिये नहीं तो आज जो सामाजिक दबाव है जिसके कारण लोगों को मृत्युभोज करना पड़ता है वैसी हालत में मैं समझता हूं जल्दी से जल्दी इसको लागू कर देना चाहिये। और इसमें से मृत्युभोज शब्द है उसको हटा देना चाहिये। मृत्युभोज तो उसे कहते हैं जो मरने के बाद एक प्रकार से खुशी मनाई जाती है उसको मृत्युभोज मानते हैं। मृत्युभोज तो उसे कहा जाना चाहिये जो तीन रोज बन्द होता है जिसको तीया कहते हैं। उस तीये के अन्दर खिचड़ी बनायी जाती है जिसको खाया जाता है। यह तो अलग है इसे मोसर कहते हैं इसके अन्दर शराब लड्डू जलेबियां आदि उड़ती हैं उस समय रंज का काम नहीं रहता। ऐसी हालत में यदि हमें इस चीज को जल्दी बन्द करना है तो अभी से बन्द कर देना चाहिये। सिलेक्ट कमेटी में इसलिये इस बिल को भेजा जाता है कि जो प्रतिनिधि यहां आये हैं वे जाकर अपने इलाके में यह कह सकते हैं कि अभी तो हमने इस बिल को गुड़का दिया है चिन्ता मत करो अभी आपकी डोकरी मर जाती है तो अभी तो आप मृत्युभोज कर सकते हैं। ऐसी बातें होगी अगर गवर्नमेंट की मन्शा साफ हो तो उसे चाहिये कि इसमें किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं है, कुछ सजेशन्स हैं जो आज ही मन्जूर हो सकते हैं। जिस प्रकार हमने म्युनिसिपल बिल में किया

Page No 53

(श्री मदनसिंह)

कुछ संशोधन हमारी तरफ से पेश हुए और मंत्री महोदय ने उनको स्वीकार किया और वह जल्दी ही पास हो गया उसी प्रकार हिन्दू ट्रस्ट बिल के बारे में भी जो सजेशन्स हमने दिये उनको माना और वह भी जल्दी से पास हो गया इसलिये अगर आप वास्तव में ही इस कानून को जल्दी लागू करना चाहते हैं तो मेरा ऐसा निवेदन हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में न भेज कर इसको जल्दी से जल्दी पास करना चाहिये।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के सम्बन्ध में मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूँ। एक प्रश्न तो शीर्षक के विषय में उठा था शीर्षक जैसा कि मौजूद है उसके बारे में एत राज किया गया था मैं भी उसके साथ में सहमत हूं। वास्तव में यह शीर्षक मृत्युभोज निवारण विधेयक एक संकुचित सा दिखाई देता है। जैसे अभी कुछ उदाहरण दिये गये जीवित भोज भी किये जाते हैं तो वैसी हालत में वे इसके दायरे से अलग रह जायेंगे। इसके अलावा अंग्रेजी की जो प्रतिलिपि है उसकी ओर भी अभी एक माननीय सदस्य ने इंगित किया था फ्यूनरल फीस्ट का नाम मृत्युभोज दिया गया है। मेरे खयाल में फ्यूनरल फीस्ट मृत्युभोज नहीं होता है। मैं तो यह समझता हूँ जो भोज जीवित अवस्था में ही कर दिये जाते हैं उनका नाम नुक्ता या मोसर है। अतः इसको भी स्थानीय नाम लेकर ही इस विधेयक का नाम नुक्ता निवारण विधेयक या मोसर निवारण विधेयक रखा जाना जाहिये।

इसके बाद क्लॉज़ २ आता है उसमें हम इसकी पूरी व्याख्या कर सकते हैं। नुक्ता अथवा मोसर क्या चीज़ होगी। इसमें जीवित भोज भी नुक्ते के नाम से होती है उसको भी सम्मिलित कर सकते हैं।

इसके अलावा दूसरा प्रश्न यह था जो डेफिनेशन दी है अगर हम इसके शीर्षक को बदल देते हैं तो भी यह एक्सप्लेनेशन में रख सकते हैं शीर्षक के अन्दर नुक्ता या मोसर रख देते हैं तो सारी डेफिनेशन को इस प्रकार से बदलना पड़ेगा।

क्लॉज़ १२ में एक अमेन्डमेन्ट रखा गया है पंचायत एक्ट का। मैं समझता हूं यह ठीक विधि नहीं है। जिसमें रिपीलेट क्लाजेज़ रखे जाते हैं तो दूसरे विधेयक के संशोधन शामिल नहीं किये जाने चाहिये।

दूसरा विधेयक जिस पर असर पड़ता है या पड़ना चाहिये उस विधेयक के लिये अलग से संशोधन आना चाहिए। क्लॉज़ १२ में जो संशोधन रखा गया है पंचायत एक्ट का वह एक अलग संशोधन के रूप में आ सकता है। यह एक प्रकार से प्रोपर नहीं होगा अगर हम इस विधेयक में इस चीज़ को जोड़ दें।

अब कई प्रश्न यहां उठे। यह कहना कि पंचायत एक्ट को अमेन्ड नहीं कर सकते ....

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नहीं कह रहा हूँ कि अमेन्ड नहीं कर सकते हैं।

श्री नारायणसिंह : रिपील हमने किया है। पर हम हूबहू क्लॉज़ का अमेन्डमेन्ट हो यह नहीं पर व्यावहारिक रूप से जो पद्धति यह रही है। अलग रुप से देते हैं इस बिल में पर सम्मिलित नहीं करते हैं। ऐसी मेरी मान्यता है। इसके अलावा मैं यह मानता

(श्री नारायणसिंह)

था कि वकाई यह सामयिक है। इसके मूल सिद्धान्त में दो मत नहीं हो सकते। पर मुझे अपने कुछ पूर्व वक्ताओं के विचार सुनने से यह लगा कि मूल सिद्धान्त में भी उनका मतभेद नजर आता है। पिता और पुत्र के धर्म पर आक्षेप का भी उपालम्भ एक सदस्य ने दिया। मैं तो नहीं समझता हूं कि यदि हम धर्म को ठीक समझे हैं तो धर्म का यह अर्थ है कि

धारयति इति धर्म :। धारयति धर्म :।

यह हमारे धर्म की व्याख्या है। जो धारण करता है वह धर्म है। और इसके अनुसार धर्म वास्तव में जैसे अग्नि का दहन धर्म है इसी तरह मनुष्य का मानवता धर्म है। इसके लिए कई प्रकार की धर्म की पद्धतियां बनाई गई हैं। यदि हम वेद वेदान्तों को भी देखें तो हमें उनमें भी मृत्यु भोज के बारे में जिक्र नहीं मिलेगा यह एक व्यावहारिक पद्धति से निकल पड़ी जो शायद एक पुरानी पद्धति से निकली होगी कि जब हमें कभी कभी जो आज भी ओरिजिनल जातियां हैं, उनके बारे में पढ़ने को मिलता है कि वहां पर जब एक कुटुम्ब का कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस कुटुम्ब के सभी व्यक्ति मिलकर उस व्यक्ति को पकाकर खाते हैं और रोते जाते हैं। तो इस प्रकार के पुराने जादू टोने इत्यादि से प्रभावित आदमी थे उनकी पद्धति थी शायद उनसे कुछ प्रेरणा यहां पर भी इस पद्धति में ली गई है। पर कुछ भी इसका मूल स्वरूप रहा हो पर आज व्यवहार में दूसरे प्रकार से आया है। मैं नहीं कहता उसी प्रकार से आई है। पर एक भावना यह रख दी गई कि पूर्वज इससे सन्तुष्ट होंगे सन्तुष्ट का सवाल आता है। जो पूर्वज चले गये वे आधी रोटी खाकर भी अगर बचाते हुए अपने आगे वालों के लिए सारा नियोजन करते हैं तो वह कब खुश होगा कि मरने के बाद उनके बेटे पोते अपने पर कर्जा लाद लें। यह तो भावनामय चीज़ हुई। तो वे कर्जे के लादने से खुश नहीं होते। पिता पुत्र के धर्म पर आक्षेप नहीं आता है। पिता पुत्र के लिए जो कर के जाता है पुत्र पीछे से उसे खतम कर देता है तो इसका उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा यह मैं नहीं समझता।

कुछ ऐसी बात कही गई कि कानून से यह काम नहीं किया जाना चाहिये। आज प्रश्न यह आता है कि किसी को हटाना चाहते हैं तो उसके प्रति समाज में जागरुकता है या नहीं। शिक्षक वर्ग जितना है उनके बारे में यह निर्विवाद है कि वे इसके खिलाफ हैं। पर दूसरे भी जो ग्रामीण हैं जो परम्परा और पद्धतियों से जकड़े हैं उनकी भी अन्दरूनी भावना तो यह है कि ये चीजें खत्म हो जावें और आज हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि जगह जगह पर पंचायतें होती हैं जाति की और वे निश्चय करते हैं कि हम आज से इस प्रकार की नुक्ते बाज़ी नहीं करेंगे। वैयक्तिक रूप से भी वे निर्णय लेते हैं कि नुक्ते में खाने नहीं जावेंगे। जागरूकता ज़रूर है। पर कुछ दूसरे कारण भी हैं। मैं उदाहरण प्रस्तुत करूं। एक अच्छा काश्तकार कुटुम्ब का उदाहरण है। उसने मृत्यु भोज करने से इन्कार कर दिया। इसके पिता भी मौजूद थे। कुछ षडयंत्री पीछे लगे। कहने लगे उससे। करा कर छोड़ेंगे। उन्होंने उसके पिता को जाकर ऐसी बात कह दी कि साहब जो आपकी माताजी थी वह तो रेल की लाइन पर खड़ी रोती

(श्री नारायणसिंह)

बिलखती सी नज़र आई । वह गुजर चुकी थी और ऐसा नजर आया उसे कि शायद उसकी आत्मा सन्तुष्ट नहीं । तो पिताजी पर ऐसा इसका असर पड़ा कि पुत्र को भी उसने बाध्य कर दिया और वह काम करना पड़ा । और इतना खर्चा उठना पड़ा। दस बारह हज़ार का नुक्ता हुआ । १८ हज़ार तक का नुक्ता लोग करते हैं। अभी अभी ऐसी मुझे सूचना मिली है ।

तो आज इस स्थिति से हमारा आर्थिक भार बढ़ा रहा है । कृषक वर्ग पर ज्यादा असर पड़ा रहा है। हमारे प्रोडक्शन पर भी इसका असर पड़ता है और दूसरी बातों पर भी असर पड़ सकता है। इसको विचारने की ज़रूरत है । इसका अर्थ व्यवस्था पर असर नहीं पड़ता यह कहा गया। मैं नहीं कहता कि इसका सीधा असर हमारे देश की अर्थ व्यवस्था पर पड़ता है। यह तो सारे देश की इकॉनोमी का सवाल है। पर एक साधारण कृषक की अर्थ स्थिति पर इसका असर ज़रूर पड़ता है। इससे जो वाकई में प्रोडक्शन के क्षेत्र का प्रतिनिधि है उसी की अर्थ स्थिति पर अधिक असर पड़ता है।

आज हमें मालूम है शहर में शिक्षित वर्ग में और मध्यम स्थिति के वर्ग में करीब करीब मृत्यु भोज और नुक्ते खत्म हो चुके हैं । यह जरूर है कि दूसरे प्रकार की परम्पराएं उसका छद्मवेश लेकर आ रही हैं। जिससे वे फिज़ूल खर्चियों और इस तरह से करते जा रहे हैं क्योंकि ऐसी स्थिति है कि एक अन्ध विश्वास से निकल कर दूसरे में चले जाते हैं। यह ज़रूर है । पहले धर्म और परम्परा के नाम पर था अब आज हम साइन्स के नाम पर पश्चिम की पद्धति को लेकर अन्ध विश्वास पर चलना आरम्भ कर देते हैं। यह बात अलग है । पर यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि कुछ ऐसा वर्ग है जो इस मृत्यु भोज आदि बुराई से दूर होते चले जा रहे हैं। जिनकी समाज में ऐसी स्थिति है जो दूसरों पर असर डाल सकते हैं वे यह असर पैदा कर रहे हैं । पर जो समाजिक रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं वे समझते हुए भी कि हम कर्जदार हो जावेंगे उन्हें इसके लिये बाध्य होना पड़ता है। इसलिये जेल इत्यादि का जो प्रवधान रक्खा गया था वह उचित ही था। उनको आड मिल जाती थी कि यह तो कह सकेंगे कि जेल में जाने को तैयार नहीं हैं। हम इतना ही कर सकेंगे । इसमेंकाफी बचाव होगा ।

अब जो फैमेली मेम्बर हैं सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से प्रीस्टली आर्डर जो है और फकीर जो हैं वे आ ही जाते हैं। ब्राह्मणों को तो खिलाना ही चाहिये । तो फिर उनको एग्जम्प्ट कर दिया है। यह बात अलग है। अब ब्राह्मण कौन होगा यह विचारने की बात हो जाती है । लेकिन फिर भी....

रावराजा श्री सरदारसिंह : जीमने वाले हो जावेंगे सभी ब्राह्मण ?

(हंसी)

श्री नारायणसिंह : लेकिन फिर भी काफी बचाव भी रख दिया है । पर साथ ही साथ ऐसी चीज़ का डर भी रख दिया है कि जिससे लोग एकदम खर्च न करें

(श्री नारायणसिंह)

और अगर कोई बहाना बनाना चाहे तो बना भी सकता ।

अब कुछ प्रश्न ऐसे भी आये जिससे पुलिस का दखल पैदा किया जा रहा है। और साधारण जीवन में पुलिस राज्य का स्वरूप लाया जा रहा है तो उन सब चीजों को नियन्त्रण में लाने के लिये और कौनसी व्यवस्था हो सकती है यह अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। कोई न कोई ऐसी व्यवस्था तो रखनी पड़ेगी जिससे यह सूचना कोई वर्ग दे और कार्यवाही की जावे । जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीज़र के नियम बने हैं उनकी तंग गलियों मे उन सभी व्यवहार पद्धतियों को बांधना पड़ता है। यह चीज़ अलग है। अब इसमें कितनी आपसी वैमनस्य की छाप आवेगी अथवा हमारे व्यवहार की ही ओछाई की कितनी छाप आवेगी राष्ट्रीय प्रवृत्ति की। इनको और तरीकों से सुधारने की बात सोची जा सकती है। पर आज की स्थिति जैसी है उसमें वैसा ही नियन्त्रण लाया जा सकता है और वह तो प्रबन्ध यही हो सकता है।

एक और बात है, पंचायतों को इसका नियन्त्रण दिया जावे। मैं इसको मानने को तैयार हूँ । पंचायतों को अधिकाधिक अधिकार देने की प्रवृत्ति हो और देने चाहिये । जहां सामाजिक कुरीतियों को सुधारने का सवाल आता है, अवश्य ही अग्रसर उनको बनना चाहिये। आज पंचायतें केवल बड़े प्रकार का पटवारी या गिरदावर बन कर नहीं रह सकती। वह एक अफसर बनकर अपना रौब रखना चहाते हैं तो यह ठीक नहीं होगा। पंचायतों को असल ग्राम सेवक अपना पड़ेगा, ग्राम सुधारक बनना पड़ेगा। और इस दृष्टि से बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं पंचायतों के साथ संयुक्त की जावें तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। ये जिम्मेदारियों उन पर रक्खी जानी चाहिये। तो इन बातों के साथ मैं यह समझता हूं कि यह छोटे मोटे हेरफेर करके हम यहीं बैठ कर इस बिल को पास कर सकते हैं। इसमें कोई खास परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है कि हम इसको सलेक्ट कमेटी में दें या पब्लिक जानकारी के लिए सर्कूलेट करें । पब्लिक जानकारी तो मिल चुकी है और मालूम हो गया कि जनता की भावना क्या है । अब उसमें दबाव क्या है वह भी हम जानते हैं। तो इसके सर्कूलेशन की भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सलेक्ट कमेटी में भी देने की आवश्यकता नहीं है। दो तीन छोटी मोटी हेर फेर जो कि शीर्षक संबंधी है या जो क्लाज़ २ में है, क्लाज़ ५ में हो सकती हैं और क्लाज़ १२ के बारे में जो मेरी आपत्ति है वह है इन सब बातों को देखकर यहां पर विचार कर सकते हैं। इन बातो पर विचार करना चाहिये कि अपना मकसद पूर्ण कर सके इस प्रकार का बिल कैसे बन सकता है तो इन बातों के साथ मैं यही अर्ज करूंगा कि इस विधेयक को हमें यहीं बैठ कर पास कर देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आबिद अली।

श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल हाउस के सामने है वह इतना बड़ा बिल नहीं है कि जिसको लम्बे मुद्दत के लिए लम्बे टाइम के लिए सलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाता । लेकिन इसके अन्दर दो तीन बातें इस प्रकार की हैं कि मैं समझता हूं कि इसको सलेक्ट

(श्री अबिद्अली)

कमेटी में जाना चाहिये और खास तौर से यों भी जाना चाहिये कि आनरेबल मिनिस्टर इन्चार्ज ने यह एश्योरेन्स दिया है कि ७ दिन के टाइम में सलेक्ट कमेटी से वापिस आ जायेगा और इसी सेशन में इसको पास कर दिया जायेगा। इसमें शक नहीं कि यह एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं और कुछ लीगल कॉम्पलीकेशन्स पैदा हो गए हैं जिनको दूर करना निहायत जरुरी है और वे लीगल कॉम्पलीकेशन्स मैं समझता हूं कि सलेक्ट कमेटी में ज्यादा अच्छे ढंग से और बैटर तरीके से दूर किये जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको निवेदन करु कि इसमें डेफिनेशन का जो क्लाज़ है उसमें सब-क्लाज (ए) में लिखा है :

"Funeral feast" meana a feast held or given on the occasion of, or connection, with, the demise of a persor after any time or at any intevals, and"... तो इसमें जो शब्द 'आफ्टर एनी टाइम' है वह कान्ट्रेडिक्ट हो जाता है हमारे क्लाज़ ६ से। क्लाज़ ६ में हमें लिमिटेशन दे दी है और उस क्लाज़ ६ में यह लिखा हुआ है :

'No court shall take cognisance of any offece under this Act after the expiry of one year from the date on, which the offence is alleged to have been committed." तो वहां पर तो देयर इज़ नो लिमिटेशन्स। लेकिन जब हम क्लाज़ ६ को पढ़ते हैं तो वहां पर साफ शब्दों में है कि फीस्ट के होने के एक साल बाद, दो साल बाद. . .

श्री भीमसेन : आफेन्स करने के बाद में एक साल है।

श्री आबिद अली : आफ्टर आल देयर इज़ नो लिमिटेशन' क्लॉज़ २ है उसमें डेफीनेशन है उसको पढ़ने से यह अन्दाजा होता है कि वह जो फीस्ट है वह आफेन्स बनेगा और उसमे दो साल बाद तीन साल बाद किसी समय भी प्रासीक्यूशन हो सकता है तो जो क्लाज़ में कान्ट्रेडिक्शन आ गया है उसको दूर करने के लिये सिलेक्ट कमेटी में ही बेहतर तरीके से विचार किया जा सकता है। इसके बाद में इसमें क्लाज़ ५,६,७ इस प्रकार के हैं कि उनका री नम्बरिंग होना जरूरी है। क्लाज ५ जो है वह इस प्रकार रन करता है :

"Whoever, knowing that an injunction has been issued under Sec. 7 disobeys such injunction shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to one year or with fine or with both." इसके माने यह है कि पहले हमें क्लॉज़ वह लेना चाहिए जिसमें कि पनिशमेंट दर्ज है इसलिए जब क्लॉज़ ७ में पनिशमेन्ट दर्ज है तो उसको इससे पहले लिया जाना चाहिए। क्लॉज़ ७ इस प्रकार रन करता है : "If a court competent to take cognisance of an offence punishable under this Act is satisfied that a funeral feast in contravention of the provisions of this Act has been arranged or is about to be held or given, such court may issue an injunction prohibiting the holding or giving of such funeral feast."

तो जो यह क्लॉज़ ७ है इसके बाद में ही

(श्री अबिदअली)

क्लॉज़ ५ आना चाहिए। इसलिये इसका नम्बर इस तरह हो जाना चाहिए : This Clause 6 should be 5, Clause 6 as 7 and clause 7 as 6. तो इस तरह से इसका एडजेस्टमेन्ट ठीक तरह से हो जाता है। तो यह बात सेलेक्ट कमेटी में बैठकर इस पर ठीक तरह से विचार किया जा सकता है। इसके अन्दर एक सीरियस बात है और वह यह है Non-liability of minors and women in certain cases उसमें यह दर्ज है कि No person under fourteen years of age shall be punishable for any offence under this Act. और क्लॉज़ ८ रन करता है No woman shall be punishable with imprisonment for any offence under this Act. तो इस क्लॉज़ के इन्ट्रोड्यूज़ करने से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वूमैन और चिल्डरन बिलो दी एज़ आफ १४ ईयर्स के ऊपर कोई लाइएबिलिटी नहीं आती है और इसके लिए मरने वाले के बाद में जो विधवा औरत रहती है वही इसके लिए तमाम जुम्मेदार होती है। आज ऐसे इन्स्टेन्सेज़ हमारे सामने नजर आते हैं कि जो मरने वाला है उसके पीछे १४ साल से ऊपर की उम्र का लड़का नहीं रहता और फिर अगर कोई लड़का होता है और वह १४ साल से नीचे आ जाता है तो प्रिन्सिपल आफेन्डर इस क्लॉज़ से निकल जायेगा और फिर इसके बाद में सिर्फ एबेटर रह जाता है। तो माननीय मन्त्री जी जो कि इस बिल के इन्चार्ज हैं वह भी जानते हैं कि वह फंडामेंटल प्रिंसिपल आफ ला है कि अगर प्रिंसिपल आफेन्डर नहीं रहता है तो एबेटर की पोज़ीशन भी सेफ हो जाती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई पक्के एवीडेन्सेज़ नहीं मिल पाते हैं। इसलिए मैं तो यह मानकर चलता हूं कि इस क्लॉज़ के इन्ट्रोडक्शन से सूरत क्या बनेगी कि यह क्लॉज़ लीगली ठीक नहीं बनेगा। पर जहां तक इन्स्टीगेशन का ताल्लुक है वहां पर सर्कम्स्टेन्शल एवीडेन्स से ही साबित कर सकते हैं। जहां ऐसी एवीडेन्सेज़ नहीं आती हैं तो आई० पी० सी० का जो क्लॉज़ ११४ है उसके अनुसार प्रिज़म्पशन ड्रा किया जाता है। वह औरत कि जो मृत्यु भोज को कराने जा रही है उसके खिलाफ हम सेक्शन ११४ के तहत में प्रिज़म्पशन ड्रा कर सकते हैं और जो १४ साल का माइनर लड़का है उसके खिलाफ भी प्रिज़म्पशन ड्रा किया जा सकता है। लेकिन जहां सर्कम्स्टेनशल एवीडेन्सेज का सवाल आता है या उसके अन्दर बड़ी दिक्कत यह आ जाती है कि जब प्रिन्सिपल आफेन्डर किसी तरह से निकल जाता है तो एबेटर बाकी रह जाता है तो उसके खिलाफ डाइरेक्ट एवीडेन्स लाने के लिए और चाहे कितना भी बेटर से बेटर प्रोसीक्यूटर हो वह कोर्ट आफ लॉ में बिलकुल नहीं जायेगा इसलिए कि डाइरेक्ट एवीडेन्स नहीं आयेगी। तो जो दफा ११४ एवीडेन्स एक्ट की थी उससे प्रिन्सिपल आफेन्डर बच गया और एबेटर के खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। इसके अन्दर वूमेन के ऊपर और चिल्ड्रन के ऊपर लाइएबिलिटी नहीं रखी इससे हमारा लॉ इन्इफेक्चुअल हो जाता है। जहां तक माईनर का सम्बन्ध है वह कन्सीडरेशन उनको नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमको आई० पी० सी० से हैल्प लेनी पड़ेगी। जो प्रॉविज़न वूमेन के लिए आई० पी० सी० में दिया गया है वही इस कानून के अन्दर भी किया जाये। एक आफेन्स के सिलसिले में एक्सेप्शन वही होना चाहिए कि जो कि आई० पी० सी० में है। उसमें माईनर का

(श्री आबिदअली)

प्राविज़न है लेकिन उसमें १४ ईयर्स का लिमिटेशन नहीं है। उसमें साफ है कि जिस नाबालिग के समझने का और आफेन्स को डिस्क्रिमिनेट करने का माप न हो उसको एक्सैप्शन दे दिया जायेगा। तो जहां तक १४ साल तक के एक्सेप्शन देने की बात है वह नहीं दी जानी चाहिए। तो इसके लिए हमें आई० पी० सी० की सहायता लेनी पड़ेगी तो इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये और वहां पर ७ दिन के अन्दर इस पर विचार किया जा सकता है। जब हम इसको एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बनाने जा रहे हैं ठीक है हमें इसको प्रोग्रेसिव बनाना है पर इसको आज ही पास कर दिया जाये यह मैं नहीं मानता। लेकिन इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह इतना अच्छा लेजिस्लेशन बने कि यह इन्इफेक्चुअल न रह जाये। तो इसमें जो क्लॉज़ ८ इन्ट्रोड्यूज़ किया गया है वह पार्टली इसको इन्इफेक्चुअल बना देता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसे सलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये और वहां से ७ दिन के अन्दर आ जायेगा और इस प्रकार इसको इसी सेशन में पास कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : उपाध्यक्ष महोदय, . .

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष, सिलेक्ट कमेटी के नाम दे दिये हैं, मेरे खयाल से जिन सदस्यों के नाम उसमें है उनको बोलने का व राय देने का मौका वहां मिलेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : इस को सिलेक्ट कमेटी में दिया जाय या नहीं .,

श्री आबिदअली : ओन ए प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन, सर, इस प्रोसीज़र के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : किस प्रोसीज़र के सम्बन्ध में ?

श्री आबिदअली : ऐसा है कि हमारे माननीय सदस्य श्री नारायणसिंह आफ मसूदा ने निवेदन किया था कि इसमें एक प्रोवीज़न रखा है, Amendment of Rajasthan Panchyat Act, 1953 तो हम इससे राजस्थान पंचायत एक्ट को एमेंड करने जा रहे हैं तो उसके अन्दर हमको कन्डक्ट आफ बिज़ीनेस एन्ड रुल्स आफ प्रोसीज़र को देखना पड़ेगा। इसमें रूल १२२ में साफ है कि Conditions of admissibility of amendments-The following conditions shall govern the admissibility of amendments:—(i) An amendmont shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates.

(ii) An amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : His amendment relates to the amendment which have been put in the Bill and not for the whole Bill.

श्री आबिदअली : आप मेरे को पहले कह लेने दें उसके बाद में कहें। में जिसको

श्री आबिदअली)

इन्टरप्रेट कर रहा हूँ यह रूल्स बिल्कुल साफ है "An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates." यह जो एमेंडमेंट हम ला रहे हैं यह स्कोप आफ दी बिल में नहीं है, क्योंकि बिल जो है . .

श्री दामोदरलाल व्यास : And the Bill means the Bill pending before the House.

श्री आबिदअली : मेरा आर्ग्यूमेंट भी यही है कि बिल पेंडिंग जो है, वह the Bill pending before the House... और जो हम एमेंडमेंट लाना चाहते हैं वह राजस्थान पंचायत एक्ट के अन्दर।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is a part of the Bill. जहां हम राजस्थान पंचायत एक्ट को एमेंड कर रहे है वह बिल का पार्ट है There is no seperate amendment. अगर आप सेपेरेट एमेंडमेंट लाते है तो नहीं ला सकते।

श्री आबिदअली : १२२ का पर्पज़ सर्व नहीं होता है।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : But you want to put certain cenditions on the Panchayat Act. I think in some other manner or way, we should have put a separate amendment. We can as well as have an amendment for Municipalities or other things. But this is not proper...

श्री आबिदअली : My submission is this that Rule 122 reads as follow:- "An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of clause to which it relates." इससे बिल्कुल साफ है कि There should be some relevancy and there should a scope और स्कोप के अन्दर ही हम एमेंडमेंट मूव कर सकते हैं। उसके पहले वह रेलेवेन्ट भी होना चाहिए। हमारे सामने बिल मृत्युभोज के सम्बन्ध में और हम राजस्थान पंचायत एक्ट जो बना हुआ है उसके अन्दर एमेन्डमेंट करने जा रहे हैं। उसके विषय में रेलवेन्सी तो तब होती एमेंडमेन्ट लाने की जब कि सेपरेट एमेन्डमेन्ट पंचायत एक्ट के अन्दर लाते। इसलिए रूल १२२ पर विचार करने के लिए भी इसको सिलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत है। वर्ना यह कानून अल्ट्रा वायरस हो जायगा। मेरी यह मान्यता है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने इस प्रस्ताव को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकार कर लिया है। वह नामावली इस प्रवर समिति से संबंधित आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं इस उद्देश्य से कि जो माननीय सदस्य इस प्रवर समिति के सदस्य हैं उनको इस सम्बन्ध में इस प्रस्ताव पर बोलने का अधिकार आगे नहीं रहेगा। उनके नाम इस प्रकार हैं :

(१) श्री दामोदरलाल व्यास।
(२) डॉ० बहादुरसिंह।
(३) श्री मांगीलाल।
(४) डॉ० चन्द्रकला।
(५) श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।
(६) श्री मूलचन्द डागा।

(श्री उपाध्यक्ष)

(७) श्री देवीलाल ।
(८) श्री किशनलाल शाह ।
(६) श्री मोतीलाल चौधरी ।
(१०) श्री तेजमल बापना ।
(११) श्री सज्जनसिंह ।
(१२) श्रीमती सतवन्त कौर ।
(१३) रावराजा सरदारसिंह ।
(१४) श्री सूरजमल ।
(१५) श्री बेनाराम ।
(१६) श्री महेन्द्रसिंह पंवार ।
(१७) श्री मदनसिंह दांता ।
(१८) श्री नाथूलाल करौल ।
(१६) श्री शिवचरणदास ।
(२०) श्री मुरलीधर व्यास ।
(२१) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी में मेरा नाम है....

श्री उपाध्यक्ष : अब प्रश्न यह है कि जो माननीय सदस्य प्रवर समिति के सदस्य नहीं रहना चाहते है वे विड्रा कर सकते हैं तभी उनको अधिकार बोलने का रह सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपना नाम विड्रा करता हूं।

श्री रावराजा सरदारसिंह : श्री रघुवीरसिंहजी का नाम इसमें और जोड़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरे अधिकार की स्थिति नहीं है। आप बाद में रखें।

श्री आबिदअली : उपाध्यक्ष महोदय, ओन एक प्वाइन्ट आफ इनफॉर्मेशन, सर So the Hon'ble member wanted to withdraw his name ?

श्री श्रीभानसिंह : Was the permission of the Hon'ble member not obtained before submitting the names ot the Chair ?

श्री उपाध्यक्ष : It so appears that it was not sought.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में सिलेक्ट कमेटी के सम्बन्ध में नाम प्रस्तुत किए है । मेरे विचार के अनुसार इसके लिए सिलेक्ट कमेटी की आवश्यकता नहीं है, और इसी वजह से मैंने अपना नाम विड्रा किया है ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में जिन लोगों ने अपने अपने विचार रखे तो मुझे आश्चर्य इस बात से हुआ कि राजस्थान के जितने भी विधेयक इन दो वर्षों के अन्दर यहां पर आये हैं उनमें सबसे छोटा और मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण विधेयक जो इसके अन्दर आया अगर जब कि इसके अन्दर १२ ही क्लाजेज़ हैं और एक, दो दिन में आसानी से सारी चीजों पर विचार कर सकते थे, उसको भी बहुत से लोगों ने सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की राय रखी।

जहां तक उनके विचारों को मैंने सुना और उसमें अधिकांश लोगों की राय सिलेक्ट कमेटी में देने की थी। सिलेक्ट कमेटी में देने के साथ साथ उनकी यह राय थी कि इसके

(श्री मुरलीधर व्यास)

लिए कोई कानून की शिकायत नहीं है। समाज के अन्दर सुधार हो जाय और लोग धीरे धीरे ही अपने आप सीख लें और इस मामले के अन्दर जो यह कुरीति है यह धीरे धीरे ठीक हो जायगी। परन्तु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आज एक ऐसा विधेयक जिसके सम्बन्ध में आज से नहीं बरसों से राजनैतिक पार्टियां, समाज सुधार की पार्टियां और सारे लोग हिन्दुस्तान के इस बात के लिए सहमत रहे हैं कि इस प्रकार के मृत्यु भोज हमारे समाज के लिए कलंक है, और इसने हमारे समाज को बहुत ही बरबाद किया है। बहुत से लोगों ने इसके कारणों का सही मायने में अध्ययन और विश्लेषण किया। मैंने एक किताब देखी थी जिसके अन्दर हिन्दुस्तान के किसानों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से गिरी और इन १०० सालों के अन्दर उसके गिरने के क्या कारण थे। उन कारणों के अन्दर सबसे बड़ा कारण हमारे समाज की कुरीतियां थी कि जिसके कारण से हमारा किसान समाज हमारे देश के अन्दर बहुत ज्यादा बरबाद हुआ और आज से १०० साल पहले किसान के पास जितनी जमीन थी उस समय ६० फी सदी लोगों के पास जमीन थी, वे जमीन के मालिक थे और १०० साल के अन्दर किस प्रकार से जमीन की मिल्कयत उनकी गई और आज ६० फी सदी ऐसे हो गये जो जमीन के मालिक नहीं है और १० फी सदी जमीन के मालिक इस प्रकार से रहे। या जो हमारे देश के अन्दर परिवर्तन हुआ उसमें सबसे बड़ा कारण जो बतलाया गया कि हमारे समाज के अन्दर ऐसी कुरीतियां थी, ऐसी रुढ़ियां थी जिनकी वजह से किसान वर्ग जो है वह बिल्कुल ही गरीब हो गई। उनका जो मूलधन जमीन थी उसके जाने का कारण कोई अगर सबसे बड़ा बताया गया तो वे कुरीतियां थी और यह कुरीतियां थी जिसकी वजह से किसान आज अपनी जमीन का मालिक नहीं रहा। यह एक बड़ा भारी समाज के अन्दर परिवर्तन आगया और सब ने महसूस किया, और महसूस करने के बाद यह कोशिश, जिस वक्त अंग्रेजों का राज्य था तब या अन्य लोगों का राज्य था से, थी कि इस प्रकार की रूढ़ियां जो समाज के अन्दर है वे समाप्त हों। जब उनको समाप्त करने के लिए ऐसा मौका आया तो सिलेक्ट कमेटी में रखने का प्रस्ताव रखा गया है और परोक्ष रूप से यह कहा जाता है कि कानून बनाने से कोई सुधार नहीं होगा। जहां तक इसके संबंध में अपनी राय समझता हूं कि कानून के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। कानून इसके सम्बन्ध में नहीं रखेंगे और ऐसा सोचेंगे कि सुधार हो जायगा तो मेरी स्पष्ट धारणा है कि बिना कानून के इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता है, और समाज की जो कुरीतियां और रूढ़ियां हैं, जो समाज में इस प्रकार फैली हुई हैं कि लोग ऐसा मौका देखते हैं और उसका एक आर्थिक पहलू भी है। कई स्थानों में गांवों के अन्दर लोग मौका देखते हैं कि किस प्रकार से ऐसी घटना घटती है तो उससे यह कहा जाता है कि तुमको मोसर करना पड़ेगा, मृत्युभोज करना पड़ेगा, उसको इसमें पैसा लगाना पड़ेगा और पैसा लगाने का सवाल आयेगा तो किसान अपनी जमीन बेचेगा और हम जमीन के मालिक बनेंगे।

और इसलिये भी वे ऐसे मामलों में लोगों को उकसाते हैं और करने के लिए उनको बाध्य करते हैं। समाज में उसकी प्रतिष्ठा

(श्री मुरलीधर व्यास)

को कम करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार से जीमण हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो लोग इसके लिये मौका देखते हैं। आप इसकी गहराई में जायेंगे तो पता चलेगा। यही कारण है कि हमारे मुल्क में किसान ज्यादा गरीब हुये। अपने घर बार, अपनी धरोहर जमीन और घर की छोटी मोटी चीजें बेच कर भी मृत्युभोज उनको करने पड़ते हैं और दूसरों को मृत्यु भोज करने के लिए बाध्य करना पड़े यह वस्तुस्थिति है इसको भुलाया नहीं जा सकता। इसको ध्यान में रखते हुए यह मान्य करना चाहिये कोई यह कहे कि कानून की जरूरत नहीं है, मैं यह कहता हूं कि समाज को इस प्रकार से खड़ा किया जा सके इसके लिए सिवाय कानून के दूसरा रास्ता नहीं है।

सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के रुप में कई बातें कही गई। कई लोगों ने इसका विरोध किया और जनमत प्रसारण के लिए भी कहा गया। मैं समझता हूँ ऐसे मामलों में जनमत स्पष्ट है। शायद कोई यह कहे कि जनमत इसके पक्ष में नहीं होगा लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जनमत इसमें जनता का है। मृत्यु भोज हमेशा से चला आ रहा है, जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, सरकार बहुत जल्द इसको बंद करने वाली है इसलिये जिस किसी को मृत्यु भोज करना हो जल्दी करलो। प्रचार का यहां तक सवाल है कि लोग समझे हुए हैं, हमको देखना है पहले से कितना लाभ हुआ है। हमें इसे जल्दी जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है। मेरे दिमाग में यह बात है कि सिलेक्ट कमेटी बैठे नहीं बैठे, कोई यह भी कह रहे हैं कि सेशन दो तीन दिन में ही खत्म होने वाला है। मैं समझता हूं कॉंग्रेस की मीटिंग कल हुई थी उसे....

श्री उपाध्याय : Why do you refer this question here?

श्री मुरलीधर व्यास : इस बात की चर्चा सुनी तो महसूस हुआ कि ऐसा कुछ हुआ और साल भर तक आगे नहीं आया और ऐसी घटना हुई तो साल भर में क्या होगा? जो कानून आने वाला है वह तुरन्त लागू नहीं हुआ तो साल भर में मौसर ज्यादा तादाद में हो जायेंगे। तो कानून बनाते समय हमें खूब सतर्क रहना चाहिये। इससे होने वाली बुरी घटनायें या कुरीतियों को बढ़ावा देने का मौका नहीं देना चाहिये और जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिये।

धर्म और दूसरी बातों के लिये कुछ लोगों ने कहा कि हमारे धर्म में आवश्यक है कि मृत्यु भोज हमारे बड़ों के मरने के बाद करना चाहिये। यह धार्मिक चीज़ है। यदि इसे नहीं करते हैं पाप के भागी बनते हैं, यहां तक बात कही गई। मैं धर्म की व्याख्या नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी धर्म में इस बात का उल्लेख नहीं है मृत्यु के पीछे भोज करना आवश्य है और यदि धर्म के नाम पर किसी किताब में भूल से भी लाकर कहदें कि यह धर्म क्रिया है तो मैं कहूँगा कि वह धर्म धर्म नहीं है जो कोढ़ बन कर समाज को नष्ट करना चाहता है। यह एक समाजिक रूढ़ि बन गई है, धीरे धीरे इस प्रकार फैल गई है जो हमारे समाज को धीरे धीरे समाप्त कर रही है। इस रूढ़ि

(श्री मुरलीधर व्यास)

को हमें समाप्त करना है। हो सकता है इससे कई दिक्कतें आवे, पुलिस क्या करेगी किस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिये लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस यदि शिकायत मेजिस्ट्रेट के पास जाने से रोकती है या नहीं रोकती है तो भी मेरा विचार है कि इस कानून के बाद ६० प्रतिशत लोग खुद इस चीज़ को रोक लेंगे। सिर्फ उनको कानून की मदद मिल जाय तो वे कहेंगे कि ऐसा कानून बना हुआ है इसलिये दिक्कत में कौन पड़ना चाहे। केवल १० परसेन्ट लोग ऐसे हो सकते है जो बावजूद कानून के भी ऐसा करने की कोशिश करने वाले हो सकते है। जो लोग आर्थिक दृष्टि से गिरे हुए हैं और समाज के लोग उनको बाध्य करते है क्योंकि कानून की मदद उनको नहीं मिलती है इसलिये उनको लाचार होकर करना पड़ता है इसलिये जो लाचारी की स्थिति में हैं उनको कानून मदद देगा। हो सकता कि पुलिस में भ्रष्टाचार हो जाय तो जो नया ढांचा शासन में हम अपनाने जा रहे है विकेन्द्रीकरण शक्ति का काम करने जा रहे और उसके अन्तर्गत पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार देने चाहते है तो इस कानून में भी ऐसी चीज़ रखी जाय जो पंचायतों को इस मामले में भी अधिकार दे और पंचायत स्वयं इसमें हस्तक्षेप कर सके या शिकायत कर सके। पंचायत खुद हस्तक्षेप करे या कोई पंचायत को जानकारी दे तो हस्तक्षेप कर सके इस प्रकार का प्रावधान रख कर रक्षा की जा सकती है। जहां तक बुराइयों का सवाल है, भ्रष्टाचार इस कानून के साथ बन सकता है उसका उपाय हम बैठ कर आसानी से सोच सकते हैं। इसके लिए सिलेक्ट कमेटी की बात कही, जैसा कि प्रस्ताव रखा गया है ८ दिन में विचार करके पुनः हाउस के सामने रख देंगे। लेकिन अगर ८,१० दिन बाद इस विधान सभा की बैठक नहीं हो, ६ महीनों बाद हो, काफी देरी हो सकती है। इस हद काफी लोगों ने अपने विचार रक्खे इस पर काफी बहस हो चुकी है। हैं, कानूनी अड़चने बता चुके है तो इस पर जल्दी ही यहां पर विचार करके हम निर्णय ले सकते हैं। इसलिये मैं इस विधेयक को महत्वपूर्ण समझता हूं और जल्दी से जल्दी पारित करने के लिये यह निवेदन करता हूं कि इसे आज ही पारित करना चाहिये, सिलेक्ट कमेटी में भेजने की राय, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। यह १२ क्लाज़ का छोटा सा बिल है। घंटे आधे घंटे में इसे पास कर सकते हैं। इसमें दो क्लॉज़ हो ऐसे होंगे जिस पर अधिक बहस हो सकती है ... ...

श्री दामोदरलाल व्यास : आधा घंटा तो आपने खुद ने ले लिया।

श्री मुरलीधर व्यास : घंटे भर में हो जायगा, दो घंटों में हो जायगा। मैं समझता हूं ज्यादा समय लगेगा नहीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसे यहीं पर पारित किया जाय। हालांकि आपने सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के भी नाम दे दिये है। मैं यह सोचता था कि आपने एक प्रगतिशील कदम रखा है लेकिन जब मैंने यह देखा कि कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण सदस्य जो विप की पॉवर रखते हैं उन्होंने इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की राय दी है तो शायद उन्होंने मंत्रीजी से पहले पूछ कर प्रस्ताव रखा हो। लेकिन इस सम्बध में जो कुछ हुआ है वह अत्यन्त प्रतिक्रियावादी कहा जाय तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि प्रगति कि ओर कदम उठाना चाहते हैं तो इसे आज ही पारित करें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मेरा यह निवेदन है कि इस चीज को बंद करने का जब जब भी सवाल आया तब तक हमने इसको सपोर्ट किया। करीब ४०, ५० वर्ष पहले से यह कानून बनाकर रायज भी रहा है, जैसे जोधपुर रियासत में रहा, यहां पर भी कई दफा यह व्याप्त हुआ है। मैं तो यहां तक निवेदन करता हूं कि मन्त्री महोदय खुद जानते हैं कि उनके खुद के मालपुरा के इलाके में और मेरी कॉस्टीट्युएन्सी में भी खंगारोत कम्युनिटी में सैकड़ों गांवों में आज से २० वर्ष पहले से ही इसे बंद किया हुआ है और बड़े कठोर नियम के साथ जातीयता के तौर पर इसे बन्द किया है। यह न तो किसी मजहब का सवाल है और न कोई और चीज़ है क्योंकि जो दस्तूर और धर्म के तरीके इसमें हो सकते हैं वे इसमें नहीं हैं। रही बात यह कि हमारे यहां भी यह नियम हो चुका है जैसे जो ब्राह्मण हैं उनको धार्मिकता के लिये जिमा दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं था। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह चीज़ जहां तक भी है, इसमें अत्यन्त आवश्यकता तो इस चीज़ की है कि कानून बनाने के बजाय जनता को ऐसे मामले में एज्जुकेट किया जाय और जनता इस बात के वास्ते विचार करे कि यह आवश्यक चीज़ है। मैं निवेदन करूंगा आज वक्त क्या होता है कि जैसे अभी बीच में यह प्रबन्ध हुआ कि नुक्ता बन्द हो रहा है। उस वक्त क्या होता है कि जो मृत्यु प्राप्त प्राणी है, उसका नुक्ता समझा जाता है, या पुलिस आफिसर्स का नुक्ता समझा जाता है, इसमें क्या होता है कि वहां हज़ारों की तादाद में पुलिस के आदमियों को रुपया दिया जाकर उसे चालू रखने की कोशिश की जाती है। ऐसे मामलों में यह होता है कि जो दूसरे आदमी हैं वे जीमते हैं या नहीं लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं, वे तो रुपया लेने के अलावा लड्डू जीम कर फिर रवाना होते हैं। ऐसे मामले के लिए, ऐसी आवश्यक चीज़ में कानून बने लेकिन एक कानून बनाना मैं थोड़ा अनुचित समझता हूं क्योंकि इसके काम में काफी दिक्कतें पैदा हो जायगी। सदन के माननीय सदस्यों और मंत्री महोदय से यह छिपा हुआ नहीं है कि करौली रियासत में एक जगह मीणों का नुक्ता हो रहा था, उसमें भयंकर रक्तपात हुआ, भयंकर दिक्कत पैदा हुई, दसों राज्य के आफिसर मारे गये और बहुत घायल हुए और उधर के भी बहुत से आदमी मारे गये, एक संघर्ष पैदा हो गया। यह चीज़ जहां तक होती है, यह कठोर नियमों के बजाय सामाजिक प्रेरणा से यह चीज़ हो तो मैं उचित समझता हूं। हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं। राजपूतों के अन्दर यह परिपाटी कतई उठ गई है लेकिन काश्तकारों में, शिड्यूल्ड कास्ट्स की जातियों में इसका बहुत ही जबरदस्त इस वक्त हिसाब चल रहा है। इसके लिए अगर कड़ा नियम रख दिया गया जो उसमें दिक्कत पैदा हो जायेगी और आपस में ऐसा झगड़ा पैदा हो जाने में इस आर्डर की अवहेलना की भी सूरत हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसे सलेक्ट कमेटी में दिया जाय, मैं तो बुरा नहीं समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की काफी अर्से से प्रतीक्षा थी। यह विधेयक हमारे राजस्थान

(श्री भीमसेन)

के ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्रति वर्ष हज़ारों किसानों के परिवारों को इस सामाजिक बुराई से पीड़ा हो रही है। इसमें सन्देह नहीं है कि यह मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है और यह कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। जैसा कि इस विधेयक में रखा गया है, इसमें बहुत सी बातें हैं, जिनकी ओर में संकेत करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो क्लाज़ ७ रखा गया है, उसमें कोर्ट को पॉवर्स दी गई हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को पॉवर दी गई हैं लेकिन इस विधेयक में ऐसी एजेन्सी नहीं है, कौनसी एजेन्सी होगी जो कोर्ट में रिपोर्ट करेगी कि इस प्रकार मृत्यु भोज हो रहा है। सबसे बड़ी मुख्य प्रॉबलम मृत्यु भोज बन्द करने में यह है कि यह एजेन्सी एस्टेब्लिश करनी चाहिए, तब ही यह सफल हो सकता है। यह एजेन्सी वक्त पर इत्तला दे कोर्ट को, जिससे मृत्यु भोज न हो सकें। लेकिन इस बिल में इस तरह का कोई संकेत नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण करते वक्त कहा था कि पुलिस अगर चाहे तो कोर्ट के सामने प्राइवेट हैसियत से कम्प्लेन्ट कर सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पहले फीस्टस पर प्रतिबन्ध था और इस बारे में भूत के कटु अनुभव रहे हैं कि किस प्रकार पुलिस ने पुराने कानून के अन्दर कितने भ्रष्टाचार किये, कितनी रिश्वतें ली और किस तरह से कानून का दुरुपयोग किया। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि पुलिस भी इस तरह प्राइवेट कम्प्लेनेन्ट की हैसियत से मजिस्ट्रेट के पास पहुँच सकती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पुलिस को करप्सन के लिए प्रेरित करेंगे, अगर पुलिस चाहे तो कम्प्लेन्ट दायर कर सकेगी। पुलिस को कुछ पैसा मिल गया, कुछ रिश्वत मिल गई तो पुलिस कम्प्लेन्ट नहीं करेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे पहला सुझाव यह कि अच्छे रूल्स आफ कन्डक्ट बनाये जायं पुलिस के लिए कि जो पुलिस थाने का इन्चार्ज है, जिसके हल्के में मृत्यु भोज हो जाता है, उसकी ड्यूटी है कि उसकी इत्तला करे। अगर किसी इलाके में कहीं मौसर होता है तो पुलिस को जिम्मेदारी ठहराया जाय। कहीं ऐसा मौसर होता है तो पुलिस रिपोर्ट करें। यह व्यवस्था की जाय कि पुलिस उस बात की इत्तला लाजिम तौर से मजिस्ट्रेट के के सामने करे। यदि ऐसा होगा तो मैं समझता हूं कि पुलिस को करप्सन के लिए जो मौका मिलेगा, वह नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था पुलिस के लिए आगे के लिए रखी जानी चाहिये अगर इस प्रकार की व्यवस्था हम करने में सफल हो सकें तो मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से यह बिल विधान सभा के सामने आया है, मैं समझता हूं, वह उद्देश्य पूरा हो सकेगा। अगर इस तरह की व्यवस्था बिल में नहीं करी जायगी, तो मैं नम्रतापूर्वक कह सकता हूँ कि जिस उद्देश्य से विधेयक सदन के सामने आ रहा है, उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी, यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि पंचायतों की भी इसके सम्बन्ध में कुछ ऑब्लिगेटरी ड्यूटी होनी चाहिये। इस पंचायत एक्ट में संशोधन कर सकने है और पंचायतों के दूसरे फंक्शन्स हैं, उसी तरह यह

(श्री भीमसेन)

भी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर पंचायत के एरिया में मृत्यू भोज होता है तो उसको रोके या मजिस्ट्रेट के सामने कम्प्लेन्ट करे । इस तरह की व्यवस्था हो सकती है । मैं समझता हूं इससे हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है ।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यह मृत्यु भोज क्यों होता है ? इसके पीछे प्रेरित करने वाली शक्ति, जिनको हम सामाजिक पंच कहते है वे पंच ही लोगों को प्रेरित करते है इस बात के लिए कि मृत्यु भोज किया जाय । वे लालच दिखा कर, भय दिखा और बातों से उस आदमी को जिसके घर में मौत होती है, प्रेरित करते हैं, उसको बाध्य करते हैं कि वह मृत्यु भोज करें । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाय कानून के अन्तर्गत, जिसके तहत हम ऐसे पंचों को, जो जाति के पंच होते हैं, रजिस्ट्रेशन करना लाजिमी करे । जिस इलाके में, जिस पंचायत एरिया में मृत्यु भोज होता हैं, वहां के सामाजिक पंच को, जाति पंच को दंड देने की व्यवस्था की जाय । अगर इस कानून में यह प्राविजन होगा तो जिस उद्देश्य से विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें सफलता मिल सकेगी..

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं तो निवेदन करूंगा कि जनता को छोड़ कर पंच लोगों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ करिये ।

श्री भीमसेन : मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था यदि करेंगे तो उद्देश्य के अन्दर सफलता मिल सकेगी । वरना अगर हाफ हर्टेडली अटेम्प्ट हुआ तो जिस तरह कानून पुराने समय में था, उसकी जिस प्रकार उपेक्षा होती थी, वैसी अवस्था आ सकती है । अगर ऐसी व्यवस्था नहीं करी तो वे ही हमारे अनुभव हमारे सामने आयेंगे और बाध्य हो कर के कानून को वापिस लेना पड़ेगा । मेरा यह निवेदन था कि हम बिल में एक एजेन्सी मुकर्रर करें, पंचायत की ऑब्लिगेट्री ड्यूटी हो, जो एजेन्सी कोर्ट में कम्प्लेन्ट कर सके । अगर यह व्यवस्था कानून में नहीं कर पायेंगे तो हम उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेंगे ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि हमारे यहां है कि हमारे यहां मनुष्य की मृत्यु के बाद जो भोज होता है उस पर तो प्रतिबन्ध लगाया है । लेकिन ऐसे भोज भी हैं, जैसे गंगोज, जीवित मोहर होते हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाना जरूरी हैं । इस विधेयक में ऐसे मोसर के लिए प्रावधान नहीं है । इतनी व्यवस्था हम कर पायेंगे तो हम उद्देश्य में सफल होंगे । मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि यह महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम, हमारी सरकार उठाने जा रही है । मैं समझता हूँ कि इस विधेयक को जितना जल्दी पारित किया जाता है, उतना ही हमारे ग्रामीण वर्ग को राहत मिलेगी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में देने के पक्ष में बोल रहा हूं । इस बिल को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में यह इम्प्रेशन रहा है कि आज इस सदन में जितनी इस पर बहस हो रही है उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है । इस बिल को पढ़ने के बाद यह मालूम होता है कि

(श्री पी० के० चौधरी)

It is much adour about nothing.

यह जो बिल है इसको पढ़ने से यह इम्प्रेशन होता है कि यह पास हो जाय और पास नहीं भी हो तो आज की वस्तु स्थिति पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है । इस बिल के पास होने के बाद भी मृत्युभोज बन्द नहीं होंगे और यह पास नहीं होगा तो भी बन्द नहीं होंगे । बन्द क्यों नहीं होंगे ? इस लिए बन्द नहीं होंगे कि इसके इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी इसमें नहीं दी है । कोर्ट का प्रोविजन दिया है पर शिकायत कौन करेगा यह पब्लिक पर छोड़ दिया है तो पब्लिक चाहेगी तो शिकायत करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी ! तो मिनिस्टर इन्चार्ज आफ दी बिल अगर मृत्युभोज को वास्तव में बन्द करना चाहते हैं :

If he is very serious about it.

तो मृत्युभोज को कॉग्निजेबल ओफेंस बनाना चाहिए । जब तक इसे कोग्निजेबल ओफेंस नहीं बनायेंगे तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका कोर्ट का कोग्निजेन्स रखा है ।

Subject to somebody going and making any application to the court.

कोर्ट के कोग्निजेंस में यदि मृत्युभोज हो रहा है, होने वाला है, या हो गया है तो इसकी इन्फोर्मेशन देने की जिम्मेदारी पब्लिक पर छोड़ दी है । अगर पब्लिक ही इतनी एन्लाइट होती तो वह कानून पास करने की आवश्यकता ही नहीं होती There should have been social boycott.

यदि पब्लिक में यह भावना पैदा हो जाती कि मृत्युभोज नहीं करना चाहिए तो मृत्युभोज का वहीं बॉयकाट करती । गांवों में यह टेन्डन्सी पैदा नहीं हुई है कि अपने पड़ौसी के खिलाफ शिकायत करेंगे बशर्ते कि उनमें एनिमिटीज हों । आपस में दुश्मनी हो तो वहां हो सकता है कि जरूर कोई न कोई शिकायत करेगा पर इन लार्ज स्केल मृत्यु भोज को न तो कोर्ट के कोग्निजेंस में लायेंगे और तरह इसका फेट भी जो शारदा एक्ट का फेट हुआ है वही होने वाला है । शारदा एक्ट का इफेक्ट हमने देख लिया है, चिल्ड-रन मैरेजेज़ होती हैं और रूकती नहीं, इससे हमें सीखना चाहिए कि यदि इस रिवाज को रोकना है तो इसको रोकने के लिये इफेक्टिव मशीनरी इस कानून का इम्प्लिमेन्टेशन करने के लिये होनी चाहिये । अगर The Government must statutorily provide a machinery or an agency जिसका काम ऐसा ही रहेगा कि इस तरह की रिपोर्ट होती रहेगी । The Government must appoint inspectors or reporters in every tehhil जो कहीं मालुम पड़े कि मृत्युभोज हो रहा है तो कोर्ट में जाकर केस दायर कराये । इस तरह का प्रोविजन करना चाहिये या इसको कोग्निजैबल ओफेंस बना देना चाहिये ताकि पुलिस ओटोमेटिकली कोग्निजेंस ले तो मैं कहता हूँ कि यदि हम इसको सीरिय-सली मानते हैं कि मृत्युभोज को रोकना चाहिये तो या तो इसको कोग्निजेबल ओफेंस बना दें या ऐसी मशीनरी आपोइन्ट कर दें They should provide some machinery so that there may be a vigilance.

यह तो एक बात हुई कि या तो मशीनरी अपाइन्ट कर दें या कोग्निजेबल ओफेन्स बना दें । दूसरी बात यह है कि फ्यूनरल फीस्ट्स

(श्री पी० के० चौधरी)

की डेफिनेशन में लिखा है, वहां सिर्फ यह रखा है "holding or giving funeral feast" includes the distribution of articles of food, prepared or unprepared but does not include the feeding of the family people or persons of the priestly order or faquirs in pursuance of the performance of religious or secular rites."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हम मृत्युभोज को रोकना चाहते हैं और इस लिए रोकना चाहते हैं, यह नहीं मान कर कि It is a moral offence.

मृत्युभोज देने में कोई नैतिक दोष हो, इसलिए नहीं रोक रहे हैं पर इसलिये रोक रहे हैं कि यह इकोनोमिक रुइनैंस की तरफ ले जाता है, लोगों की आर्थिक हालत बिगाड़ देता है और सामाजिक रीति के पालन में कर्ज कर लेता है, इसको रोकने के लिए, उनकी आर्थिक कन्डिशन पर अनावश्यक बर्डन नहीं हो इसके लिए कानून लाते हैं पर यह देखना है कि लोगों के सेंटिमेंट्स हैं कि डैथ हो जाती है तो लोग चाहते हैं कि जो उनके क्लोज फ्राइन्ड्स हों, रिलेटिव्स हों, तो उनकी भावना रहती है कि रिलेटिव्स को क्लोज फ्राइन्ड्स को जरूर बुलाना चाहेंगे और वे शरीक होना चाहते हैं तो यह डेफिनेशन है इसमें सिर्फ फेमिली पीपुल रखा है। हमारा इन्टेशन उन पर जो आर्थिक भार पड़ता है उसको रोकने का है। तो इसके लिये जैसा हमने राशनिंग के जमाने में किया था कि We limit the number in the feast. ५०,१०० या २०० आदमियों से एक निर्धारित संख्या से ज्यादा को नहीं खिला सकते That will be a liberal prohibition. तो यही लिबरटी यहां ठीक रहेगी। मृत्युभोज के समय १०० या ५० या २०० जितनी भी संख्या निर्धारित हो उतने आदमियों को खिलाये तो यह बुरी बात नहीं है, इतनी हद तक तो छूट देनी चाहिये। यह नहीं देंगे तो लोगों के इमोशन्स पर असर पड़ सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि मृत्युभोज को फेमिली तक ही न रख कर रीजनेबल नम्बर रख देना चाहिये; ताकि १०० या २०० से ज्यादा को न खिला सके। सौ दो सौ को खिला देता है तो किसी की फेमिली की उतनी बर्बादी नहीं होती है कि बिलकुल रुइन हो जाय। तो फेमिली मेम्बर्स का ही सिर्फ नहीं रखना चाहिये। प्रीस्टली आर्डर की छूट देते हैं, फकीरों की छूट देते हैं तो प्रीस्टली आर्डर में सभी ब्राह्मण आयेंगे। अगर नंबर फिक्स कर देंगे तो उतने ही मेम्बर रहेंगे। और दूसरा मेरा सुझाव है कि इसके इम्प्लिमेंटेशन के लिए इलोबैरेट मशिनरी मुकर्रर करें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): शास्त्रों में तो १२ का नम्बर है।

श्री पी० के० चौधरी : शास्त्रों की बात छोड़िये, शास्त्रों का पालन करते तो १२ से ज्यादा को नहीं खिलाते।

श्री मुरलीधर व्यास : सौ, दो सौ तो जरूर जिमाना चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : क्लाज १२ के बारे में मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने ओब्जेक्शन उठाया कि पंचायत एक्ट में सीमा करते हैं इस बिल के जरिये इसमें हमको प्रोविजन रखना चाहिये, इतना

(श्री पी० के० चौधरी)

तो हम रख सकते हैं कि जो मृत्यु भोज में शरीक होगा वह पंचायत के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। इसके लिये पंचायत एक्ट में सेपरेट एमेन्डमेंट आना चाहिये। इस बिल के जरिये हम एक्ट में इस प्रकार का एमेन्डमेन्ट कर भी सकते हैं या नहीं। यह एक लीगल डिफिकल्टी है But I don't consider it very desirable. इस बिल का राजस्थान एक्ट २१, पंचायत एक्ट की धारा ११ का संशोधन इस बिल के जरिये हो जावे। इसमें प्रोविजन नहीं होना चाहिये कि मृत्यु-भोज में शरीक होगा वह खड़ा नहीं हो सकता पंचायत एक्ट में It must come as a separate amending Bill. बस इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभ नगर-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मृत्यु-भोज निवारण विधेयक, १६५६ का जो बिल आया है उसका मैं विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, कोई भी बिल यहां आने से पहले हमारी सरकार को सोचना चाहिये था कि राजस्थान में इसका प्रचार, प्रोपोगेन्डा किया जावे। कलेक्टरेट में, तहसीलों में और पंचायतों में अधिकारियों द्वारा इसका प्रचार कराते। मैं यह कहूंगा कि यह वैसा ही बिल है जैसा कि अजमेर का शारदा बिल जो हर बिलास शारदा ने पार्लियामेंट से पास करवाया था। तो इस कानून के अन्तर्गत हमारे राजस्थान की पिछड़ी हुई जातियों के लोगों के और मृत्यु भोज के फिगर्स थे। तो मैं यह अर्ज करूं कि इस कानून के अन्तर्गत गरीब किसानों में भ्रष्टाचार बढ़ा। पुलिस में केसेज दर्ज होते कि इस मेल या किसान ने या मजदूर ने भोज किया। मजदूरों में इस प्रकार की संसनी फैलती तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसा बिल लाने से पहले हमारी सरकार को सोच विचार कर लाना चाहिये। मैं जिस इलाके से चुन कर आया हूं वहां पर जाट जाति के लोग ज्यादा हैं। वे लोग खेती का काम करते हैं और उनके घरों में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ऐसी हालत में हमारी सरकार ने पहले भी कदम उठाया जब हमारे यहां अनाज की कमी थी और सरकार की तरफ से लेवी वसूल करते थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप यहां पर लेवी कहां से ले आए। यहां तो विधेयक पर चलना है आप लेवी पर कहां चले गये।

श्री हरिप्रसाद यादव : विधेयक से मृत्यु भोज का मतलब है कि गेहूं या चावलों को बना कर खिलाना। अनाज की समस्या को लेकर और आर्थिक समस्या को लेकर यह बिल सदन में पेश किया गया है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय को मैं साफ कर दूं कि जब लेवी का मामला चला और लड़की की शादी करके गौना करते तो १० मेहमानों को जो आते थे लड़की को लेने के लिये तो उनको खाना खिलाते। तो उस समय दस महमानों के लिये लप्सी नहीं बना सकते थे। इसको सीरा, हलवा भी कहते हैं और हिन्दी में लप्सी में कहते हैं तो उस समय उन लोगों पर ५१) जुर्माना किया जाता था।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मृत्युभोज पर नहीं बोल रहे हैं। मृत्युभोज से सम्बन्धित चीज हो उसको कहना चाहिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सदस्य को ज्ञात नहीं है कि मृत्यु भोज क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य जब कुछ बोलना चाहें तो आप अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : यहां लड़की के सुसराल वालों को जिमाने का प्रश्न नहीं उठाया गया है। यहां तो मृत्यु भोज का प्रश्न है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैंने यह पहले जो कुछ हुआ उसकी मिसाल दी है। पहले भी हमारी सरकार ने ऐसा किया मगर उससे कोई तथ्य नहीं निकला। हमारी जनता ने हमको यहां पर अपनी वकालत करने के लिये भेजा है तो अगर उसकी वकालत को हम यहां पर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अगर हम उनकी आवाज को आप तक नहीं पहुँचावेंगे तो उनकी आवाज आप तक नहीं पहुँचेगी। सरकार यहाँ पर विधेयक लाती है मगर तहसीलदार को और क्लेक्टर को पता नहीं और पंचायत अधिकारी को पता नहीं, ग्राम पंचायतों को पता नहीं और यहां अन्धाधुन बिल आ गया और कई माननीय विधान सभा के सदस्यों को पता नहीं है वे बेचारे पहाड़ियों और धूप में अपने इलाकों में घूमते फिरते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I take very serious objection to the Hon'ble members' using the words बेचारे विधान सभाइयों को पता नहीं है कि कौनसा बिल पास हो रहा है। मुझे इन शब्दों से बड़ा एतराज है···

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य ने शब्द बेचारे माननीय सदस्यों के लिए शब्द का उपयोग किया है और उसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने और भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हैं जो माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा के विरूद्ध है। मैं माननीय सदस्य को चेतावनी देता हूं कि वे शब्द 'बेचारा', जिसका उन्होंने उपयोग किया है वापिस लें और ऐसे शब्दों का उपयोग न करें जो सदस्यों की प्रतिष्ठा के विरूद्ध हों। 'बेचारा' शब्द को वापिस लिया जावे।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैंने माननीय सदस्यों को कोई गाली नहीं दी है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। 'बेचार' शब्द वापिस लिया जावे।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा फिर भी आपके दिमाग में ऐसी शंका है तो...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्षजी मैं इस मृत्यु भोज बिल पर बोल रहा था तो माननीय सदस्यों ने यह एटेक किया कि यह क्या हो रहा है। तो मैं माननीय सदस्यों से यह आशा करता हूं कि जो मैंने बयान दिया वह सही था। मैं यह निवेदन करूंगा कि इन भोले भाले मजदूरों और किसानों के लिये यह हितकर नहीं होगा। इसलिये मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि यदि ऐसा बिल आना चाहिये तो पहले हमारी सरकार को इसके लिये प्रचार करना चाहिये और गांव गांव में इसके लिये कमेटियें बनाई जावे और

(श्री हरिप्रसाद यादव)

हमारे राजस्थान विधान सभा में माननीय सदस्य हैं वे अपने क्षेत्रों में जावें और हरिजन सदस्य हैं वे भी अपने अपने क्षेत्र में जा कर इसका प्रचार करें और प्रोपोगेन्डा कर लें और फिर दूसरे साल में यह बिल आवे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि इसको पास नहीं किया जावे। यदि आज ही इसको पास करना है तो इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मृत्युभोज निवारण विधेयक १६५६ इस समय माननीय सदस्यों के विचाराधीन है। इस सदन में इस विषय में मृत्यु भोज के संबन्ध में देखना यह है कि इसकी आवश्यकता है या नहीं। इसके लिये सदन में दो राय है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह दलील दी कि समाज में कुरीतियें है उनको खत्म करने के लिए यह कानून पर्याप्त नहीं है। कानून से ये कुरीरियें समाप्त नहीं की जा सकती और इसके लिये उन्होंने शारदा एक्ट का हवाला दिया और दूसरे कई माननीय सदस्यों ने इस बात को माना कि इस बिल और कानून की वास्तव में आवश्यता है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस कानून को हूबहू इस रूप में स्वीकार नहीं करता लेकिन वास्तव में राजस्थान में इस कानून की आवश्यकता है इस बात को मैं महसूस करता हूं। जो माननीय सदस्य इस प्रकार की दलीलें देते हैं कि कोई भी सामाजिक कुरीती को खत्म करने के लिए कानून एक अच्छी चीज़ नहीं है। सरकार को कानून बना कर शार्टर रास्त नहीं अपनाना चाहिये। जनता में जागृति और जन भावना बनानी चाहिये जिससे कि यह कुप्रथा खत्म हो जावे। हम जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, ऋषि दयानन्द ने इस मोसर प्रथा और बाल विवाह के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे, घर घर, गांव गांव और शहर शहर में जा कर उन्होंने प्रचार किया था कि यह कुरीति अच्छी नहीं है, समाज को नीचा ले जा रही है इसीलिए निवेदन किया कि इस कुप्रथा से पिन्ड छुड़ाइये। लेकिन आज नतीजा क्या है सामने ? शिक्षित लोग इसको छोड़ चुके हैं लेकिन आम जनता ने नहीं छोड़ा है। न तो यह संभव है कि गांव गांव में जाकर इसका प्रचार किया जाय कि मृत्यु भोज बुरी चीज़ है और प्रचार के बाद भी हर आदमी जो कि दूध का धोया हुआ नहीं होता है कि वह अच्छी और बुरी चीज़ को छोड़ दे। मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, जो समाज में बुराई होती है, कुरीति होती हैं या समाज में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो दूसरे लोगों के लिए घातक सिद्ध होती हैं उनको खत्म करने के लिए मैं आवश्यक समझता हूं कि राजनैतिक पार्टियां, कार्यकर्ताओं को गांव गांव में जाकर टेम्पो बनाना चाहिए जिससे कि जनता उसको छोड़े और बाद में जनता नहीं मानती है, क्योंकि मानना सब के लिए जरूरी नहीं है, अलग अलग आदमियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं और जनतन्त्र में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रख सकते हैं, लौकिक प्रथा और धर्म के बारे में अगल अलग मत हो सकते हैं, फिर भी वे नहीं छोड़ते हैं तो बुरी चीज़ तो बुरी ही रहेगी अनपढ़ किसान, अशिक्षा के कारण नहीं छोड़ता हैं तो फिर ऐसे मामलों में शक्ति से काम भी लेना चाहिये। जो समाज पर असर करता है इस प्रकार के फोड़े का ओपरेशन कर देना चाहिए।

(श्री गिरधारीलाल)

यदि इस कानून को हूबहू पास करते हैं तो इससे कोई मसला हल नहीं होता है। माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं कि एक प्रकार की लाग है इस मृत्यु भोजन की, या तो जो लोग पुनर्जीवन में विश्वास करते हैं, आत्मा के स्थायीत्व में विश्वास करते हैं, जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व मानने वाले हैं वे यह विश्वास करते हैं कि इसके करने से बुजुर्ग स्वर्ग में पहुंच जावेगा, यह एक प्रथा है और उसमें समाज के सब लोगों को शामिल होना पड़ता है। जो जाति के नियम हैं उसके अनुसार यह करना पड़ता है। यह कानून कहता है : धार्मिक या लौकिक प्रथा पालन का अनुसरण करते हुए परिवार के व्यक्तियों, या पुरोहित वर्ग के व्यक्तियों अथवा फकीरों को भोजन कराना शामिल नहीं है। एक ही तरीके से यह भी मोसर होता है। धार्मिक या लौकिक और दोनों ही कारणों से माफ करना चाहते हैं। कोई आदमी परिवार के लिए दो सौ आदमियों को खाना खिला सकता है, फकीरों, पुरोहितों को खाना खिला सकता है। हमारे बीकानेर में आचार्य ब्राह्मणों के हजारों घर हैं, वे एक ही पिता के, एक ही खानदान के हैं। मेरे गांव में मेरे परिवार के दो सौ घर हो सकते हैं, एक खानदान के हो सकते हैं, यदि उनको मृत्यु भोज दूंगा तो इस कानून से मुझे नहीं रोक सकते। इसी प्रकार फकीरों का मामला है। जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं कि इसमें निश्चित सजा रखनी चाहिये।

दूसरा पुलिस के हाथ में पॉवर्स दिये हैं। पुलिस सिटी मजिस्ट्रेट के सामने इस्तगासा देगी और मोसर करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि पुलिस को कौन सूचना देगा? एक थाना पचास मील दूर होता है और यदि पुलिस वाला पहुँच भी जाता है तो आज पुलिस की क्या स्थिति है आप और हम सब जानते हैं, वह वहां से चला जावेगा और पांच पैसा देते से इस्तगासा नहीं हो सकेगा। खाने वाले और खिलाने वाले ऐसा इस्तगासा करेंगे यह भी नहीं संभव लगता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें पंचायत शब्द आना चाहिये। पंचायत का इसमें इन्टरफियेरेन्स जरूरी है और पंचायतों के द्वारा ही इस प्रथा को बन्द करवायें तो मैं, समझता हूँ कि आपकी मंशा सफल होगी और यदि इसमें पंचायत शब्द ही नहीं रखेंगे तो जैसे पहले कानून पास किया था, उससे क्या हुआ? भ्रष्टाचार बढ़ा था और गांव गांव में ऐसा हुआ कि कहीं तो पुलिस को मार दिया गया। और ऐसी परिस्थिति आगई कि उस कानून को उठाया।

मैं सक्षेप में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक १२ महीने की मियाद रखी है। कोई १२ महीने बाद इस्तगासा करेगा, सूचना देगा तो कोई कार्यवाही नहीं होगी। ऐसी लिमिट उचित नहीं है। समाज में साधन सम्पन्न लोग होते हैं गांवों में, कुछ किसान भी ऐसे साधन सम्पन्न व्यक्ति होते हैं, वे जीवित ही मोसर करते हैं और जैसा कि माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया, जीवित मोसर के लिए भी प्रावधान होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कानून लागू होने के बाद सारे के सारे जो इस प्रथा पर विश्वास करते हैं जीवित मोसर करने लग जावेंगे और इस कानून से कोई फायदा नहीं होगा। आज जब कि अनाज की महंगाई है इस जमाने में इस

(श्री गिरधारीलाल)

प्रकार की कुप्रथा से बड़ा भारी वेस्टेज होता है। गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है और इसको बचाना चाहिये । अनाज उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ खपत में भी लिमिटेशन होना चाहिये। हजारों मन अनाज एक साथ इस प्रकार की प्रथाओं के कारण खपत हो जाता है तो वह उचित नहीं है। इसलिये इस बिल को पास करना चाहिये और इसमें रद्दोबदल तो आवश्यक होगी ही ! यह इसी सदन में पास होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री किशनसिंह बाटड़: माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में अधिक फरमाने की आवश्यकता नहीं है । यह आसन की व्यवस्था है । सदन की मर्यादा को देखते हुए उसका उपयोग किया गया है।

श्री रामकरणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष ज्योंही यह बिल सदन में आया शायद ही कोई सदस्य होगा जिसके दिमाग में आया हो कि यह बिल अच्छा नहीं है । एक माननीय सदस्य, जिनके भाव और विचार हवा के साथ उठने के बाद अपने आप को ही वे भूल जाते हैं, उन्हीं का भाषण ऐसा था जो कि इस बिल के खिलाफ पड़ा । लेकिन ज्योंहि इस बिल को पूरी तरह और ध्यान से देखें तो यह मालूम होता है कि जितना अच्छा इसका नाम है उतने अच्छे इसके अन्दर प्रोविज़न नहीं है । उद्देश्य में बातें कही गई हैं कि आर्थिक हालत ठीक करने के लिये यह कर रहे हैं किन्तु मैं समझता हूं, इसके लिए यह खरा नहीं उतरता है। इन चीजों को देखते हुए कि किस प्रकार मृत्यु भोज निवारण विधेयक समय पर लागू हो कर जो अट संट खर्चा होता है और मृत्यु भोज में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उसको कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहली चीज़ इसमें जो है वह यह है कि यह मृत्यु भोज निवारण विधेयक नाम से रखा गया है और मृत्यु भोज को रोकने के लिये ही यह रखा गया है, लेकिन आगे फिर मृत्यु भोज की एवज में जीवित भोज करना आरम्भ करेंगे और इसके लिए मैं जयपुर जिले के आस पास के क्षेत्र का अनुभव कर चुका हूं लोगों को अगर ऐसी आशंका हो जायगी तो जीवित ही भोज करने लग जायेंगे ऐसा अक्सर इस इलाके में हुआ करता है ! तो फिर इस मृत्यु भोज निवारण विधेयक की जो भावना है और जिस भावना से प्रेरित हो कर माननीय मन्त्री महोदय ने इसे रखा है वह पूरी नहीं होगी। इसलिए केवल मृत्यु भोज ही इसका नाम न रख कर ऐसा नाम रखा जाना चाहिये ताकि इस प्रकार के भोज न हो सकें ।

इसके साथ इस बिल में एक बहुत बड़ी कमी रह गई है अगर कोई मृत्यु भोज करता है उसको करने में उसका किस प्रकार रोका जा सके। इसकी सूचना किस प्रकार से दी जाय और किसको सजा दी जाय । इसके बारे में जो क्लॉजेज रखे हैं वे ऐसे हैं कि जिनकी वजह से कोई भी किसी प्रकार से भी साधारण तौर पर वंचित नहीं हो सकता। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय और माननीय सदस्यों का

Page No 75

(श्री रामकरणसिंह)

ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि दस की जो धारा है उसके अन्तर्गत कुछ ऐसा अमेन्डमेंट रखा जाय जिसके अन्दर ऐसी चीज हो जैसे पटवार क्षेत्र के अन्दर कोई भोज होता है उस भोज के होते ही वहां का पटवारी अगर सरकार को इत्तला नहीं देता है उस पटवारी को डिसमिस कर दिया जाय इसी प्रकार की कुछ धारा रखी जाना चाहिये। जिससे वास्तव में जो सरकार की मन्शा है इस प्रकार के भोजों पर पाबन्दी लगाने की वह मन्शा सही मायने में पूरी हो सकती है अन्यथा कुछ होने का नहीं। वास्तव में जितने भोज होते है हमारी मन्शा यह रहती है कि व जनरल न होकर किन्हीं खास लोगों को सहूलियत देने की होती है वैसी भावना को अगर सामने रखते हुए विधेयक रखा जाता है तो मैं समझता हूं इससे तो इस प्रकार का विधेयक न रखा जाय तो बहुत अच्छा है। पहले भी एक ऐसा विधेयक था उसमें कुछ प्रोविजन इसी तरह का था जिसके कारण समाज के अन्दर इस प्रकार की प्रथा चली जिसके आधार पर लोग यह कहने लगे कि हमें पहले तो एक प्रकार का नुक्ता या मोसर करना पड़ता था अब इस प्रकार के कानून के लागू होने के बाद दो प्रकार के नुक्ते करने पड़ते है। उनसे जब पूछा गया कि दो प्रकार के नुक्ते कौन कौन से तो यह कहा जाता था कि एक नुक्ता तो विधेयक के खिलाफ करना पड़ता है और इसके अलावा दूसरा हमें पुलिस का करना पड़ता है। इस प्रकार की बातें जनता में होने लगी तो यह सुन कर हमें आश्चर्य हुआ। अगर सरकार की मन्शा यही हो कि इस प्रकार के बिल के रख देने से ही वह मन्शा पूरी हो जायगी तो मैं समझता हूं यह उनकी आशा निराशा होगी। अगर वास्तव में वे यह चाहते हैं कि मृत्युभोज न हो स्ट्रिक्टली इसकी पाबन्दी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए दो ही उपाय हो सकते हैं वे दो सुझाव इस प्रकार से हैं कि एक तो जिस पंचायत क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार का मृत्यु भोज होता है उस पंचायत के पंच या सरपंच को इस प्रकार की इत्तला सरकार को भेजनी चाहिये अगर वह पंच या सरपंच नहीं भेजता है तो उस पंचायत को डिसमिस कर दिया और पंचों के खिलाफ एक्शन लिया जाय। यदि हम ऐसा कर देते हैं तो जिस मकसद से हम यह कानून लाना चाहते है वह मकसद पूरा हो सकेगा।

इसके अलावा अगर आप इस प्रकार के पॉवर्स पंचायतों को देना नहीं चाहते तो आप पटवार क्षेत्र का ले लीजिये। जिस पटवार क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार का भोज होता है वहां के पटवारी का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह उसकी इत्तला सरकार को दे अन्यथा उसको डिसमिस किया जाय। डिसमिस करके ही उसका पीछा न छोड़ा जाय बल्कि उसको दंडित किया जाय अगर वह सरकार को सूचना नहीं देता है, अगर वास्तव में आप इस भोज पर रोक लगाना चाहते हैं और वास्तव में माननीय सदस्यों की भावना को आप समझते हैं और सुनना चाहते हैं और उनका पालन करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से उनका पालन हो सकता है।

१२.३ म॰ प॰

(श्री आबिदअली, सभापति पदासीन)

इत्तला देने के सम्बन्ध में जो विधेयक में प्रोविजन रखा है वह मैं समझता हूँ इस विधेयक की मन्शा पूरी करने में कभी भी सफल नहीं हो सकेगा। इसमें जो केवल

(श्री रामकरणसिंह)

इतना दिया हुआ है, इत्तला करने से यह जरूर होगा कि मामूली तौर पर एक दूसरे का मुखबरी उठाने वाला पकड़ा जा सकता है। हमारा पिछला अनुभव ऐसा है कि एक गांव में कुछ पक्का सामान आया उसने रातों रात घर घर में उसको बांट दिया उस तरह से उसकी मृत्यु भोज की जो रस्म थी वह पूरी हो गई। आपकी मृत्युभोज बंद करने की मन्शा है तो उसके लिए मेरे दो सजेशन्स हैं, उन्हीं के द्वारा ये मन्शा पूरी हो सकती है। या तो पंचायत को इसमें दंडित करने का प्रावधान रख दिया जाय, जिस पंचायत क्षेत्र के अन्दर ऐसा होता है तो उस पंचायत का कर्तव्य है कि वह सबसे पहले सरकार को इत्तला दे, इत्तला नहीं देता है उसको ससपेन्ड किया जाय और पंचों के खिलाफ एक्शन लिया जाय।

दूसरा पटवारी के ऊपर यह बोझ डाला जाय। जिस पटवार सर्किल में कोई नुक्ता होता है तो पटवारी को चाहिये कि उसकी इत्तला दे। इन दो चीजों के होते हुए ही विधेयक की मन्शा पूरी हो सकती है यह रखते हुए ही हम विधेयक को पारित करेंगे तो इसका कुछ प्रतिफल किसानों को मिल सकेगा। आज गरीब जनता जो अन्ध विश्वास के नाम पर ऐसे काम करती है, इन दो कारणों से ही वे रोके जा सकते हैं अन्यथा नहीं।

इसके अलावा आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप मृत्युभोज को रोकना चाहते हैं। मेरा इसमें यह भी निवेदन है कि इसके साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। देश में हमने देखा है बीस बीस और तीस तीस हजार लोगों का जीमण होता है और उसमें भाग लेने के लिये लोग दूर दूर से आते हैं केवल इसलिये कि उनको नुक्ते में शामिल होना है बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। मृत्युभोज करने वाले गरमी के कारण किसी प्रकार से पानी और खाने पीने की चीजें जो होती है उनको वास्तव में स्वच्छता पूर्वक रख नहीं सकते होता क्या है कि इतने आदमियों को जीमाने के लिए वे ढेर के ढेर मिष्टान तैयार कर लेते हैं। जैसे ढेर के ढेर लड्डू, क्या हलवा, क्या चांवल क्या इसी तरह से सभी चीजें ढेर की ढेर दो तीन रोज पहले ही तैयार कर लेते हैं और उनको मकानो के अन्दर भर दिया जाता है। और उनको इस प्रकार भर दिया जाता है उसमें किसी प्रकार से हवा लगने का सवाल नहीं। यहां तक गांवों में देखा है फावड़ों से काट काट कर लोगों को हलवा परोसा जाता है। उस समय यह ध्यान नहीं रहता कि चांवल के अन्दर कितनी मिट्टी मिल गई या अन्य प्रकार की कोई चीज़ आगई वे बिना कुछ विचार किये उसको परोस देते हैं। यहां तक हमें देखने को मिला इस तरह से गोदामों में मिष्टान भर दिया जाता हैं वहां सर्प आदि प्रवेश कर गये और उसमें जल कर मर गये। जब वह खाने की चीजें लोगों को परोसी गई जिन्होंने उसको खाया वे मौत तक को प्राप्त हो गये। अन्य जहरीले जानवर भी गिर जाते हैं जिसका असर बाद में होता है, उस प्रकार के मृत्युभोज के कारण जो जीमने वाले होते हैं वे खुद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह हानिकर है।

इसके अलावा डालडा घी जो इस प्रकार

श्री रामकरणसिंह)

का चला है कि इसमें बहुत सामान कनवा लेते हैं और जो आदमी बहुत दूर से आते हैं वे कुछ खा अधिक लेते हैं इस कारण हैजा तक हो जाता है। और वह हैज़ा केवल उसी व्यक्ति तक सीमित रहता हो यह बात नहीं, सारा गांव का गांव हैज़े में ग्रसित हो जाता ऐसे ऐसे भी उदाहरण हमारे सामने हैं। इसलिए इस विधेयक को पास करने में किसी प्रकार की देर करना मैं समझता हूं यह समझ में आने वाली बात नहीं है। यह एक प्रोग्रेसिव बिल आया है इसको डिले करने में मैं समझता हूं किसानों का बहुत अहित होगा। मुझे इस बात का विशेष दुख हुआ कि इस सदन के व्हिप महोदय द्वारा प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा जाता है उनके द्वारा इस प्रकार की बात चीत होती है तो यह एक आश्चर्य की बात है। इस प्रकार के प्रोग्रेसिव बिल के अन्दर सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव करना और मैं समझता हूं वे अपने व्हिप की जिम्मेवारी भी महसूस करते हैं या नहीं और उस बात को माननीय मंत्री महोदय भी मान जाते हैं। जिस विधेयक को प्रोग्रेसिव विधेयक मान कर लाया जाता है उसको लाने के बाद में बिना किसी सदस्य की जानकारी में लाये वास्तव में वे सिलेक्ट कमिटी में आना चाहते भी हैं या नहीं उनका नाम रख देना यह भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है और अचानक जब यह सुनाया जाता है तो एक ने तो अपना नाम तक विथड्रा किया है कि हमारी इच्छा नहीं है इसमें सम्मिलित होने की। तो इस प्रकार की यह एक स्वस्थ परम्परा नहीं है। कल आया और बिना सदन की अनुमति के ही बिना सदस्यों की राय जाने ही प्रवर समिति में भेजने का निर्णय कर लिया जावे और समिति के सदस्य भी चुन लिये जावें यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है।

जब यह बिल आया इसको जानकर खुशी हुई। पर साथ ही जब यह मालूम हुआ कि बिना कुछ पूछे ताछे ही चीफ व्हिप साहब प्रस्ताव रखते हैं और माननीय मन्त्री महोदय की मौन सम्मति देखकर समिति के सदस्यों के नाम भी ले देते हैं तो हमें ताज्जुब आता है, कहने में संकोच भी होता है और उनकी समझ पर तरस भी आता है कि इस प्रकार सदन में बिल के पेश करने पर बहस होने से पूर्व ही ऐसी स्कीम बना ली जाती है कि किसी भी तरह इस को डिले किया जाय।

जो चीज़ वास्तव में जनता के हित में होती है और जिस पर जल्दी से अमल किया जाने की जरूरत होती है उसको तो आप डिले करते हैं और समिति और जनमत के प्रसारित करने की बात करते हैं, और वास्तव में जिन बातों पर समिति की राय जानने की और जनमत जानने की जरूरत होती है उनको आप करते नहीं हैं उस समय व्हिप महोदय भी एक दूसरे ही रूप होकर इधर उधर चलते हुए नजर आते हैं और जो वास्तव में प्रोग्रेसिव बिल है उसके लिये दूसरी बातें करते हैं। ऐसी ऐसी बातें जो वास्तव में जनता के भले के लिये हैं, हर गरीब किसान मजदूर व कम आय वाले लोग हैं इससे वास्तव में संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं राहत प्राप्त कर सकते हैं पुरानी रूढ़ियों और परम्पराओं से बच सकते हैं तो ऐसी बात के लिए उन बेचारे गरीब कमज़ोर और अनपढ़ लोगों को किसी तरह से बचाने की जब बात आती है तो व्हिप उसको देरी करने के लिये

Page No 78

(श्री रामकरणसिंह)

तैयार होता है। उसको रोकने के लिए जो सदन में बातचीत हुई, और जिस प्रकार की बातचीत आपस में सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के चुनाव के बारे में की गई और जो गुफ्तगू हुई उस सब पर तरस आता है। और बड़ा अफसोस होता है।

इससे पूर्व भी बहुत से बिल आये हैं जिनको वास्तव में प्रवर समिति में भेजना जरूरी था। किसी प्रकार से जनता की जानकारी के लिये प्रसारित करना जरूरी था। उनके लिये किसी प्रकार का ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया। पर वास्तव में आज जो बिल आया है और जिसके लिये जल्दी करना है उसके बारे में वे क्या सोचते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। आपको क्या सोचना है। इस बारे में जनता का रुख सर्व विदित है। अभी कुछ दिन पूर्व ऐसी जानकारी सारे राजस्थान के पंच, सरपंचों के मार्फत मालूम हो गई थी। जब हमारे प्रधान मन्त्री महोदय यहां पधारे थे तब पंच सरपंच सारे राजस्थान के यहां इकट्ठे हुए थे। उनका सम्मेलन हुआ था। उस समय माननीय प्रधान मंत्री ने भी इशारा किया था कि वास्तव में यह मृत्युभोज बन्द होना चाहिये। पंच, सरपंचों की ओर से उत्साहित होकर जनता के लोगों ने साफ कह दिया था कि हम भी चाहते हैं कि यह बन्द हो। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें देर क्यों की जा रही है, क्या कारण है।

इसी प्रकार से कुछ माननीय सदस्यों ने यह बताया कि जनता की राय जानने को इसे प्रसारित किया जावे। तो यह तो उस दिन ही मालूम हो गया जब प्रधानमन्त्री हमारे यहां पधारे और पंच सरपंच के रूप में सारे राजस्थान के देहातों ने यह कह दिया कि हम इसे बन्द करना चाहते हैं। उस समय माननीय इस सदन के कतिपय सदस्य और मन्त्रीगण भी वहां मौजूद थे। पंच, सरपंचों ने एक स्वर से कह दिया था कि यह जल्दी से जल्दी पास होना चाहिये। फिर सिलेक्ट कमेटी में देकर देर करने से क्या फायदा है?

इसके साथ साथ मेरे इसमें दो सुझाव हैं। सूचना देने की बात जहां तक है, हर पटवार सर्किल में पटवारी को मुकर्रर किया जावे कि वह इसकी सूचना दे। अगर वह पटवारी इत्तला नहीं देता है तो सस्पेन्ड किया जावे उसको या डिसमिस किया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री): ये आपके सुझाव मेरी जानकारी में है। इसलिए दुबारा दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री रामकरणसिंह: यह तो बड़ी खुशी की बात है फिर। तो ये दो बातें मैंने अच्छी भावना से रक्खी हैं। अगर आपकी अच्छा प्रबन्ध करने की मंशा है तो इन पर पूरा पूरा गौर करेंगे ऐसी मुझे आशा है।

इसमें आगे पुरोहित वर्ग और पुजारी को जिमाने की छूट दी है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें पांच पांच गांव आ जाते हैं, फिर पुजारी और पुरोहितों की संख्या भी निर्धारित नहीं है। तो यह इसमें छिद्र है। जिसकी आड़ लेकर लोग इस कानून का दुरुपयोग करेंगे और जो इसका मकसद है वह समाप्त हो जावेगा। इनमें भी आठ आठ और दस दस हजार आदमी हो जावेंगे। और दस दस हजार तक खर्च करना होगा कहीं कहीं तो। इसमें भी कोई न कोई संख्या

(श्री रामकरणसिंह)

आपको निर्धारित करनी चाहिये कि इतने परिवार के सदस्यों से अधिक नहीं होने चाहिये, इतने ब्राह्मण और पुरोहित आदि होने चाहिये। और कुल मिलाकर इससे ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिये।

श्री सभापति : ये बातें आप उस वक्त कहें जब जिस पर बहस हो। अभी तो इतना ही विषय है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जावे या नहीं। अगर आप इस तरह के सजेशन देते हैं तो आप यह विचार प्रकट करते हैं कि यह प्रवर समिति में जावे।

श्री रामकरणसिंह : मैं जानता हूं कि मेरी बात वे मानने वाले नही हैं, इसलिये प्रवर समिति में जब इसको जाना ही है तो फिर उसको मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ ताकि वह भी इन पर विचार कर सके।

श्री सभापति : तो आप प्रवर समिति में इसको भेजना चाहते हैं।

श्री रामकरणसिंह : इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके साथ साथ यह भी संख्या इन परिवारों की ब्राह्मण पुरोहित वर्ग की होनी चाहिये। नहीं तो गरीब किसानों को कोई राहत इससे नहीं मिलने वाली है।

अब इसमें और जो कीमत वगैरह दूसरे दूसरे मौकों पर देते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिये और उनको सम्मिलित करके इसे एक जनरल कानून बनाना चाहिये। यह भी मेरा साथ में सुझाव है।

इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के बिल को जल्दी ही विचारार्थ लिया जावे और यहां पारित किया जावे।

श्री सभापति : किशनसिंह।

श्री किशनसिंह बट्टड (लछमनगढ): सभापतिजी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं मैं यह मानता हूं कि यह विधेयक पांच वर्ष पहले आता तो अच्छा होता। कि किसानों के हित में यह सबसे बड़ी बात है। मृत्युभोज से किसान बहुत परेशान हुए हैं, बहुत से परिवार बरबाद हो गये हैं, बेघरबार हो गये हैं।

किसानों ने इस मृत्यु भोज की अन्ध प्रथा के कारण अपने ऊंट, बैल और सब कुछ बेच दिया है। अब इतने लम्बे टाइम के गुजरने के बाद किसानों में जागृति आई है लेकिन जागृति के कारण किसान अकेले आगे बढ़ नहीं सकते वह सब को साथ लेना चाहते हैं। इसलिए किसान वर्ग और मजदूर वर्ग इतने दिनों से यह सुनना चाहता था कि इस प्रकार का विधेयक आये और उसके सहारे से इस मृत्यु भोज को हम बन्द कर सकें। लेकिन कई वर्षों के इन्तज़ार के बाद आज यह विधेयक हमारे सामने आया है और इस विधेयक को पढ़ने के बाद में मैंने देखा कि यह विधेयक तो मृत्यु भोज के नाम का है इसीलिए इसका नाम मृत्यु भोज निवारण विधेयक रखा है पर मेरे ख्याल से यह मृत्यु भोज अनिवारण विधेयक है। इसको पढ़ने से मुझे यह मालूम हुआ कि यह तो केवल हमारी सरकार ने या हमारे मंत्री जी ने इसको इसलिए रखा है कि

(किशनसिंह बट्टड)

केवल मृत्यु भोज बन्द होना चाहिए इस भावना को लाकर और लोगों को भुलावा देकर मृत्यु भोज ज्यों का त्यों लागू रहे, यह इसके अन्दर है। इसमें कोई बन्द होने की बात नहीं आई है। इसके अन्दर परिवार के सदस्यों को जिमाने की बात है पर वह कितने होने चाहिए कि जो मृत्यु भोज करेंगे यह इसमें नहीं दिया हुआ है। अब किसी के यहां मृत्यु भोज हुआ तो वह तो कहेगा कि मेरे तो परिवार में हज़ार व्यक्ति हैं और इस तरह वह चाहे जितने भी आदमी इकट्ठे कर लेगा। तो इससे मृत्यु भोज कहां बन्द होता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मृत्यु भोज बन्द करने का केवल भुलावा दिया गया है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले सदस्य ने कहा कि यह संख्या केवल १२ की रख दी जाय और उससे ज्यादा नहीं जीमने चाहिए। पर माननीय मंत्री महोदय ने सोचा कि अगर ऐसा कर दिया तो हमें वोट नहीं मिलेगा अगर हमने ऐसा विधेयक बना दिया। पहले हमारी औरतों को जिन्दा जला दिया जाता था उसके लिए भी हमारे यहां कानून बना और वह कुप्रथा मिटी। इसी तरह का यह मृत्यु भोज है तो इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले यह करना चाहिए कि १२ व्यक्तियों के बाद कोई नहीं जीमेगा। अगर परिवार के सदस्य रह जाते हैं तो वह किसी भी दूसरे दिन जीम सकते हैं, किसी भी त्योहार वाले दिन जीम सकते हैं पर मृत्यु भोज के नाम से नहीं जीमें। पर जो आपने रखा है कि ब्राह्मण तो जीमने चाहिए और परिवार वाले तो जीमें ही, तो उन सब की संख्या कितनी हो, यह इसमें नहीं है। तो यह मृत्यु भोज का निवारण हो यह मैं तो नहीं मानता। अब क्योंकि यह विधेयक सलेक्ट कमेटी में जा रहा है तो मैं वह सुझाव देना चाहता हूं और जैसा कि पहले भी एक बोलने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि इसमें संख्या दी जानी चाहिए कि इतने ब्राह्मण जीमेंगे। इसके बाद में यह सवाल आया कि पुलिस वाले इतला करेंगे और फिर मजिस्ट्रेट उसके ऊपर एक्शन लेगा तो पुलिस वाले तो कहेंगे ही नहीं। उनको ५ रुपये दे दिये जायेंगे। वह तो कहने से ही मान जायेगा या पंच के ही दबाव से वह मान जायेगा वह कभी नहीं कहेगा कि फलां गांव में नुक्ता हो रहा है। इसलिए मृत्युभोज नहीं रुकेगा। जिस क्षेत्र में नुकता हुआ वहां पटवारी है और पटवारी के साथ साथ पंच और सरपंच हैं उनको मुअत्तिल कर दिया जायेगा अगर उन्होंने नुकता होने की इत्तिला नहीं दी और अदालत में इसकी इत्तला होने के बाद वह अपने आप व्यवस्था करेगी इस तरह की अगर व्यवस्था होती तो ठीक था। नहीं तो यह मृत्युभोज निवारण बिल नहीं है बल्कि यह तो मृत्युभोज अनिवारण बिल है। मैं पहले से ही सोच था कि मृत्यु भोज निवारण विधेयक आयेगा। इस तरह तो बन्द नहीं होगी ऐसी चीज़ और विधेयक आयेगा तो मृत्यु भोज बन्द हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इसके साथ ही सलेक्ट कमेटी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको दो तीन दिन में विचार करके इसको पास कर दिये जाये और जिन लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है उनसे भी कहूँगा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और इसे अच्छी तरह से विचार करके इसको पारित करना चाहिये। इस तरह की बात एक

(श्री किशनसिंह बट्ठड)

माननीय सदस्या ने कहीं कि इससे तो नुकसान क्या होता है यहां जीमेंगे तो क्या हुआ घर भी तो जीमते। अब मान लीजिए कि कोई इसके लिए दस कोस से आया तो उसको कुछ न कुछ खर्च करना पड़ेगा और फिर दो तीन दिन रहेगा और वापिस जायेगा। तो इस तरह से कितना लोस हुआ। यहां तक देखा गया है कि नुकते में पांच पांच हजार तक आदमी इकट्ठे हुए हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि १८,००० रुपये तक नुकते में लगेगा तो मैं आपको बताऊं कि तीस तीस तक लगते हैं। मैंने यहां तक देखा है कि कोई बूढ़ा प्राणी मर गया तो उसके १२ रोज तक मीठे चावल होते हैं। तो यह बुरी प्रथा है उसको रोकने के लिए हम नाना प्रकार की दलीलें देते है और यह सोचते हैं कि मृत्यु भोज के खिलाफ कुछ करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। पर हम तो यहां कहने आये हैं कि जनता की भलाई की बात तो हमें पहले करनी होगी। तो इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह जल्दी से जल्दी सलेक्ट कमेटी में से आकर पास हो जायेगा, ऐसी आशा करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र

श्री रामचन्द्र (डग-सु) : सभापति महोदय, सदन के सामने मृत्यु भोज निवारण सम्बन्धी विधेयक रखा गया हैं। मैं यह समझता हूं कि इस सत्र का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विधेयक यह है। इस विधेयक से जो लाभ पहुँचने वाला है वह केवल एक व्यक्ति विशेष को या जाति विशेष को या वर्ग विशेष को नहीं पहुचेगा बल्कि समस्त समाज को इस प्रथा के रोकने से लाभ पहुँचने वाला है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि समाज के पतन होने से रक्षा करने की आवश्यकता है है तो मैं यह चाहता हूं कि इस विधेयक को कुछ हेर फेर के साथ जल्दी से जल्दी पारित कर दिया जाये। सभापति महोदय, आम तौर पर नुकते या मोसर को रखने का उपदेश हमारे आचार्यों की तरफ से रखा जाता है। वह १२ रोज के अन्दर गरुड़ पुराण का पाठ करते समय उस कुटुम्ब के मस्तिष्क में यह अच्छी तरह से बिठला देते हैं कि अगर तुम अपने पिता के ऋण से उऋण होना चाहते हो या अपने पिता को स्वर्ग में स्थान दिलाना चाहते हो तो तुमको चाहिए कि चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या नहीं हो, चाहे तुम कर्जा करो कहीं से लाओ और अपने पिता के दान में अच्छे से अच्छे भोज दो और अपने पिता के ऋण से उऋण हो। सभापति महोदय, इस कुप्रथा के चलाने वाले जब हमारे पुरोहित ही हैं इस बिल में फिर भी आपने बगैर कोई अवधि कायम किए हुए खुली छूट दे दी है कि इस नुकते में अपने तमाम परिवार और पुरोहितों को खिला सकते हैं। इसमें यह नहीं बताया है कि कितने पुरोहितों को खिलायें। इसलिए ....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आन ए पाइन्ट आफ इन्फरमेशन सर, किसी भी गरुड़ पुराण में नुकते में जीमने का प्रावधान नहीं है।

श्री रामचन्द्र : तो मैं निवेदन करना चाहता था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कोई लिमिट नहीं रखी है। इसकी लिमिट अवश्य निश्चित होनी चाहिए।

(श्री रामचन्द्र)

दूसरी बात, आपने जो कुटुम्ब के लिए भी खुली छूट दे दी है। हिन्दू समाज में कुटुम्ब के नाम से, वह चाहे तो १ हजार आदमियों को खिला सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कई जातियें उनके गोत्र के आस पास के १०, ५ गांवों में ५०० आदमी रहते हैं तो ५०० आदमी कुटुम्ब के हो सकते हैं। उनको अगर आप रोकना चाहें तो कानूनन नहीं रोक सकते हैं। कोई भाई होगा, कोई चाचा होगा, कोई उसका दादा होगा, तो फिर बहन भानजियें, यह सब कुटुम्ब में मिलकर, यह जब एक कुटुम्ब के पूरे हो, तो यह कमजोर करने वाली बात है। इसलिए मैं निवेदन यही करूंगा कि इस विधेयक से जब नुक्ते को बन्द करते हुए उनको यह खुली छूट दे रहे हैं कि पुरोहितों और कुटम्बियों को मन चाहे उतना खिला सकता है तो सभापति महोदय इस क्लॉज़ को रखने से हरिजन समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है।

(घंटी)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, हमारे सामने सीधा प्रश्न यह है कि प्रवर समिति में जाना चाहिए या नहीं, इस पर ही केवल बहस करेंगे। विचारार्थ जब लिया जायगा तब आप अपने विचार रखेंगे।

श्री रामचन्द्र : इस कुप्रथा की भंयकरता को देखते हुए मैंने अपनी राय प्रवर समिति में रखने की बतला दी।

तो मेरा निवेदन करना यही है कि इसकी लिमिट होनी चाहिए, और लिमिट के ऊपर मैं कह रहा था कि हरिजनों के यहां पुरोहित खाने को नहीं आते हैं। हम रिश्तेदारों को ही पुरोहित समझलें। बहन बेटियों को ब्राह्मण के बराबार समझते हैं। अगर मन चाहे कुटुम्बियों को खिला सकेंगे तो यह समाज पहले ही अर्थहीन है। इस छूट के मिल जाने से इसके ऊपर कोई अंदेशा नहीं ई इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यही निवेदन करूंगा कि हमें कुछ न कुछ लिमिट रखनी चाहिए।

सभापति महोदय, यह कुप्रथा नई नहीं है और आज भी समाज इसके प्रतिजागरूक नहीं है, बल्कि इसकी भंयकरता को हम अरसे से महसूस कर रहे हैं। इस कुप्रथा का जन्म अभी अभी का है वर्ना हमारे प्राचीन ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता। मैं तो यह समझता हूँ कि उसका जन्म मुगलकालीन जमाने में हुआ। 'नुक्ते' के क्या मायने हैं। नुक्ते के मायने बिन्दु है यानी खत्म, इस प्रथा के कारण खानदान के पास पैसा था वह खत्म है। इतना हमारा समाज समझता था इसलिये इस प्रथा का नाम नुक्ता रखा, लेकिन इसका असली अर्थ नहीं समझकर नुक्ते के नाम से इतना प्रचलित किया कि नुक्ते के नाम से हजारों रुपये फूंक देते है। पहले से ही समाज इसके प्रति जागरूक था कि यह बुरी प्रथा है। जो कोई, इस प्रथा को करता है उसके पास पहले जितना धन होता करीब करीब खत्म हो जाता है। इसलिए हमको यह समझना चाहिये कि समाज इस कुप्रथा के बुरे परिणामों से पहले ही जागरूक था। इसलिए इसका नाम मुगलकालीन जमाने में नुक्ता रखा। 'नुक्ता' संस्कृत का शब्द नहीं है, हिन्दी का शब्द नहीं है। यह फारसी का

(श्री रामचन्द्र)

शब्द है जिसके मायने है फुलस्टाप, ज़ीरो यानि खत्म हुआ। इस प्रथा को करने के बाद कुछ नहीं रहेगा तो सभापति महोदय, हमारे समाज में जो यह कुप्रथा फैली हुई है उसका जल्दी से जल्दी अंत किया जाय। लेकिन अंत करने में कई बातों पर विचार करना पड़ता है। राज्य के केवल कानून बना देने से ही इस प्रथा का अंत नहीं होगा जब तक की जनता और राज्य कर्मचारी में घुलेमिले रहते हैं, जैसे कि पंच, सरपंच, पटवारी, अथवा शहना वगैरह जो गांवों के अन्दर आम तौर पर रहते हैं वे इस बात में सहायता नहीं देंगे तो इसमें कामयाबी किसी तरह से नहीं हो सकती। इसलिए मैं निवेदन यही करूंगा कि यदि हमको इस प्रथा के उन्मूलन करने में कामयाबी प्राप्त करना है तो जनता का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए हमको यह चाहिए कि केवल कानून ही पास नहीं करें, बल्कि इस का प्रचार सब प्रकार से, पोस्टर से, अखबारों से और सिनेमा पिक्चर वगैरह से करें तो इसका बड़े से बड़ा प्रभाव होने वाला है। उससे जनता को जागरूक करना चाहिये तब तो यह सफलता होगी, क्योंकि इसका हमें बहुत ही कुटु अनुभव है। पिछली बार जब कन्ट्रोल का जमाना था, अनाज की कमी थी तो अनाज की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने आदेश दिया था कि किसी भी प्रकार की दावतें नहीं की जांय, जनता शादी की दावतें नहीं करें लेकिन नतीजा यह हुआ कि इन कुरीतियों से बरसों से घिरे हुए थे, हम सरकार के अच्छे उपदेशों को क्यों मानने लगे। हमने वही रवैया रखा और नतीजा यह हुआ कि कई जगह बड़े बड़े झगड़े हुए, और अंत में सरकार को ..

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : अध्यक्ष महोदय, यह तोसवर्ण भी करते थे इसलिए केवल हरिजनों का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामचन्द्र : यह जो हमारा पुराना अनुभव है उसको ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद करता हूं कि इस प्रथा को उन्मूलित करने में हमको राज्य कर्मचारियों से बहुत ज्यादा सहायता मिलनी चाहिये, और यही मेरा निवेदन है, मैं यही चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि इसमें जो कमियां रह गई हैं वे दूरी हो जांय।

श्री रामधन पटेल (दौसा) : सभापति महोदय, मैं मृत्य भोज के कानून का समर्थन करता हूं और इस विषय में एक गाना सुनाता हूं :

मरने वाले मरा करें पंचों को उमदा छनती है,
पड़ो भाड़ में पीछे वाला जब लड्डू की गुड़ती है।

पंच चौधरी पंचायत कर अन्धेर मचाते हैं,
लड्डू खाने को आते हैं पर प्राण हमारा खाते हैं।

पंचों को न्योता नहीं देते हैं तो जनम टोचा देते हैं॥

(श्री रामधन पटेल)

बान्ध पागड़ी रंग बिरंगी बन पटेल वे आते हैं,
छना हुआ पानी का लौटा झोला हाथ में लाते हैं।

बस नोतरी लड्डू, दुकड़ा भर भर ले जाते हैं,
मरा करे जजमान रोज ये आशीर्वाद दे जाते हैं . .

श्री सभापति : आप तो इसको कवि सम्मेलन बना रहे हैं।

श्री रामधन : पंच चौधरी पंचायत कर अन्धेर मचाते हैं,

भीख मांगने लायक कर सिर पे पगड़ी बन्धवाते हैं

बड़े बड़े घर वालों के यहां नुकता करके कंगाल किया।

नुकता जो है वह बिल्कुल ही बन्द होना चाहिए। इसमें कुटुम्ब वालों की छूट दी है और ब्राह्मणों और भिखारियों की छूट दी है। तो कुटुम्ब में तो १०,१२ गांव आजाते हैं और ब्राह्मणों के तो ५००, ५०० घर एक एक गांव में होते हैं। तो उसकी लिमिट होनी चाहिये कि कितने आदमियों का भोजन होना चाहिए। मेरी राय तो यह है कि इस को प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं किया जाय और यहीं पास कर दिया जाय। इसको रोकने का काम पंचायतों के सुपुर्द किया जाय ताकि पंचायतों की देख रेख में यह काम हो। पुलिस के सुपुर्द कर देते हैं तो बहुत बुरी चीज है। उसमें घोटाले होंगे। और पुलिस की देख रेख में नुकता बन्द नहीं होगा। पंचायतों के सुपुर्द कर दिया जाय तो अच्छा प्रबन्ध होगा।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, हमारे सामने राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, १६५६ है। यह वास्तव में हिन्दुस्तान में ही एक ऐसी प्रथा है जो कि यहां पर चल रही है। दूसरे देशों में यह किस रूप में मानी जाती है यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि हिन्दुस्तान में भी हिन्दू जाति के बाहर इस प्रकार, की प्रथा देखने को नहीं मिलती है। अपने समाज के अन्दर यह प्रथा क्यों है ? यदि हम थोड़ा सा शास्त्रों पर विवेचन करते हैं या थोड़ा सा शास्त्रों की बातों की ओर भी जाते हैं तो हम स्वीकार करते हैं, मानते है कि देह के अन्दर आत्मा रुपी जीव है वह पुनर्जन्म धारण करता है। मृत्यु के पश्चात् यह आत्मा १०, १२ दिन तक बराबर उस स्थान पर डोलती रहती है, और हम उस आत्मा की परितुष्टि के लिए उसको सान्त्वना देने के लिए इस प्रकार का जो कुछ भी कार्यक्रम होता है वह केवल मृतात्मा की शान्ति के लिए होता है। यह केवल हिन्दू समाज के लिए है, और हम इतना ही नहीं मानते हैं, इसके आगे यह भी हम मानते हैं कि पितृ लोक है। पितृ लोक के अन्दर आत्माएं निवास करती हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष के अन्दर हम श्राद्ध का कार्यक्रम करते हैं।

इस सारे विवेचन के बाद और सारी बातें देखने के बाद और जैसा हम देखते आये हैं यह जो मृत्यु के बाद भोज किया जाता है और जिस प्रकार का विशेष रूप

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इसका देखने को मिलता है वह जायज है या नहीं और आज की परिस्थिति में उपयुक्त है या नहीं। इस अधिनियम में यह रखा है कि किसी प्रकार के धार्मिक कार्य में हम हस्त-क्षेप नहीं करेंगे, यह बात स्वागत करने योग्य है और इस बात का उल्लेख होने के बाद इस प्रकार के भोज पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाय इसमें किसी को आपत्ति नहीं रहती और इस उद्देश्य से मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

यद्यपि एक छोटा सा बिल बनाया गया है केवल १२-१३ धाराएं इसमें हैं लेकिन आश्चर्य यह है कि जिन लोगों के द्वारा इसे बनाया गया है, हो सकता है वे अपने काम में माहिर हों, लेकिन जो सावधानियां इस बिल को बनाते समय बरतनी थी वे नहीं बरती गई हैं और इतनी ज्यादा कमियां इस में रह गई हैं कि जिस सुधार को लाना चाहते हैं, समाज में प्रतिस्थापित करना चाहते हैं वह समाज सुधार होगा नहीं। इससे करप्शन फैलेगा, पुलिस का डंडा चलेगा और सरकार का नाजायज हस्तक्षेप बराबर बढ़ता रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब इस बात का प्रावधान नहीं करते हैं कि कौन सी ओथोरिटी होगी जो इस बात का ध्यान रखेगी कि कब और कहां व किस के यहां नुक्ता हुआ, यदि हम इस बात का स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं करते हैं तो निस्संदेह कहा जा सकता है कि केवल पुलिस वाले इस बात की जांच करेंगे। जैसा कि मंत्रीजी ने भी स्वीकार किया है, पुलिस वाले भी जांच कर सकते हैं। पुलिस वाले इसका कॉग्नीजेन्स लेंगे और मजिस्ट्रेट तक पहुँचायेंगे। वहां पर पुलिस वालों की उपस्थिति इस बात का संदेह पैदा करेगी कि वहां पर करप्शन चलेगा। वे मनमाने ढंग से लोगों को तंग करेंगे, उनको डरायेंगे, धमकावेंगे और रिश्वतखोरी करेंगे। उदाहरण स्वरूप पहले जब कि इस बात का प्रतिबंध था कि ५० आदमियों से ज्यादा का भोजन नहीं कर सकते थे और तहसीलदार से इजाजत लानी पड़ती थी उस वक्त भी पुलिसवाले नाजायज कब्जा कर लेते थे। इस सब के बावजूद आप इसमें स्पष्ट उल्लेख करदें कि पुलिस वालों को हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं होगी। जब तक स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है, हर बात में शंका रहेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ी कमियें हैं।

इसके बाद इसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि कौन जाकर कहेगा कि फलां जगह नुक्ता हो रहा है। आज कोई इस बात का सर दर्द नहीं लेना चाहता कि अदालत में उसको दौड़ धूप करनी पड़े और दो चार घंटे खराब करने पड़ें। कौन अपना बहु मूल्य समय दे और कष्ट उठावे। आज यदि गवाही देने के लिए किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं दादा मुझे मत घसीटो। हो सकता है कि तुम्हारी बात ठीक हो। गवाही देकर यह सूचना देकर कौन अपने पुराने संबंध को तोड़ना चाहेगा कौन घर बैठे दुश्मनी मोल लेगा इसलिए कोई इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगा। जैसे शारदा एक्ट का जिक्र है रोजाना बाल विवाह होते हैं। आप और हम देखते हैं सड़क पर नज़र आते हैं छोटे से बालक छोटी सी बालिका को ले चले आ रहे हैं, हम इस पर हंसते हैं लेकिन जो नागरिकता के नाते

Page No 86

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हमें काम करना चाहिये वह नहीं करते, इसका कारण यह है कि किसके पास समय है जो पुलिस को इन्फोर्म करे और मारा मारा गवाही देने के लिये फिरता रहे। कोई उसमें उलझना नहीं चाहेगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप किसी ओथोरिटी के सामने, या तो पटवारी को ही यह अधिकार दे दीजिये कि वह कोगनिजेन्स लेगा और रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने करेगा, यदि पटवारी यह काम नहीं करता है तो उस पर दंड रखना चाहिये। यदि पटवारी को यह काम नहीं देना चाहते हैं तो पंचायत के मेम्बर्स को यह कहें कि वे कोग्नीजेन्स लें। यह भी कर सकते हैं कि पंचायत खुद नोटिस इश्यु करे। जब उसको मालूम पड़ जाय कि गांव में कोई मृत्यु भोज करने जा रहा है तो वह खुद नोटिस इश्यु करे। वह विलेज की हाइयेस्ट ओथोरिटी है। ऐसी अवस्था में पंचायत ही कोग्नीजेन्स ले और इस प्रकार के उसको अधिकार देदें कि वह नोटिस इश्यु करे। यदि नोटिस देने के बावजूद भी कोई नुक्ता करता है तो मेजिस्ट्रेट के पास जाकर कह सकते हैं, सरपंच वहां पर उनको ले जा सकते हैं या वे खुद दंड दे सकते है क्योंकि पंचायत का काम ५ व्यक्तियों की सलाह से होता है इसलिये उनके लिये बदनामी और लड़ाई झगड़े का प्रश्न नहीं होगा। इसलिये पंचायत को इस प्रकार का अधिकार देना ठीक रहेगा।

एक बात और विचित्र सी है। आपने जो दंड रखा है उसमे महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया है, मुक्ति दे दी है। एक बात स्पष्ट देखने को मिलती है कि कोई पुरुष मरता है तो महिला पर इसका प्रारम्भिक असर पड़ेगा और यदि उसका लड़का बालिग है तो उस पर भी असर पड़ेगा लेकिन बालक या महिलाओं पर इसका असर पड़ेगा, जिनको छोड़ कर जायेगा। जैसा कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा महिलाओं में इस बात की प्रेरणा ज्यादा होती है, जो अंध विश्वास और धार्मिक भावनाएं हैं वे महिलाओं में अधिक मिलती हैं और यदि हम महिलाओं को इस विधेयक में छुट्टी देते हैं तो निश्चित तौर से मृत्यु भोज चलता रहेगा और कानून निरर्थक रहेगा।

एक बात और है, अंग्रेजी में यह बिल है उसमें आपने लिखा है फ्यूनरल फीस्ट...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): I object to it Sir. He is saying "आपकी फ्यूनरल फीस्ट" आपने कहा है।

श्री जगदीशप्रसाद (सीकर) : जीवित खर्च कराना चाहते हैं क्या ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : मैं एक बात जानना चाहूंगा मंत्रीजी से कि जो मुसलमान हैं उन पर असर पड़ेगा या नहीं ?

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : जो फकीर हैं उन पर पड़ेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : ट्रस्ट बिल की तरह हिन्दू शब्द नहीं है। फिर भी आपने "फ्यूनरल फीस्ट" रखा, यह आपत्तिजनक है। दूसरे धर्मों के लिये नहीं है इसका असर दूसरों पर पड़ता है।

श्री पी० के० चौधरी : Funeral are those rites in which they are burnt and the rest are exempted......

श्री सभापति : It will come at a later stage. You can put your own arguments.

श्री दयाकृष्ण विजय : यह जो शाब्दिक प्रयोग है, हो सकता है इसमें वकीलों की बारीकियां निकलें और एक जाति विशेष के लिये रह जाय। इस प्रकार की बारीकियां से वकालती उलझन पैदा हो सकती है। इसमें हिन्दी के शब्द 'मृत्यु भोज निवारण अधिनियम' जोड़े जांय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

एक बात और है। इसके ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में बताया है कि हम किस उद्देश्य से इसको ला रहे है। अलग अलग समाज में सुधार आये भी हैं। वैश्य समाज को लीजिये, ब्राह्मण समाज को लीजिये और क्षत्रिय समाज को लीजिये और मुझे तो यह भी आशा है कि छोटे छोटे समाजों में भी इस प्रकार के सुधार आयेंगे और आये हैं। अलग अलग समाजों ने इसके लिये कानून बनाये हैं। मेरी जाति में यह नियम है कि बारवां कोई नहीं करेगा और यदि कोई करता है तो हमारी जाति से उसको दंड मिलता है। यदि कोई आदमी जाति प्रतिबंध को नहीं मानता है तो उसको जाति से अलग कर देते हैं। समाज सुधार की दृष्टि से यह काफी प्रचलित है। कई लोगों ने कहा कि इसे जनमत के लिये प्रसारित किया जाय। मेरा ख्याल है कि इसका प्रश्न नहीं रहता है क्योंकि यह ऐसा विषय है जो सबके सामने है, लोग कर रहे हैं लेकिन समाज को यह देखना है कि आज की परिस्थिति में जब जीवन के काम की हर वस्तु इतनी मंहगी है कि जिसके कारण हम न तो अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे सकते हैं और न और कुछ कर सकते हैं। ऐसी हालत में ऐसे कामों में खर्च करने के बजाय डेवलपमेंन्ट के कामों में खर्च करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मृत्यु भोज एक दुःख का विषय है। मृत्यु एक दुःख का विषय होता है सब लोगों के लिए लेकिन एक रूढ़ी चली आ रही है और आज भी १२ वें रोज के बाद १३ वें रोज बड़ा फंक्शन किया जाता है, तब लोगों को खिलाया जाता है और खुशी भी मनाई जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह खुशी का दिन नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आर्थिक प्रश्न उठता है इसलिए शादी विवाह में भी प्रतिबन्ध लगाया जावे। जैसे जाति विशेष में मंडप की रसोई दी जाती है, इस मंडप की रसोई को बन्द करने के लिए कानून लाया जाय। हम ऐसी आशा करते हैं कि जैसे दहेज निवारण विधेयक लाये, अब मृत्यु भोज विधेयक लाये हैं, वैसे ही शादी विवाह में जो मंडप रसोई दी जाती है, वह अनावश्यक चीज है, इसके लिए कानून लायें तो सब समाज उस कानून का स्वागत करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि जहां शादी में खुशी होती है वहां गमी के विषय में गम की बात होती है। इसमें इस प्रकार रसोई दी जाय

(श्री दयाकृष्ण विजय)

और लोग खर्चा करें, इसमें एक बात ध्यान देने की है कि कई जगह लोग प्रतिष्ठा की दृष्टि से खर्चा करते हैं, वहां पर जाति विशेष का विचार होता है, कई लोग बड़ी बड़ी धर्मशालायें आदि बनाते हैं, उदाहरण के तौर पर एक सेठ जी हैं, बेचारे के पास खाना नहीं है, उसकी परिस्थितियां खराब हैं। ऐसी स्थिति नहीं है पर पिताजी का नुक्ता करना है। क्योंकि धर्म का नाम लेते हैं, उसको करना पड़ता है। इसके साथ ही लोग कहते हैं कि यदि छोटा सा काम किया तो नाक कट जायगी, जाति में प्रतिष्ठा घट जायगी। वह धन के लिए मकान आदि गिरवी रख देगा और प्रतिष्ठा के लिए और समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए अनाप शनाप खर्च करता है, सारे समाज को, सारे गांव को न्योता देता है और कहता है खाओ। ऐसा करने से क्या होता है कि भावी समय के लिए वह कर्जदार हो जाता है, बाद में वह बच्चों के लिए लाइबिलिटी छोड़ जाता है। कई परिवार इस तरह तबाह होते नज़र आये हैं और कई उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं। इन कारणों से हर समाज ने एकमत से स्वीकार किया। लेकिन फिर भी मृत्यु भोज दिये जाते हैं और विशाल तरीके पर दिये जाते हैं, यह अत्यन्त नाजायज़ हैं और इसको समाप्त करना चाहिए। मैं एक बात जरूर कहूंगा इसमें जो बात रखी है उसके सम्बन्ध में। जो धार्मिक क्रिया की जाती है, शास्त्र में लिखा है कि १३ वें रोज १३ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए लेकिन जो रिस्तेदार आये हैं वह कोई दूसरे के दरवाजे पर खाने जायेंगे नहीं। वे रिस्तेदार जब तक वहां रहेंगे, तब तक कुछ खायेंगे ही। ऐसे लोग आयेंगे ही, तो उनके लिए इसमें संख्या क्यों निर्धारित की जाती है, कभी मेहमान ज्यादा आ सकते हैं, कभी कम आ सकते हैं। जहां आपने ब्राह्मणों की बात रखी है, वहां १२ से अधिक नहीं होने चाहिए। बाकी जो बाहर से आये हुए महमान हैं वे भोजन करेंगे। वे उस दिन भोजन कर सकते हैं और १३ दिन तक रहेंगे तब तक वहीं कर सकते हैं। इन बातों को सामने रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आप शादी विवाह की रसोई पर भी प्रतिबन्ध लगायें। वह प्रश्न एक महत्व का प्रश्न है, एक अलग प्रश्न है, इसलिए उस पर अलग विचार करना चाहिए। लेकिन यह तुरन्त बन्द होना चाहिए वैसे हर समाज ने कुछ न कुछ नियम बना दिये हैं, पर इसको तुरन्त प्रभावशाली करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि इस विधेयक में कितने ही ऐसे डिफेक्ट्स रह गये हैं जिसकी वजह से समाज को जिस ढंग से बनाना चाहते हैं, जो बात समाज को प्रभावित करने की है, उसके बजाय कहीं इससे बुरा न हो जाय, कहीं पुलिस के द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को सताया न जाय, कहीं कुछ लोग अपनी दुश्मनी न निकालें, ज्यादा गड़बड़ी न करें। मुझे अनुभव है कि पंचायतों के चुनाव को लेकर गांवों में दलबन्दी बनी हुई है, हर जगह यह देख कर मुझे दुःख होता है। गांव वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा केस बनाते हैं। यदि एक दल का सरपंच आ गया, तो जो जीता हुआ है, उसको गिराने के लिए हमेशा उसे परेशान करते हैं, कभी चोरी का मुकद्दमा, कभी मारपीट का मुकद्दमा, कभी १०७ की कार्यवाही, न जाने कितने मुकद्दमें चलाते हैं। एक दल वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एस० डी० ओ० कोर्ट में नज़र आयेंगे। गांव

(श्री दयाकृष्ण विजय)

के गांव, दल के दल अदालत में उमड़े नजर आते हैं। इसका कारण है कि पंचायतों में दलबन्दी घुस गई है। इस बात के लिए पंचायतों में इस सम्बन्ध में दिक्कत खड़ी हो सकती है। जिस महत्वपूर्ण बात को रखा जाना चाहिए, वह यह है कि कोई एक आथोरिटी होनी चाहिए, जो यह कह सके कि फलें ने आदमी ने कार्यवाही की है, जो नाजायज थी, वह मजिस्ट्रेट तक पहुँच सकता है। केवल पुलिस के हाथ में, दूसरे व्यक्तियों के हाथ में रखा गया तो यह अनुचित होगा। या तो पंचायत को हुक्म दे दीजिये, तो एक तरीके से बात हो सकती है, या पटवारी को अधिकार दे दीजिये जो सूचना दे सके।

इसमें जो आपने एक्जेम्प्सन रखा है, यह भी ठीक बात नहीं है क्योंकि यह सब लोगों पर लागू होती है। एक अबोध बालक है, उसके नालेज की बात होती नहीं है कि एक फीस्ट की जा रही है। आपको यह मानना पड़ेगा कि उसको इन्सटीगेट करने वाले रिश्तेदार होते हैं और पैसा उसका खर्च होता है। आप चाहते हैं कि बच्चे को दंड न मिले लेकिन जिन लोगों ने इन्सटीगेट किया है, जिन लोगों ने कार्यवाही करवाई है, उनको दंड का भागी बनाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों का गम्भीरता से अध्ययन करने के लिए सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दिया जाय और उसके लिए टाइम रख दिया जाय। परन्तु यदि आप शार्ट से शार्ट टाइम रखेंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। सलेक्ट कमेटी में बैठ कर ठंडे दिमाग से विचार कर लिया जाय और जितनी खामियां हैं, वे ऐसी हैं, जिन पर आसानी से विचार हो सकता है। हाउस का भी सेन्स नजर आता है, एक दो व्यक्तियों के अलावा सब सहमत हैं कि यह पास होना चाहिए। इतनी भावना नजर आती है कि इसको जल्दी से पास किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे आप सलेक्ट कमेटी में भेज दीजिये और सलेक्ट कमेटी के लिए पीरियेड थोड़ा रखिये जिससे जल्दी से विचार हो जाय और फिर सदन के सामने रिपोर्ट आ जाय और सदन उस पर विचार कर सके। यही मेरा निवेदन है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, इस बिल पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार अलग अलग प्रकट किये हैं, उसके लिए मैंने अर्ज किया कि मैं इस बात से सहमत हूं कि जो सलेक्ट कमेटी में यह बिल रेफर करने का सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, उसे स्वीकार कर लिया जाय। सलेक्ट कमेटी के सदस्यों की लिस्ट उन्होंने पेश की है और समय के लिए मैं अर्ज करूंगा कि १८ मई से पहले पहले यह सलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। रहा उसके सदस्यों के नाम के बारे में, सलेक्ट कमेटी के लिए जहां तक हो सके १८ तारीख की मियाद रख दें, १८ तारीख से पहले सलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर देगी, फिर यह सदन में ले लिया जायगा। मैं अर्ज कर चुका हूं कि मेरी मन्शा नहीं है कि इस बिल को आगे पोस्टपोन किया जाय, यह मन्शा है कि इस बिल को इस सदन में पास किया जाय और इस बिल की जो इम्पोरटेन्स है उसको देखते हुए....

श्री पी० के० चौधरी : इस सदन में

(श्री पी० के० चौधरी)

पास करें, तो क्या दूसरे सदन में पास करना चाहते हैं।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : I am sorry इस सेशन में। लेंगवेज पर आपका कमान्ड ज्यादा है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि रावराजा सरदारसिंह जी ने प्रस्ताव पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह हैं कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाह....

सलेक्ट कमेटी के जो मेम्बर हैं उनके नाम बताये जा चुके हैं। उसमें श्री मुरलीधर व्यास का नाम नहीं है और १८ तारीख से पहले पहले सलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ठीक १ बजे गुरुवार, दिनांक ७ मई, १९५९ को प्रातः [illegible] बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

१ स्थगित हुई।)

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, ६ मई, १९५९)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ९८६८

स्वीटेड इन्डस्ट्रीज़ में न्यूनतम वेतन लागू करना।

भारत सरकार की ग्राम सड़क विकास योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्य।

महालक्ष्मी मिल ब्यावर।

बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

गांधी सागर बांध से बिजली।

सांचोर पंचायत के फैसले की तामील।

बडवज के जंगल का ठेका।

होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रशिक्षण।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के बंगलों पर गार्ड।

बोन्स फैक्ट्री जोधपुर।

नगरपालिका झालावाड़ द्वारा हरिजनों को भारत सरकार से मिली धन राशि का वितरण।

आगरा से धोलपुर आने वाले चावलों से भरे ट्रकों से ऑक्ट्राय की वसूली।

स्कम्भ

राजकीय हाई स्कूल चाकसू के भवन के कमरे।

डायरेक्टर मैडिकल एन्ड हैल्थ द्वारा गबन।

बी० सी० जी० के टीके।

तहसील बौंली से तहसील निवाई व चाकसू तक सड़क।

नानूराम हैड कान्सटेबिल की गिरफ्तारी।

जयपुर नगर में पटरी पर सामान बेचने वालों पर कर।

कोटपूतली तहसील के सरकारी भवन की मरम्मत।

सरकार द्वारा खरीदी गई ब्लॉक मेकिंग मशीन।

झुंझुनू के वर्तमान थानेदार।

पशु मेला सेवाडिया व सांचोर में पानी का प्रबंध।

विधायी कार्य।

राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १९५९ ९९३१

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, के इस प्रस्ताव पर कि

विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री सोहनलाल भटनागर ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने तथा रावराजा श्री सरदारसिंह ने विधेयक पर जनमत जानने हेतु उसे प्रसारित किये जाने के संशोधन प्रस्तुत किये।

वाद-विवाद के पश्चात् विधेयक एक प्रवर समिति को इस आदेश के साथ सुपुर्द किया गया कि समिति अपना प्रतिवेदन दिनांक १८ मई, १९५६ तक प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है :

(१) श्री दामोदरलाल व्यास, प्रभारी मंत्री।
(२) डॉ० बहादुरसिंह।
(३) डॉ० चन्द्रकला
(४) श्री मांगीलाल
(५) श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री
(६) श्री मूलचन्द डागा
(७) श्री देवीलाल
(८) श्री किशनलाल शाह
(९) श्री मोतीलाल चौधरी
(१०) श्री तेजमल बापना
(११) श्री सज्जनसिंह
(१२) श्रीमती सतवन्त कौर
(१३) रावराजा श्री सरदारसिंह
(१४) श्री सूरजमल
(१५) श्री बेनाराम
(१६) श्री महेन्द्रसिंह पंवार
(१७) श्री मदनसिंह दांता
(१८) श्री नाथूलाल करोल
(१९) श्री शिवचरणदास
(२०) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

सदन की बैठक ठीक १ बजे गुरुवार, दिनांक ७ मई, १९५६ को प्रातः ८-०-० बजे तक के लिए स्थगित की गई।

दिनांक ७ मई, १९५६ की कार्य सूची

(१) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५६

(२) राजस्थान मैटर्निटी बेनिफिट (संशोधन) विधेयक, १९५८

(३) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५६

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४२७ का उत्तर देखिये)

THE BAZARI PLACES.

1. Khanda Manak Chowk.	Green fodder for horses.
2. Khanda Purohitji.	Janew Sellers.
3. Khanda Hawamahal.	1. Lock and key repairers. ii. Patwas (iii) Shoe Sellers.
4. Chaupar Sanganer and Amber.	1. Flower Sellers. 11. Clothes Sellers.
5. Ramganj Bazar (beyond Rasta Pachawar walan and Khurra Ladliji) Down to chauper Ramganj.	i. Cut piece sellers. ii. Khumchawalas. iii. Leather sellers. iv. Mochies etc.
6. Ghat Darwaja Bazar beyond Rasta Ghosian and towards Ghat Darwaza.	i. Cut piece sellers. ii. Khunchawala. Pottery sellers. iii. Green fodder-fuelwood faggot sellers.
7. Chauper Ramganj.	Fodder sellers.
8. Bazar Moti-Katla, Gangori and Station road and Moti Doongri road etc.	Sundery articles.

N. B.

Bazar Johari, Tripolia, Chandpole, Kishanpole, Chaurarasta Sireh Deorhi, Mirza Ismail Road and Rambagh would remain clear of any Tehbazari.

[१०५३

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४१६ का उत्तर देखिये)

COPY.

MEDICAL DEPARTMENT, RAJASTHAN

Post Mortem Register.

District Tonk	Dated 16. 9. 1958.
Body brought by	Shri Chiranjj Lal CNW 296.
Body indentified by	Shri Chiranji Lal CNW 296.
Name, Sex, age and caste.	Jamaluddin, Male about 16 years Muslim.
Whence brought; Village thana.	Brought by Police by P. C. No. 296 from Jail Tonk.

Date and hour of

Death Examination of body.	Despatch of Appearance of symptoms matter to of poison or disease.

CHEMICAL EXAMINER.

About 5 P. M. Last evening as given by police.	Post mortem examination began at 10 A. M.. on 16-9-58.
Symptoms observed before death.	On account of fall from a tree and fainting as given by Police.
Information furnished by police.	On account of fall from tree and fainting and was taken to his cell where he died.

N. B.:—The Medical officer will observe the state of all the organs and when he finds no disease or injury. he should write in the appropriate places the words "Healthy".

IV. EXTERNAL APPEARANCE

1. Condition of subject Stcut emaciated, decomposed, etc.	Average build not emaciated or decomposed. Rigor Mortis present all over the body
2, Wounds position, Size, Nature.	NIL.
3. Bruises position size, nature.	1. One abrasion 1 " just above and laterul to the unbilicus varticle on the left. 2. One centusion oblique 2" X 1/3" starting from 11th rib towards symphusis pulses.
4. Mark of ligature on neck dissecution etc.	NIL.
5. Condition of pupils.	Nothing abnormal.

II CRANIUM AND SPINAL CORD.

Note:—The spinal connal need not be examined, unless any indication or disease or injury exists.

1. Scalp, Skull and vertebre,	2. Membrances.	3. Brain and spincal card.
Scalp Normal. Skull fracture of the left middle first transverse along the aphenoid bone.		Sexual Hamarigne Congested on the left side.

III THORAX

1. Walls, rib, and cartilages.	Nothing abnormal.
2. Pleume.	Nothing abnormal.
3. Larynx and trathae.	Nothing abnormal.

4. Right lung.	Nothing abnormal.
5. Left Lung.	Nothing abnormal.
6. Pericardium.	Nothing abnormal.
7. Heart.	Left side of heart a little blood Right side of heart empty.
8. Large Vessals.	Nothing abnormnl.

IV-ABDOMEN.

1. Walls.	Nothing abnormal.
2. Peritoneum.	Nothing abnormal.
3. Mouth Pharyax and Ezophagus.	Nothing abnormal.
4. Stomach and its contents.	Small amount of semi-solid digested food present.
5. Small intestines and their contents,	Greenish yellow semi-solid material present.
6. Large intenstines and their contents.	Small amount forced matter present.
7. Liver.	Nothing abnormal.
8. Spleen.	Nothing abnormal.
9. Kidneys.	Nothing abnormal.
10. Bladder.	Small amount of urine present.
11. Organs of generations external & internal.	Nothing abnormal.

V-MUSCLES, BONES, JOINTS.

1. Injury. 2. Disease or Deformity. 3. Fracture. 4. Dislocation.

As mentioned on Page No. 1	NIL	Fracture bone of Skull left middle craminal tossa along the Sphenold bone.	NIL,

REMARKS BY MEDICAL OFFICER.

Cause of Death:—Death is due to shock due to fracture of the bone of the skull.

Sd/- R. K. Sharma,
M. B. B. S.,
16-9-58.

No. 845/SH. Dated 16-9-58.
Copy forwarded to C. I., Tonk.

Sd/- R. K. Sharma,
C. A. S. I.,
Sandat Hospital, Tonk.

ABSTRACT OF CHEMICAL EXAMINERS' REPORT.

The following are sent to the Chemical Examiner on.....................

Viaceraof article.	Quantity of Size or weight.

शुद्धि-पत्र

(६ मई, १९५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
६८७५	४	श्री लत्मीचन्द	श्री लक्ष्मीचन्द
६८७७	८	वर्किए	वर्किंग
६८७७	१६	agrrement	agreement
६८८६	२	का काम चौकी वसूल	का काम चुंगी वसूल
६८८६	१३	farthes	farthest
६८६१	१	एक्ट को	एक्ट के
६८६५	५	टीका	टीके
६८६७	८	पेम्पलेट	पेम्फलेट
६८६७	अन्तिम से ८	एस. सप. ओ	एस. पी. ओ
६८६८	२	शूबे	शुबहा
६६०७	१	अपराध अन्तर्गत	अपराध के अन्तर्गत
६६१०	८	कर दिया होम मिनिस्टर	कर दिया गया होम मिनिस्टर
६६११	८	गवर्नमेंट	गवर्नमेन्ट
६६११	११	अपोन्ट	अपोइन्ट
६६१३	अ. से १०-७	टेन्टिव	टेन्टेटिव
६६१३	अन्तिम से ४	पुलिस कार मार	पुलिस कार
६६१६	१४	फक्चर	फ्रेक्चर
६६२०	३	पेन्टेस	पेशेन्ट्स
६६२२	अन्तिम	htat	that
६६२७	अन्तिम से १	प्राइम्ररी	प्राइमरी
६६२८	१५	सिगाना	सिवाना
६६२६	अन्तिम से २	क्वेन्चन	क्वेश्चन

Page No 99

१	२	३	४
६६३६	अन्तिम से ११	नुक्त	नुक्ता
६६३६	८	पर्टियां	पार्टियां
६६३६	१६	खिला	खिला
६६३६	अन्तिम से ४	मृत्यू	मृत्यु
६६४१	१५	होत हैं	होता है
६६४५	अन्तिम से ३	स्वय	स्वयं
६६४६	२	महगाई	मंहगाई
६६४६	६	वहां	कहां
६६४६	५	पुलिस जायगी ? यह	पुलिस जायगी, यह
६६४६	१५	समझुता	समझता
६६७०	शीर्षक	५ मई ५६	६ मई, ५६
६६७१	११	श्र नारायणहिंस	श्री नारायणसिंह
६६७३	अन्तिम से २	सम्लित	सम्मिलित
६६७६	अन्तिम से ४	खर्चियों	खर्चे
६६८०	१	(भ्री आबिद्अली)	(श्रीआबिद्अली)
६६८०	१८	meana	means
६६८०	१६-२०	or, connection	in connection
,,	२१	persor	Person
,,	२२-२३	inte·vals	intervals
,,	अन्तिम से ६	cognisance	congnizance
,,	,, ,, ८	any offece	any offence
६६८१	४	देवर	देयर
,,	अन्तिम से ६	cognisance	cognizance
६६८५	२०	Amend mout	Amendment
६६८५	२१-२२	rel evant	relevant
६६८५	अन्तिम	में	मैं
६६८६	२	रूल्स	रूल्स में
,,	अन्तिम से १२	त	तो
,,	,, ,, ८	cenditions	conditions

१	२	३	४
९९८८	५	श्री तेजमल बापना	श्री तेजमल बापना
९९८४	६	ot	to
९९९०	८	विधेयक	विधेयक
९९९२	६	छाटी	छोटी
९९९३	अन्तिम से ८	आवश्य	आवश्यक
९९९५	६	हर	पर
९९९५	७	हैं	वे
१०००१	१७	जीवित मोहर	जीवित मोसर
१०००२	१	much adouf	much ado
,,	१६	मुत्यु भोज	मृत्युभोज
,,	अन्तिम	भावना पदा	भावना पैदा
१०००३	२१	tehhi l	tehsil
१०००४	अ. से ६ व ११	फाइन्डस	फ्रेन्ड्स
१०००६	२४	कलेक्टरेट्	कलेक्टोरेट
१०००६	१४	' वेचार '	'वेचारा'
१००१०	२०	कुरीरियां	कुरीतियां
१००१०	अन्तिम से २	रास्त	रास्ता
१००१३	७	देते	देने
१००१६	अन्तिम से ४	आश्चय	आश्चर्य
१००२४	अन्तिम से ६	फीसट	फीस्ट
१००२६	३	अवश्यकता	आवश्यकता
१००३१	६	ई	है
१००४२	अ. से ४ व २	रिस्तेदार	रिश्तेदार
१००४४	६	फलेने	फलाने